

मासिक

# अरफ़ात किरण

रायबरेली



## दुनिया हकीकी ईद से महरूम

“दुनिया की हकीकी ईद सदियों से नहीं हुई है। दुनिया हकीकी ईद को तरस रही है। न अमन है, न अखलाक है, न इन्सानियत है, न शराफ़त है, न ख़िदमत का जज़्बा है, न खुदा की याद है और न खुदा की पहचान है। कुछ नहीं है। कहां का त्योहार, सारे त्योहार जो हैं बच्चों के खेल से हैं, जैसे बच्चों की कोई ज़िम्मेदारी नहीं, खेलें, कूदें, खायें, पियें और खुश रहें ऐसे ही दुनिया की कौमें बच्चों की तरह खुशियां मना रहीं हैं। लेकिन हकीकी खुशी नसीब नहीं। आज दुनिया को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ईद की ज़रूरत है और वो ईद मुसलमानों की कोशिश ही से आ सकती है।”

हज़रत मौलाना अबुल हसन अली हसनी नदवी  
(इमजानुल मुबादक और उनके तफ़्फ़े)



मर्कजुल इमाम अबिल हसन अल नदवी  
दारे अरफ़ात, तकिया कलां, रायबरेली

## रमज़ान को रोज़ों के साथ ख़ास क्यों किया गया?

अल्लाह तआला ने रोज़े रमज़ान में फ़र्ज़ किये हैं, और दोनों को एक दूसरे के साथ आवश्यक घोषित कर दिया है और वास्तविकता ये है कि इन दो बरकतों और नेकियों का मिलन बड़ी हिकमत और अहमियत वाला है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि रमज़ान ही वो महीना है जिसमें कुरआन मजीद नाज़िल हुआ गुमराह इन्सानियत को “सुबह—ए—सादिक” नसीब हुई। इसलिये ये इसी अनुसार था कि जिस तरह सुबह सूरज निकलने से पहले को रोज़े की शुरूआत से जोड़ दिया गया है उसी तरह इस महीने को भी। जिसमें एक लम्बी और अंधेरी रात के बाद पूरी इन्सानियत की सुबह हुई। पूरा महीना रोज़े के साथ ख़ास कर दिया जाये, ख़ास तौर पर उस समय जबकि रहमत व बरकत, आन्तरिक व बाह्य संबंध के लिहाज़ से भी ये महीना सभी महीनों से श्रेष्ठ था, और सही तौर पर इसका हकदार था कि उसके दिनों को रोज़े से और रातों को इबादत से जोड़ा जाये।

रोज़े और कुरआन के बीच बहुत गहरा संबंध है और ख़ास रिश्ता है और इसीलिये हुज़ूर स०अ० रमज़ान में तिलावत का ज़्यादा से ज़्यादा एहतिमाम करते थे। इब्ने अब्बास रज़ि० रावी हैं कि रसूलुल्लाह स०अ० सबसे ज़्यादा सखी थे, लेकिन रमज़ान में जब जिब्राईल अलै० आप स०अ० से मिलते आते तो इस ज़माने में सखावत का मामूल बढ़ जाता, जिब्राईल अलै० रमज़ान की हर रात में आपके पास आते और कुरआन पाक का दौर करते। उस वक़्त जब जिब्राईल अलै० आप से मिलने आते आप स०अ० सखावत दादो दहिश और नेकी के कामों में तेज़ हवा से भी तेज़ नज़र आते थे।

हज़रत मौलाना सैय्यद अबुल हसन अली हसनी मदनी रह०

(इस्लाम का परिचय: ६१-६२)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मासिक

# अरफ़ात किरण

रायबरेली

अंक: ६-८

जून-अगस्त २०१३ ई०

वर्ष: ९



## संरक्षक

हजरत मौलाना सैय्यद  
मुहम्मद राबे हसनी नदवी  
अध्यक्ष - दारे अरफ़ात

## निरीक्षक

मौ० वानेठ रशीद हसनी नदवी  
जनरल सेक्रेटरी- दारे अरफ़ात

## सम्पादकीय मण्डल

खिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी  
मुफ़्ती राशिद हुसैन नदवी  
अबुसुबहान नास्वुवा नदवी  
महमूद हसन हसनी नदवी  
मौ० हसन नदवी

## सह सम्पादक

मौ० नफीस ख़ॉं नदवी

प्रति अंक-10रु चाँदिका-100रु

सम्पादकीय सवस्यदा-500रु चाँदिका

[www.abulhasanalnadwi.org](http://www.abulhasanalnadwi.org)

FAX-0535-2211386

E-Mail: markazulimam@gmail.com

## रमज़ान का महीना

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

(البقرة: 185)

अल्लाह तआला का इश्आद है:

(रमज़ान का महीना वो है जिसमें  
कुआन मजीद नाज़िल हुआ जो लोगों का  
मार्गदर्शक है और जिसमें हिदायत की  
खुली हुई निशानियां हैं और जो सच और  
झूठ को अलग-अलग करने वाला है। अतः  
जिसे ये महीना मिले उसे चाहिये कि इस  
महीने में रोज़ा रखे)

मर्कज़ुल इमाम अबिल हसन अल-नदवी दारे अरफ़ात, तकिया कलां रायबरेली, यू०पी० 229001

मौ० हसन नदवी ने एस० ए० आफ़सेट प्रिंटेर्स, मस्जिद के पीछे, फ़ाटक अब्दुल्ला ख़ॉं, सब्जी मण्डी, स्टेशन रोड रायबरेली से  
छपाकर आफ़िस अरफ़ात किरण, मर्कज़ुल इमाम अबिल हसन अल-नदवी, दारे अरफ़ात, तकिया कलां रायबरेली से प्रकाशित किया।

## इस अंक में:

रमज़ानुल मुबारक का पैग़ाम.....	३
चांद के मसाएल.....	४
रोज़े का इतिहास.....	६
रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाएल.....	८
रमज़ानुल मुबारक—एक नई ज़िन्दगी की शुरूआत.....	९
रमज़ानुल मुबारक की आमद.....	१२
ख़ैर व बरकत का महीना.....	१३
कुरआन करीम और रमज़ानुल मुबारक.....	१५
रमज़ानुल मुबारक ईमान की मज़बूती का महीना.....	१७
रमज़ानुल मुबारक का अदव व एहताराम.....	१९
सहरी—इफ़तार जरूरी अहकाम.....	२१
जिन सूरतों में रोज़ा टूट जाता है.....	२४
रमज़ानुल मुबारक में औरतों के मसाएल.....	२९
कफ़ारा और फ़िदिया.....	३१
तरावीह की नमाज़.....	३२
एतिकाफ़.....	३४
शब—ए—क़द्र.....	३६
ईनाम की रात.....	३८
सदक—ए—फ़ित्र.....	३९
ईदुल फ़ित्र.....	४०
ज़कात — अहकाम व मसाएल.....	४२
रमज़ाम के बाद.....	४७



## रमजानुल मुबारक का पैग़ाम

बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदवी

वर्तमान सदी को इस्लामी जागरुकता की सदी कहा जाता है और इसमें कोई शक नहीं कि जितने फैलाव के साथ इस दौर में इल्मी व दावती काम हुआ है शायद पहले की सदियों में नहीं हो सका। पुराने लेखों की खोज व प्रचार हो या महत्वपूर्ण विषयों पर अच्छी किताबों का प्रकाशन, जगह-जगह दीनी व दावती केन्द्रों की स्थापना हो या मदरसों व मकतबों की व्यवस्था, मस्जिदों के निर्माण व उन्नति का सिलसिला हो या इस्लामिक सेन्टर में शिक्षा की व्यवस्था, जितने बड़े स्तर पर आज ये केन्द्र नज़र आ रहे हैं, इससे पहले उनके बारे में सोचना भी मुश्किल था। ये भी सही है कि ये एक अच्छा कदम है और इससे एक आम जागरुकता पैदा हुई है। लेकिन शायद ये भी एक हकीकत है कि ईमान व यकीन की जो कैफ़ियत पहले थी वो आज दिखाई नहीं देती, बड़े से बड़े वाक्ये हो जाते हैं लेकिन दिल व दिमाग़ पर वो असर नहीं पड़ता जो पहले पड़ा करता था। इसका कारण केवल यही है कि ईमान की गर्मी ठन्डी होती जा रही है।

हज़रात सहाबा रज़ि० के बारे में आता है कि वो ईमान ताज़ा करने के लिये एकत्र होते, (आओ भाई, कुछ देर ईमान ताज़ा कर लें) उनको सबसे ज़्यादा ईमान की फ़िक्र थी। वो नबी स०अ० के प्रेम से लाभान्वित और दीन की वास्तविकता से सबसे ज़्यादा परिचित थे। इस ईमानी आन्दोलन के अलावा न उनको किसी आन्दोलन की आवश्यकता थी न कोई सभा करने की, ज़माना जितना ज़्यादा नबी स०अ० के दौर से दूर होता गया आम तौर पर ईमान के नूर में कमी होती गयी। आज हालात यहां तक बदल चुके हैं कि सारा ध्यान साधनों और प्रदर्शनों पर दिया जाता है। वास्तविकता और दिमाग़ की चिन्ता कम से कम रह जाती है। क्रम के पलट जाने का परिणाम ये है कि बहुत कोशिशों के बाद भी हालात ज्यों के त्यों हैं।

ईमान को ताज़ा करने के लिये सबसे ज़्यादा ज़रूरत ईमान वालों की संगत की है, शमा से शमा जलती है, अफ़सोस की बात ये है कि आज इसका एहसास भी ख़त्म होता जा रहा है। अगर इसकी आवश्यकता बतायी भी जाये तो कुछ शुरुआती बातें कह कर रुख़ बदल देने की कोशिश की जाती है। दीन और दीनी कामों में भी ख़ालिस मैकेनिकी तर्ज़ व अन्दाज़ इस तरह प्रवेश करता जा रहा है कि हकीकत व रूह से संबंध कम से कम रह जाता है।

ईमान की रोशनी बढ़ाने और बैट्री चार्ज करने का बेहतरीन मौक़ा रमजानुल मुबारक भी है। ये वो मुबारक महीना है कि इसमें दिल की ज़मीन नर्म हो जाती है, इसमें हल चलाना और इसे खेती योग्य बनाना आसान हो जाता है। शैतान कैद कर दिये जाते हैं और आम वातावरण इबादत व बन्दगी का बन जाता है, इससे फ़ायदा उठाते हुए अगर पूरे महीने में साल भर का इन्तिज़ाम कर लिया जाये तो इससे अच्छा शायद कोई मौक़ा न मिले। हदीस में उस व्यक्ति को बददुआ दी गयी है जिसको रमजानुल मुबारक का महीना मिले और वो अपनी मग़फ़िरत का सामान न कर सके।

बुरी आदतों को ख़त्म करने का भी ये बेहतरीन मौक़ा है। इस ज़माने में रूटीन बदल जाने से अन्दरूनी बदलाव भी आसान हो जाते हैं। अगर पहले ही से पूरे इरादे के साथ इसका इस्तेमाल किया जाये और पूरा महीना सब्र के साथ गुज़ारने की कोशिश की जाये तो कुछ बड़ैद नहीं कि बेहतरीन इन्क़िलाब को लाने वाला बने। इतिहास से ये बात सामने आती है कि बहुतों की ज़िन्दगियों के लिये ये एक बेहतरीन मोड़ साबित हुआ है, कितनों की कायापलट हो गयी है, लेकिन उसके लिये कुछ इरादे और कुछ अमल की ज़रूरत है। यकीनन अगर इसके लिये कोशिश की जायेगी तो ईमान व यकीन की शमा रोशन होगी और हमारी एक बहुत बड़ी कमी दूर होगी, और इससे उम्मत को एक नयी ताक़त मिलेगी।

ज़माना भी मुबारक हो और उसके साथ नेक संगत भी हो तो यकीनन ईमान के नवनिर्माण के लिये ये सोने पे सुहागा है। अच्छे माहौल में आदमी बनता है, नेकियां जड़ पकड़ती हैं, ख़ैर का रंग चढ़ता है और पुख़्ता होता है। देहात के रहने वाले एक सहाबी के बारे में आता है कि वो रमजानुल मुबारक की कुछ रातें गुज़ारने के लिये आंहज़रत स०अ० की सोहबत में हाज़िर होते और रात भर मस्जिद नबवी में रुकते, फिर वापस तशरीफ़ ले जाते। ज़माने वालों के हज़ार

बिगड़ जाने के बावजूद भी अहले हक़ मौजूद हैं और आंहज़रत स०अ० की पेशगोई है कि क़यामत तक हक़ वाले बाकी रहेंगे, अगर रमजानुल मुबारक की रातें इन नेक लोगों की संगत में गुज़र जायें तो कोई कितना भी गया गुज़रा हो ईमान की सौगात लेकर ही पलटेगा।

## चाँद के मसालक

इस्लाम की कई अजीमुश्शान इबादतें चांद से जुड़ी हुई हैं। इनमें हज और रमजान सबसे ऊपर हैं लेकिन मनासिक—ए—हज (हज की अदायगी का तरीका) की अदायगी हिजाज—ए—मुकददस में होती है जहां चाहे कैसी भी इस्लामी हुकूमत मौजूद है, जिसका अपना निजाम और तर्ज—ए—फिक्र है, जिसका नतीजा ये है कि जिलहिज्जा और दूसरे महीनों में चाँद का ऐलान सरकारी तौर पर होता है और पूरा देश इसको मानता है या मानने पर मजबूर है। इसका नतीजा ये है कि आपसी फूट की कोई बात सामने नहीं आती।

लेकिन रमजान और कई कारणों से उससे भी बढ़कर ईदुलफ़ित्र व ईद—ए—कुर्बा में पूरी दुनिया के हर देश और हर क्षेत्र के मुसलमानों का वास्ता पड़ता है। ये क्षेत्र अलग—अलग भौगोलिक ज़ोन में स्थित हैं, फिर वहां के मुस्लिम नागरिक भी दृष्टिकोण के हामी हैं। इसके नतीजे में हर दो—तीन साल बाद चांद से संबंधित अत्यधिक विरोधाभास सामने आते हैं। कई सालों में तो दो से ज़्यादा ईद भी मनायी गयी हैं। गंभीर लोगों के लिये ये बहुत ही अफ़सोसनाक स्थिति होती है क्योंकि ईद को तो खुशी के इज़हार और पुरानी रंजिशों और नफ़रतों को भुलाकर आपस में मिल जाने का एक ज़रिया व मौका बनना चाहिये था। लेकिन इस पर जितना भी अफ़सोस किया जाये कि कम है कि जाहिलियत और अज्ञानता के कारण ये खुशी के ये दिन नयी रंजिशों और नफ़रतों का ज़रिया बन जाते हैं। इनमें इकराम—ए—मुस्लिम, बड़ों की इज़्जत व छोटों पर शफ़क़त इत्यादि से संबंधित हिदायतों के परख़्चे उड़ा दिये जाते हैं और हर वर्ग दूसरे वर्ग का मज़ाक़ उड़ाकर दिली खुशी महसूस करता है। ग़ैर भी चाहे ज़बान से कुछ न कहें लेकिन उनकी मुस्कुराहटें बहुत कुछ बयान कर देती हैं। केवल नाम के बुद्धिजीवी भी दीनी लोगों पर फ़क्तियां कसने में कोई कसर नहीं उठा रखते। पिछले साल बी.बी.सी. पर एक साहब की बात अब भी जैसे कानों

में गूँज रही हो कि अब ईद को एक रोज़ की ईद के बजाये हफ़ते की ईद कहना चाहिये।

मेरे ख़्याल से फूट व बिख़राव का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे देश में इस्लामी व्यवस्था नहीं है। अगर सऊदी अरब की तरह एक इस्लामी हुकूमत होती तो चाहकर या ना चाहकर सब उसके हुकम को मानने पर मजबूर होते और ये बात सामने न आती। ग़ैर इस्लामी देश होने के बावजूद भी अगर इस्लामी शासन की व्यवस्थित व्यवस्था होती या कम से कम कोई केन्द्रीय चांद (देखने की) कमेटी होती और राज्यों में इसकी शाखें होती और केन्द्रीय कमेटी के ऐलान को अमीर के ऐलान जैसा समझा जाता, तब भी ये अफ़सोसनाक स्थिति सामने न आती। लेकिन अफ़सोस! हम इस काम को भी न कर सके।

अतः स्थिति को मददेनज़र रखते हुए हमें कोशिश यही करनी चाहिये कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था बन जाये और देश के सभी मुसलमान इसको स्वीकार करें। लेकिन जब तक इस प्रकार की व्यवस्था न बन सके उस समय तक कम से कम यही तय कर लें कि हमारा संबंध चाहे किसी भी मकतब—ए—फ़िक्र (मसलक) से हों, बेशक बात हम अपने ही ग्रुप की मानें लेकिन इन इबादतों और खुशी के लम्हों को इस प्रकार की फूट का शिकार न बनाएं कि उनके आने से दिल में खुशी आने के बजाये ख़ौफ़ पैदा हो और रोंगटे खड़े होते हों कि देखें कि इस बार क्या शकल सामने आती है। इसलिये कि चांद देखने का मसला एक ख़ालिस फ़िक्ही मसला है। इसकी हकीक़त सही तौर से फ़िक् के माहिर ही समझ सकते हैं। अतः जिस प्रकार मरीज़ अपने मर्ज़ के बारे में किसी माहिर डाक्टर से सलाह लेता है और उसकी हिदायतों पर अमल करता है लेकिन दूसरे डाक्टरों के पास जाने वालों पर टिप्पणी नहीं करता, उसी प्रकार जिस हल्के और जिस चांद कमेटी वालों से संबंध हों, उनकी बात मान कर चले लेकिन बिलावजह दूसरों पर टिप्पणी न करे, न मज़ाक़ उड़ाये, इसलिये कि

किसी भी इबादत की रूह और जान अल्लाह के हुक्म पर अमल करके उसकी खुशनुदी हासिल करना है। सोचने की बात ये है कि क्या हमारे इस तरीके से अल्लाह की खुशनुदी हासिल होगी?!

शरीअत का हुक्म ये है कि चांद देखकर रोज़ा रखा जाये और चांद देखकर ईद मनायी जाये। अगर चांद नज़र न आये तो तीस की गिनती पूरी की जाये। हज़रत आयशा रज़ि० फ़रमाती हैं: "आप स०अ० जितना शाबान के दिनों को गिनने का एहतिमाम करते थे उतना दूसरे किसी महीने का एहतिमाम नहीं फ़रमाते थे, फिर रमज़ान का चांद देखकर रोज़ा रखते थे अगर आसमान में बादल होते तो तीस की गिनती पूरी फ़रमाते थे।" (अबूदारुद : 2325) फ़ुक्हा ने फ़रमाया कि सभी लोगों का चांद देखना शर्त नहीं है बल्कि अगर आसमान में चांद देखने की जगह साफ़ हो तो एक भीड़ का चांद देख लेना सभी लोगों का चांद देखना मान लिया जायेगा। अगर बादल या गर्द व गुबार की वजह से आसमान साफ़ न हो तो रमज़ान में एक विश्वसनीय व्यक्ति का और ग़ैर रमज़ान में दो विश्वसनीय लोगों का चांद देख लेना सभी लोगों का देख लेना समझा जायेगा और संबंधित हुक्म साबित हो जायेगें। (हिदाया: 195-196) फिर रेडियो की ख़बर विश्वसनीय होगी या नहीं? फ़ोन की सूचना का क्या हुक्म होगा? तार, ख़त, फ़ैक्स, ईमेल और एसएमएस के द्वारा जो सूचना या ख़बर आये उसको कब विश्वसनीय माना जायेगा और कब विश्वसनीय नहीं माना जायेगा? ये और इसी तरह के बहुत से सवाल हैं जिनको उलमा ने हल करने की कोशिश की है। कई में वो एकमत हैं और कई में उनके बीच इख़िलाफ़ है, लेकिन इसमें कोई शक़ नहीं कि ये काम सिर्फ़ फ़िक् के माहिरों का है।

अतः हम जिस हल्के से जुड़े हों जब तक कोई केन्द्रीय कमेटी या हुक्मत न बन जाये हमको चाहिये कि उनकी बात मान कर चलें और डेढ़ ईट की अलग मस्जिद बनाकर फूट का कारण न बनें कोई शक़ दिमाग़ में आये तो उसके ज़िम्मेदारों से सम्पर्क कर लें, इस प्रकार हम उस अवसर पर पैदा हो जाने वाली अव्यवस्था को एक हद तक दूर कर सकते हैं।

कई बार चांद देखने के सिलसिले में बड़े इख़िलाफ़ हो जाते हैं। खासकर जब आसमान साफ़ न हो। ऐसी सूरत में पूरी हद तक इख़िलाफ़ से बचना चाहिये और हर

एरे ग़ैरे की बात सुनने के बजाये अपने इलाक़े के मोतबर उलमा किराम से रूजुअ किया जाये और अगर चांद कमेटी का निज़ाम कायम हो तो उसकी बात तस्लीम की जाये। अगर उनके बीच किसी तरह की फूट हो तो जिस मसलक या जिस कमेटी से जुड़ा हो उसके ज़िम्मेदारों की हिदायत पर अमल किया जाये ताकि किसी प्रकार की कोई फूट न पड़ सके और खुशियों का त्योहार भाईचार उल्फ़त व मुहब्बत का पैग़ाम दे जिसका असर ग़ैरो पर पड़े।

### कुछ ज़रूरी मसले

जिस शख्स ने रमज़ान का चांद देखा लेकिन किसी वजह से उसकी गवाही रद्द कर दी गयी और आम लोगों ने रोज़ा नहीं रखा तो उस चांद देखने वाले शख्स पर रोज़ा रखना ज़रूरी है। (हिन्दिया 1/197)

अगर किसी ने ईद का चांद देखा और उसकी गवाही रद्द कर दी गयी तो वो रोज़ा नहीं छोड़ेगा चाहे उसके रोज़े 31 हो जायें। (हिन्दिया 1/197)

किसी शख्स ने शरई चांद कमेटी या मुस्लिम शासक की तरफ़ से या रेडियो या टेलीविज़न की तरफ़ से शरई ज़ाबते के मुताबिक़ चांद का ऐलान किया हो और उसकी सच्चाई का गुमान ग़ालिब हो जाये तो ऐसे ऐलान का शरई तौर पर एतबार है। (जवाहिरुल फ़िक् 1/401)

अगर मतला (चांद के दिखने की जगह) साफ़ न हो और दूसरी जगह की कोई चांद कमेटी का ज़िम्मेदार शख्स टेलीफ़ोन पर इस बात की ख़बर दे कि यहां चांद शहादत के शरई ज़ाबतों के मुताबिक़ कमेटी ने चांद के सुबूत का ऐलान कर दिया है और उस ऐलान से महीना 29 दिन से कम न हो तो उस ख़बर का एतबार किया जा सकता है। (जवाहिरुल फ़िक् 1/401)

अगर कोई शख्स सऊदी अरब से रमज़ान में हिन्दुस्तान आये और यहां उसके तीस रोज़े पूरे हो जाये तो वो उस वक़्त तक रोज़ रखेगा जब तक कि हिन्दुस्तान में ईद का चांद नज़र न आ जाये। चाहे सऊदी अरब से आने वाले शख्स को 30 से ज़्यादा ही रोज़े क्यों न रखना पड़े। (अहसनुल फ़तावा 4/423)

अगर कोई शख्स रमज़ान शुरू होने के बाद हिन्दुस्तान से सऊदी अरब चला जाये और वहां उसके 28 रोज़े होने के बाद ईद का चांद नज़र आ जाये तो वो रोज़ा तोड़कर ईद में शरीक हो जायेगा और ईद के बाद एक रोज़े की कज़ा करेगा इसलिये कि महीना शरीअत के

## रोजे का इतिहास

### रोजे का अर्थ

रोजा इस्लाम की इबादत का तीसरा रुकन (स्तम्भ) है, अरबी में इसको "सौम" कहते हैं, जिसके शाब्दिक अर्थ "रुकने और चुप रहने के हैं" कई व्याख्या करने वालों की व्याख्याओं के अनुसार कुरआन पाक में इसको कहीं-कहीं "सन्न" भी कहा गया है जिसका अर्थ "नफस पर रोक लगाना" साबित कदम रहना और धैर्यता का है। इन अर्थों से जाहिर होता है कि इस्लाम की ज़बान में रोजे का क्या अर्थ है? वो अस्ल में नफसानी इच्छाओं व हवस से अपने आप को रोकने और हिस्स और हवस में डगमगा देने वाले मौकों में अपने आप को रोके रहने और साबित कदम रखने का नाम है। रोज़ाना प्रयोग में साधारणतयः नफस की इच्छाओं और इन्सानी हिस्स का आधार तीन चीज़ें हैं। यानि खाना, पीना और मर्द-औरत के लैंगिक संबंध। उन्हीं से एक निश्चित समय तक रुके रहने का नाम शरीअत में रोज़ा है लेकिन वास्तव में इन ज़ाहिरी इच्छाओं के साथ आन्तरिक इच्छाओं और बुराइयों से दिल और ज़बान को सुरक्षित रखना भी रोजे की वास्तविकता में दाख़िल है।

### रोजे का प्रारम्भिक इतिहास:

रोजे का प्रारम्भिक इतिहास मालूम नहीं, इंग्लिशतान के मशहूर हकीम हरबर्ट स्पेन्सर (Herbet Spencer) अपनी किताब प्रिन्सिपल्स आफ़ सोशालाजी (Principles Of Sociology) (सामाजिक सिद्धान्त) में कुछ वहशी कबीलों की मिसाल के आधार पर सोचता है कि रोज़ा का प्रारम्भ वास्तव में इस तरह हुआ होगा कि लोग वहशत के ज़माने में खुद भूखे रहते होंगे, और समझते होंगे कि हमारे बदले हमारा खाना इस तहर मर्द-औरत को पहुंच जाता है। लेकिन ये विचार अक़ल वालों की निगाह में स्वीकृति न प्राप्त कर सका। बहरहाल मुश्रिकाना मज़हबों में रोजे की हकीकत के चाहे कुछ ही कारण हों लेकिन इस्लाम का रोज़ा अपने प्रारम्भ की व्याख्या में अपने पीरों का मोहताज नहीं है। अल्लाह तआला का इरशाद है:

"मुसलमानों! रोज़ा तुम पर इस तरह फ़र्ज़ किया

गया है जिस तरह तुमसे पहली कौमों पर फ़र्ज़ हुआ ताकि तुम परहेज़गार बनो।"

"माहे रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरआन उतारा गया जो इन्सानों के लिये सरापा हिदायत की दलीलें और सच व झूठ में फ़र्क करने वाला बन कर आया है, तो जो इस रमज़ान को पाये वो इस महीने भर के रोजे रखे और जो बीमार हो, सफ़र पर हो, वो दूसरे दिनों में रख ले, खुदा आसानी चाहता है, सख़्ती नहीं ताकि तुम रोज़ों की गिनती पूरी कर सके और (ये रोज़ा इसलिये फ़र्ज़ हुआ) ताकि तुम खुदा के इस हिदायत देने पर उसकी बड़ाई करो और ताकि तुम शुक्र बजा लाओ।"

इन आयत-ए-पाक में न केवल रोजे के कुछ आदेश, बल्कि रोजे का इतिहास, रोजे की हकीकत, रमज़ान का महत्व, और रोजे पर एतराज़ के सभी काम स्पष्ट रूप से बयान हुए हैं।

नीचे के पन्नों पर हम उन पर प्रकाश डालते हैं।

### रोजे का धार्मिक इतिहास

कुरआन पाक ने इन आयातों की व्याख्या की है कि रोज़ा इस्लाम के साथ विशेष नहीं बल्कि इस्लाम से पहले भी वो सभी धर्मों के एक संग्रहित आदेश का हिस्सा रहा है। जाहिल अरब का पैम्बर स०अ० उम्मी जो विरोधियों के अनुसार दुनिया के इतिहास से अनभिज्ञ था, वो गवाह है कि दुनिया के सभी देशों में रोज़ा फ़र्ज़ इबादत रहा है। अगर ये दावा तमाम सही तथ्यों पर आधारित है तो उसके ज्ञान के ऊपर के साधन में क्या शक रह जाता है। इसी दावे की तस्दीक में यूरोप के प्रमाणित तथ्यों का हम हवाला देते हैं।

इन्साइक्लोपेडिया बरटानेका का लेखक रोजे (Fasting) पर लिखता है, "रोजे के उसूल और तरीके को आबो हवा, कौमी तहज़ीब और आसपास के हालात के इख़लाफ़ से बहुत कुछ भिन्न है लेकिन बड़ी मुश्किल से किसी ऐसे मज़हब का नाम हम ले सकते हैं जिसकी

धार्मिक व्यवस्था में रोज़ा किसी न किसी रूप में स्वीकार न किया गया हो।

आगे चलकर लिखता है, "मानो कि रोज़ा मज़हबी रस्म की हैसियत से हर जगह मौजूद है" हिन्दुस्तान को सबसे अधिक पुराने होने का दावा है, लेकिन व्रत यानि रोज़ा से वो भी आज़ाद नहीं। हर हिन्दी महीने की ग्यारह बारह को ब्राह्मणों पर एकादशी का रोज़ा है। इस हिसाब से साल के चौबीस हुए, कई ब्राह्मण कार्तिक के महीने में हर दोशम्बा को रोज़ा रखते हैं, हिन्दू जोगी चिल्ला खींचते हैं, यानि चालीस दिन तक खाने पीने से परहेज़ करते हैं। हिन्दुस्तान के सभी धर्मों में, जैनी धर्म में रोज़ा की सख्त शर्तें हैं। चालीस चालीस दिन तक उनके यहां एक रोज़ा होता है। गुजरात व दकन में हर साल कई कई हफ्ते का रोज़ा रखते हैं। पुराने मिश्रियों के यहां भी बहुत से धार्मिक त्योहारों के शुभूल में नज़र आता है। यूनान में केवल औरतें थ्योमोफिरया की तीसरी तारीख को रोज़ा रखती थीं। पारसी धर्म में आम पीरों पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं बल्कि उनकी इल्हामी किताब की आयत से साबित होता है कि रोज़ा का आदेश उनके यहां मौजूद था। ख़ासकर धार्मिक गुरुओं के लिये पांच साला रोज़ा आवश्यक था।

यहूदियों में भी रोज़ा अल्लाह तआला की तरफ़ से फ़र्ज़ है। हज़रत मूसा अलै० ने कोह पहाड़ पर चालिस दिन भूखे प्यासे गुज़ारे। इसलिये आम तौर से यहूदी हज़रत मूसा की पैरवी में चालिस दिन रोज़ा रखना अच्छा समझते हैं। लेकिन दस दिन का रोज़ा उन पर फ़र्ज़ है जो उनके सातवें महीने (तश्रीन) की दसवीं तारीख को पड़ता है। इसलिये वो इसको आशूरा (दसवाँ) कहते हैं। यही आशूरा का दिन वो दिन था जिसमें हज़रत मूसा अलै० को तौरात के दस आदेश दिये गये। इसलिये तौरात में इस दस रोज़े की बहुत ताकीद है। और इसके अलावा यहूदी सहीफों में और दूसरे रोज़ों के आदेश भी स्पष्टता के साथ दिये गये हैं।

### ईसाई धर्म में भी हमको रोज़ा मिलता है

हज़रत ईसा अलै० ने भी चालिस दिन रोज़ा जंगल में रखा। हज़रत ईसा अलै० जो के हज़रत यहया अलै० के नक्शो कदम पर थे, वो भी रोज़े रखते थे और उनकी उम्मत भी रोज़ा रखती थी। यहूदियों ने अलग अलग ज़मानों में अलग-अलग वाक्यों की याद में बहुत से रोज़े बढ़ा लिये थे और ज़्यादातर ग़म के रोज़े थे और इस ग़म को ज़ाहिर करने के लिये अपनी ज़ाहिरी सूरत को भी वो उदास और ग़मगीन बना लेते थे। हज़रत ईसा अलै० ने अपने ज़माने में ग़म के

इस बनावटी तरीके को मना कर दिया। शायद इसी प्रकार के किसी रोज़े का अवसर था कि कुछ यहूदियों ने आकर हज़रत ईसा अलै० पर एतराज़ किया कि तैरे शागिर्द क्यों रोज़ा नहीं रखते, हज़रत ईसा अलै० ने इसके जवाब में फ़रमाया: "क्या बाराती जब दूल्हा उनके साथ है, रोज़े रख सकते हैं। जब तक दूल्हा उनके पास रोज़े नहीं रख सकते, पर वो दिन आयेगा जब दुल्हा उनसे जुदा कर दिया जाएगा, तब उन्ही दिनों में रोज़ा रखेंगे।"

इस वाक्य में दुल्हा से मुराद स्वयं हज़रत ईसा अलै० की मुबारक जात और बाराती से मुराद उनकी पैरवी करने वाले हैं। ज़ाहिर है कि जब तक पैग़मबर अपनी उम्मत में मौजूद है, उम्मत को ग़म करने की ज़रूरत नहीं, इन्हीं भागों से ज़ाहिर है कि हज़रत ईसा अलै० ने मूसा अलै० की शरीअत से फ़र्ज़ व मुस्तहब रोज़ों को नही बल्कि ग़म के कारण स्वयं के बनाए हुए रोज़ों को मना फ़रमाया। उन्होने खुद अपनी पैरवी करने वालों को बिना दिखावे का और मुख़लिसाना रोज़े रखने की नसीहत फ़रमायी है। इसीलिये आप अपने पैरोकारों को फ़रमाते है: "फिर जब तुम रोज़ा रखो दिखावा करने वालों की तरह अपना चेहरा उदास न बनाओ" क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं कि लोगों के नज़दीक रोज़ादार ठहरें हैं, तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना बदला पा चुके हैं, पर जब तुम रोज़ा रखो, अपने सर में तेल लगाओ, ताकि तुम आदमी पर नहीं अपने बाप पर जो पोशीदा है रोज़ेदार ज़ाहिर है। और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझको उचित बदला दे"

एक दूसरे स्थान पर हज़रत ईसा अलै० से उनके शागिर्द पूछते हैं कि हम पलीद रूहों को किस तरह निकाल सकते हैं वो इसके जवाब में फ़रमाते हैं कि ये जिन्स सिवाए दुआ और रोज़ा के किसी तरह से नहीं निकल सकते।"

अरब वाले भी इस्लाम से पहले रोज़ा से कुछ न कुछ जुड़े हुए थे, मक्का के कुरैश जाहिलियत के दिनों में आशूरा (यानि दस मुहर्रम) को इसलिये रोज़ा रखते थे कि इस दिन खाना—ए—काबा पर नया ग़िलाफ़ डाला जाता था, मदीना में यहूद अपना आशूरा अलग मनाते थे, यानि वही अपनी सातवीं महीने की दसवीं तारीख को रोज़ा रखते थे।

उपरोक्त वर्णन से सिद्ध होता है कि कुरआन की ये आयत (अनुवाद: मुसलमानों तुम पर रोज़ा इस तरह लिखा गया जिस तरह तुमसे पहलों पर लिखा गया) किस हद तक एतिहासिक तथ्यों पर आधारित है।

## रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाएल

जिन पांच चीज़ों को दीन के अरकान और उसकी बुनियाद करार दिया गया है उनमें से एक रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना भी है जिसका बुनियादी मक़सद ये है कि दिलों में अल्लाह का ख़ौफ़ और तक़वा पैदा हो जाये ताकि अल्लाह की रज़ा को पाने की राह भी आसान हो जाये।

रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ही बरकत वाला है। कुरआन व हदीस में तफ़सील से इसके फ़ायदे बयान किये गये हैं और इसमें रोज़ा रखने को फ़र्ज़ करार दिया गया है। अल्लाह तआला ने अपने कलाम पाक में इसकी फ़ज़ीलत बयान करते हुए इरशाद फ़रमाते हैं:

“रमज़ानुल मुबारक का महीना वही है जिसमें कुरआन नाज़िल किया गया, जो लोगों के लिये हिदायत है और हक़ की राह पाने और हक़ और बातिल में फ़र्क करने की रोशन दलील है।” (सूरह बकरा: 185)

रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ करार देते हुए इरशाद होता है:

“ऐ ईमान वालों! तुम पर उसी तरह रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसे तुमसे पहले लोगों पर किया गया था, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ” (सूरह बकरा: 183)

यानि रोज़े से नफ़्स को उसकी इच्छाओं से रोकने की आदत पड़ेगी तो फिर उसको उन इच्छाओं से जो शरीअत में हराम हैं रोक सकोगे और रोज़े से नफ़्स की ताक़त भी बढ़ेगी। तो अब तुम संयमी हो जाओगे, रोज़े में बड़ी हिकमत यही है कि सरकश नफ़्स का सुधार हो और शरीअत के हुक़म जो नफ़्स को बोझ लगते हैं उनको पूरा करना आसान हो जाये, और परहेज़गार बन जाओ।

आगे इरशाद है: “सो तुममें जो कोई इस महीने को पाये, तो उसके रोज़े ज़रूर रखे।” (सूरह बकरा: 185)

रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ीलत और उस पर अल्लाह के ईनाम के सिलसिले में बहुत सारी हदीसों मौजूद हैं। हम यहां कुछ हदीसों के ज़िक्र पर निर्भर करते हैं ताकि रमज़ानुल मुबारक की अज़मत, उसकी पाकी और उसमें इबादत का शौक और ज़ौक पैदा हो सके।

आप स०अ० को रमज़ान का बहुत एहतिमाम रहा करता था। इसी एहतिमाम की वजह से आप स०अ० शाबान ही से इबादत में बढ़ोत्तरी कर दिया करते थे।

रमज़ान की फ़ज़ीलत बयान करते हुए आप स०अ० एक हदीस में इरशाद फ़रमाया: “इन्ने आदम के हर अमल में दस गुना से लेकर सात सौ गुना तक इज़ाफ़ा किया जाता है, अल्लाह तआला फ़रमाता है कि इसमें सिर्फ़ रोज़ा अपवाद है इसलिये कि रोज़ा सिर्फ़ मेरे लिये है और उसका बदला सिर्फ़ मैं दूंगा, बन्दा सिर्फ़ मेरे हुक़म को मानकर अपनी शहवत और खाने-पीने को छोड़ देता है रोज़ेदार को दो खुशियां हासिल होती हैं। एक खुशी इफ़तार के वक़्त दूसरी खुशी अपने परवरदिगार से मुलाक़ात के वक़्त और रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह के यहां मुश्क़ की खुशबू से भी ज़्यादा पाकीज़ा है और रोज़ा ढाल है जो शैतान के वार से बचाता है। और जब तुममें से किसी का रोज़ा हो तो उसे चाहिये कि कोई गन्दी बात न करे, न चीखे-चिल्लाये अगर कोई उसे बुरा-भला कहे या झगड़ा करे तो कह दे मैं रोज़ा हूँ।” (बुख़ारी: 1904)

एक दूसरी हदीस में आप स०अ० का इरशाद है: “हज़रत अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है फ़रमाते हैं आंहज़रत स०अ० ने इरशाद फ़रमाया, “जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आ जाता है तो आसमान के सभी दरवाज़े खोल दिये जाते हैं, और जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं, और शैतान को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है” (बुख़ारी: 1899 मुस्लिम: 2495)

हज़रत सहल बिन साद फ़रमाते हैं कि नबी करीम स०अ० ने इरशाद फ़रमाया, “जन्नत के आठ दरवाज़े हैं, इसमें एक दरवाज़े का नाम है “बाबुर रेयान” (सैराब करने वाला गेट) है, इससे सिर्फ़ रोज़ेदार ही दाख़िल होंगे” (बुख़ारी: 1896)

मतलब ये है कि जिस तरह बड़े-बड़े प्रोगामों में वी. आई.पी. लोगों के लिये अलग गेट बनाया जाता है, इसी तरह अल्लाह तआला रोज़ेदारों का विशेषसम्मान करेंगे।

एक और हदीस में आप स०अ० ने इरशाद फ़रमाया कि जो ईमान रखते हुए और सवाब की उम्मीद के साथ रमज़ान के रोज़े रखता है तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं और जो ईमान रखते हुए और सवाब की उम्मीद के साथ क़्याम-ए-रमज़ान करे यानि तरावीह पढ़े उसके पिछले सभी गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं और जो ईमान रखते हुए और सवाब की उम्मीद के साथ लैलतुल क़द्र में क़्याम करे यानि नवाफ़िल वगैरह पढ़े उसके पिछले सभी गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं। (बुख़ारी: 1901)

## रमज़ानुल मुबारक एक नई ज़ुबुन की शुरुआत

मेरे दोस्तों और भाइयों! सबसे पहले तो आपको और खुद अपने को भी मुबारक बाद देना है कि अल्लाह तआला ने फिर रमज़ान का चांद दिखाया और फिर रमज़ान नसीब फ़रमाया। कितने हमारे दोस्त हैं जो शायद हमसे भी बेहतर होंगे (और अल्लाह के यहां किसका क्या स्थान है अल्लाह ही जानता है) रमज़ान से पहले ही खुश हो गये। अगर आपको कब्र में इसका एहसास हो (अगर अल्लाह चाहे) तो वो उस पर अफ़सोस करते होंगे कि आपको रमज़ान नहीं मिला।

**रमज़ान का कोई बदल नहीं:** रमज़ान का कोई बदल नहीं, सब महीने अल्लाह के हैं, बदलाव आता रहता है, लेकिन रमज़ान की विशेषता ये है कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरआन मजीद नाज़िल हुआ जो लोगों का मार्गदर्शक और (जिसमें) हिदायत की खुली निशानियां हैं और जो (सच व झूट को) अलग अलग करने वाला है।"

**रमज़ान के लाभ व श्रेष्ठता:** ये मामूली बात नहीं है कि हम बराबर जो चीज़ देखते रहते हैं, अक्सर जिस रास्ते से गुज़रते रहते हैं उस पर ध्यान नहीं देते। जो चीज़ बराबर सुनते रहते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं यहां तक कि अज़ान के अर्थ की ओर हर बार ध्यान नहीं जाता। ये साधारण बात नहीं जो अल्लाह तआला ने फ़रमाई कि रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरआन मजीद नाज़िल किया गया। जो सबसे बड़ी इज़्ज़त दी जा सकती थी किसी समय को, किसी जगह को वो यह कि उसमें अल्लाह का कलाम नाज़िल हुआ। जहां तक ज़मानों का सम्बन्ध है, महीने और जगहों का संबंध है इससे बढ़कर कोई बड़ाई की बात नहीं हो सकती जिसमें कुरआन मजीद अल्लाह का कलाम नाज़िल हुआ। एक तो इस पर मुबारकबाद कुबूल कीजिए कि अल्लाह तआला ने आपको फिर रमज़ान नसीब फ़रमाया या जो कोताहियां हमसे हुई हैं या जो हमारे ख़्याल में आ

सकती हैं खुद अपना हिसाब लेने से जो कमी रह गयी है पिछले रमज़ान में वो इसमें पूरी की जा सकती है।

बेशक मौसम सख्त है लेकिन इसके बराबर सवाब भी है। इस कठोर मौसम में कोई आश्चर्य नहीं अल्लाह तबारक व तआला रोज़े का सवाब कुछ ज़्यादा ही दें। इसमें रोज़ा रखने का, और मौसम की कठोरता बर्दाश्त करने और फिर उसके साथ रमज़ान के कामों को पूरे करने का सवाब परिश्रम के बराबर होता है।

**अल्लाह पर यकीन और सवाब की लालच:** इसमें पहली बात जो याद करने और दिल में बैठा लेने वाली है, वो ये कि अल्लाह के रसूल स०अ० ने विशेष इबादतों के संबंध में फ़रमाया है कि: "यानि जिस ने रात जागी, शब-ए-क़द्र में अल्लाह के वादों पर यकीन करते हुए और उसके अजर व सवाब की लालच में और उसके ख़्याल से, उसके पिछले सब गुनाह माफ़ हैं।" और "जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, अल्लाह के वादों पर यकीन करते हुए कि इस महीने की ये श्रेष्ठता है और इस महीने में ये काम करने का सवाब है और अल्लाह के यहां इस महीने का ये दर्जा है, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए इस हद तक महबूब है, और अल्लाह के सवाब की लालच में रोज़ा रखा और उसी शौक में कि अल्लाह सवाब दे, और कोई ज़ुबुन नहीं कि जैसे रमज़ान की गिनती पूरी हो जाए, लोग ये न कहें कि रोज़ा नहीं रखे, और हमारा दिल भी सन्तुष्ट होकर रोज़े रख ले, लेकिन सवाब का रमज़ान की श्रेष्ठता व महत्व का और रमज़ान के सवाब का ख़्याल नहीं कि वो हमारे लिए दुश्वार हो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आदत या रिवाज या माहौल के असर से या ख़ानदानी रिवायत की बिना पर रोज़े रखते हैं।"

**रोज़ा इफ़तार के लिए:** इस सिलसिले में एक अनुभव हुआ कि एक बार आज से लगभग बीस पच्चीस तीस साल पहले की बात है लखनऊ रेडियो स्टेशन ने

हम से एक भाषण लिखवाया कि वो रमज़ान की पहली तारीख़ को प्रसारित किया जाएगा वो हमने लिखकर दे दिया। उसके बाद मुझे एक लम्बा सफ़र करना पड़ा। जिसमें पेशावर, कोएटा और कन्धार के रास्ते मैंने अफ़ग़ानिस्तान के निकट तक का सफ़र किया जो एक दीनी आवश्यकता के कारण किया गया था। हम कोएटा में थे कि रमज़ान का चांद नज़र आया। एक फ़ौजी अफ़सर ने या किसी रईस ने दावत की तो उसमें एक फ़ौजी अफ़सर भी शामिल हुए, जो हिन्दुस्तान के थे वो रेडियो से तक़रीर सुनकर आये थे (हमें तो उसका मौक़ा नहीं था) उन्होंने कहा मौलाना हमने लखनऊ रेडियो स्टेशन से आपका भाषण सुना तो उसमें आपने रमज़ान के बहुत से फ़ाएदे बयान किये और उसकी विशेषता की चर्चा की लेकिन आपने एक बात का ज़िक्र नहीं किया रोज़ा खोलने में जो मज़ा आता है वो किसी चीज़ में नहीं आता। गर्मी का ज़माना है तो पानी पीने में और सर्दी का मौसम है तो इफ़तार करने में जो मज़ा आता है वो दुनिया की किसी नेमत में नहीं आता और मैं तो रोज़ा इसीलिए रखता हूँ। उन्होंने साफ़ कह दिया कि मैं तो रोज़ा इसीलिए रखता हूँ। इसी मज़े के लिए कि रोज़ा रखकर जब अफ़तार करो तो वो मज़ा आता है जो दुनिया की किसी नेमत में, किसी बड़ी से बड़ी खुराक में खाने में, फल और मेवे में नहीं आता।

**रोज़ा आदत या इबादत:** ये बात बड़ी आजमाइश की है, सारी दुनिया के लिए और मुसलमानों के लिए भी इन्सान होने की हैसियत से कि आदत और इबादत इन दोनो चीज़ों में फ़र्क है। इनमें आपसी तमीज़ नहीं हो पाती तो अक्सर ऐसा होता है कि इबादत आदत बन जाती है और इसमें ख़याल नहीं होता कि हम ये किसके लिए कर रहे हैं। यहां तक कि नमाज़ कई बार बिल्कुल आदत बन जाती है। नमाज़ पढ़ने की आदत पड़ गयी, समय हुआ तो पहुंच गये मगर कोई ख़याल नहीं कि हमारे एक एक क़दम का सवाब मिल रहा है और कितनी दूर जा रहे हैं और मस्जिद पहुंच रहे हैं फिर मस्जिद में इस नियत से पांव रखें और कहें: "अल्लाहुम्मा अफ़तहा लि अबवाबि रहमतिका" और सोचे कि हम अल्लाह के घर आ गये। रहमत व बरकत की जगह में आ गये।

बस वो जैसे एक ढली हुई चीज़ होती है इस तरह

धार्मिक जीवन भी ढल जाता है कि हर चीज़ अपनी जगह पर अपने समय पर होती है लेकिन तमीज़ नहीं होता, ख़याल नहीं होता।

**रोज़ा अल्लाह की रज़ा का ज़रिया:** पहली बात तो ये कि आप इसमें अपने ध्यान को स्थिर रखें कि रोज़ा न दिखाने के लिए, न रिवाज के लिए, और न किसी शर्म से कि लोग कहेंगे ये कैसे रोज़ा छोड़ते हैं और रोज़ा नहीं रखते हैं, बल्कि इसका ख़याल होना चाहिए।

और ऐसे ही शब-ए-क़द्र के संबंध में आता है: "जो शब-ए-क़द्र में इबादत करे अल्लाह पर यकीन करते हुए उसके वादों पर यकीन करते हुए और उसके सवाब की लालच में तो उसके पिछले सभी गुनाह माफ़ हो जाएंगे।"

तो एक बात तो ये है कि पूरा ख़याल हो और ज़रा ध्यान को ताज़ा कर लिया जाए कि हमने ये रोज़ा अल्लाह की खुशी के लिए रखा है इसलिए रोज़ा फ़र्ज़ है।

**अल्लाह की रहमत का प्रतिविम्ब:** अल्लाह तआला ने रमज़ान में बड़ी विशेषता रखी हैं, इसमें बड़ी बरकतें हैं, इसमें अल्लाह तआला की रहमत जोश में आ जाती है, फैल जाती है, इसमें बड़े-बड़े गुनहगारों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं।

**तिलावत का मौसम:** फिर इसके बाद इस रोज़े में आप अपने वक़्त को जितना इबादत में लगाए रखेंगे, नफिलों में और उससे बढ़कर उसमें कुरआन शरीफ़ की तिलावत, आप की ताक़त व सेहत के अनुसार, आम दिनों के मुक़ाबले में ज़्यादा होनी चाहिए अल्लाह के ऐसे भी बन्दे होते जो एक एक कुरआन मजीद रोज़ पढ़ लेते हैं। हज़रत शेख़ुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रह0 लगभग एक कुरआन मजीद रोज़ ख़त्म कर लेते थे। हमने भी कई रमज़ान इनके साथ गुज़ारे हैं, हम कई बार रमज़ान में हाज़िर हुए हैं और बाकी ये कि इससे कम तो लोग करते ही थे, और फिर अदब के साथ और अल्लाह की नेमत समझ कर कि अल्लाह तआला ने कुरआन मजीद की तिलावत करने की रमज़ान में हमें तौफ़ीक दी। रमज़ान जो उसका महबूब महीना है उस महीने में कुरआन मजीद पढ़ने का जो सवाब है वो साधारण दिनों में नहीं है।

**इबादत व इत्ताअत का महीना:** दूसरी बात ये कि इसमें हमारा अधिकतर समय इबादत, अल्लाह के ज़िक्र, तौबा व इस्तग़फ़ार, दुआ व मुनाजात, और कुरआन की तिलावत में गुज़रे। लेकिन ज़्यादा बातचीत न करें, उसमें गीबत न हो और गीबत से बहुत बचना चाहिए। आम तौर पर और रमज़ान में ख़ास तौर पर, जैसे दोस्तों की बातें होती हैं, अपने घर में शहर का हाल बयान कर रहे हैं, मौसम का ज़िक्र कर रहे हैं या अपनी ज़िन्दगी के कुछ हालात बयान कर रहे हैं या बूझ रहे हैं या और कोई समय बिताने के लिए ऐसी तफ़रीह की बातें कर रहे हैं। जहां तक हो सके या कुरआन मजीद की तिलावत में समय बिताए, या फिर आराम में समय बिताया जाए, या मस्जिद में एतकाफ़ की नियत से रहा जाए। एक एतकाफ़ तो है आखिरी अशरे का, लेकिन ये एतकाफ़ हर समय हो सकता है इस समय से लेकर अस्स तक के लिए एतिकाफ़ में हैं, और अस्स से लेकर मग़रिब तक एतिकाफ़ हैं ये छोटा एतकाफ़ होता है ये भी हो सकता है।

**बन्दों के अधिकारों की चिन्ता:** और फिर उसके बाद एक बात करने की ये है कि जो बन्दों के हक़ हमारे जिम्मे हैं उनको सोच ले और इरादा कर ले कि अब उनको अदा करेंगे, जिसका जो हक़ है उसको दे देंगे और हमसे जो लापरवाहियां हुई हैं उनसे बचेंगे और तौबा व इस्तग़फ़ार भी करेंगे।

**रमज़ान नई ज़िन्दगी की शुरुआत:** इस रमज़ान से आगे की ज़िन्दगी का नया नक्शा बनाएंगे कि एक ज़िन्दगी शुरू होती है विलादत से, एक ज़िन्दगी शुरू होती है जवानी से, एक ज़िन्दगी शुरू होती है किसी मदरसे से तालीम हासिल करके, एक ज़िन्दगी शुरू होती है हज से, और एक ज़िन्दगी शुरू होती है रमज़ान से भी। आप ये इरादा करें कि अब इस रमज़ान से नमाज़ों की पाबन्दी इससे अधिक करेंगे जितना करते थे, इससे पहले तो जमाअत छूट जाती थी, कभी देर हो जाती थी, कभी सो जाते थे, अब जमाअत का और एहतमाम करेंगे, ये इरादा आप रमज़ान में कीजिए।

**अधिकारों में छूट व पूर्ति:** और ऐसे में जो शरई अधिकार आप पर वाजिब होते हैं विरासत के हैं, जाएदाद के हैं, और साझे के व्यापार के हैं। उनका भी इरादा इसी रमज़ान में कीजिए कि हम इन्शाअल्लाह वो अपने जिम्मे नहीं रखेंगे, उनको अदा करेंगे

**पढ़ने वालों और उलमा और नेक लोगों के नक्शे कदम पर चलना:** और ये इरादा भी कीजिए कि हम इस रमज़ान के बाद ज़्यादा से ज़्यादा दीनी जानकारी हासिल करेंगे, दीनी किताबें पढ़ेंगे, दीनी सोहबत में बैठेंगे, तब्लीग़ में जाएंगे, या उलमा की मजलिस में बैठेंगे या अल्लाह के नेक बन्दों की ज़ियारत के लिए जाएंगे।

**रमज़ान इन्क़लाब का महीना:** ये सब इरादे इस रमज़ान में कीजिए तब ये रमज़ान आप की ज़िन्दगी में इन्क़लाब लायेगा, इससे एक नई ज़िन्दगी शुरू होगी और रमज़ान से नई ज़िन्दगी शुरू होनी चाहिए।

**सही नियत और अमल में इस्तेमाल:** और इतना ही ज़रूरी है कि आप अपनी नियत सही कर लें और ईमान व सवाब की उम्मीद के अनुसार जो किया गया है वो अल्लाह के वादों पर यकीन करते हुए और उसके सवाब की लालच में हम रोज़ा रख रहे हैं और उसको ज़रा ज़हन में ताज़ा कर लीजिए तो इसका सवाब बहुत होगा।

**आटोमेटिक वजू और मशीनी नमाज़:** हज़रत मौलाना मुहम्मद इलियास साहब रह० फ़रमाते थे कि लोग वजू करते हैं और उनको ख़याल नहीं होता, हालांकि हदीस में आता है कि जब बन्दा हाथ धोता है तो हाथ से जो कुछ गुनाह हुए हैं, और जो कोताहियां हुई हैं, और जो सुस्तिया हुई हैं और जो छोटे गुनाह हुए हैं सब माफ़ हो जाते हैं मुंह पर पानी डालता है तो आंख से जो कोताहिया हुई हैं, और जो ज़बान से हुई हैं वो सब माफ़ हो जाती हैं इसका किसी को ख़याल ही नहीं होता, बस वो जैसे किसी चीज़ का मशीनी आटोमेटिक तरीका होता है वैसे हमारा वजू भी आटोमेटिक हो गया है और अल्लाह माफ़ करे बहुत से लोगों की नमाज़ें भी मशीनी हो गई हैं। आए और खड़े हुए और अल्लाहु अकबर कहा, कुछ ख़याल नहीं कि हम किसके सामने खड़े हैं? ये कौन सी नमाज़ है? इसका क्या सवाब है? फिर उसमें जो पढ़ा जाता है अगर तन्हा पढ़ रहा है तो उस पर गौर करे अगर किसी नमाज़ में इमाम के पीछे है तो किरात पर गौर करे।

ये सब चीज़े सांचे में ढलकर बिल्कुल स्वभाव व आदत हो गयी हैं। इन सब चीज़ों में इसी रमज़ान में आपकी ज़िन्दगी में कोई अच्छा बदलाव या तरक्की हो जाती है।

## रमज़ानुल मुबारक की आमद

रमज़ान की मुबारक आमद आमद है। कितने खुशानसीब हैं वो भाई और बहनें जिनकी ज़िन्दगी में मुबारक महीना फिर आया है, और उनमें सबसे ज़्यादा खुशानसीब वो हैं जो इस मुबारक महीने की कद्र व कीमत पहचानें और इसका पूरा हक़ अदा करें। ये मुबारक महीना देखने में बारह महीनों में से एक महीना है लेकिन खुदा ने इसमें जो बरकतें और रहमतें रखी हैं वो किसी और महीने को हासिल नहीं। इसकी कद्र व कीमत का अन्दाज़ा रसूलुल्लाह स०अ० के इरशादात और आप स०अ० के तरीकों से कीजिए।

हमारे आपके आका हज़रत मुहम्मद स०अ० शाबान ही के महीने से रमज़ानुल मुबारक की तैयारी फ़रमाया करते थे और शाबान का अधिकतर हिस्सा रोज़े में गुज़ारते और जब रमज़ान करीब आता तो रमज़ान से संबंधित हिदायत देते, इसके फ़ाएदे बताते और लोगों को रमज़ानुल मुबारक में इबादत और मेहनत, त्याग, सदका व ख़ैरात, इस्तिग़फ़ार व तिलावत की ताकीद और इस माह में ग़फ़लत और कोताही पर सख़्त गुस्सा फ़रमाते। हज़रत उबादा बिन सामित से रिवायत है कि एक बार हुजूर स०अ० ने रमज़ानुल मुबारक के करीब फ़रमाया कि:

“रमज़ान का महीना आ गया है जो बड़ी बरकत वाला है। अल्लाह इसमें तुम्हारी तरफ़ अधिक ध्यान देता है, अपनी रहमतों से नवाज़ता है, गुनाहों को माफ़ करता है, दुआ कुबूल करता है और तुम्हारे एक दूसरे से बढ़कर नेकी करने को देखता है और फ़रिश्तों में फ़ख़्र से बयान करता है, बस अल्लाह को अपनी नेकी दिखाओ। बदनसीब है वो जो इस महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाए।”

दूसरी जगह इरशाद फ़रमाया! मेरी उम्मत को रमज़ान के बारे में पांच ख़ास नेमतों से नवाज़ा गया है जिनसे पहली उम्मतें महरूम थीं।

1. उनके मुंह की बू जो रोज़े की वजह से पैदा हो जाती है, अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसन्दीदा है।

2. उनके लिये दरियां की मछलियां तक दुआ करती हैं।

3. जन्नत उनके लिये हर रोज़ सजाई जाती है और अल्लाह फ़रमाता है कि करीब है कि मेरे बन्दे अपने ऊपर से परेशानियों का बोझ उतार कर तेरे अन्दर आ जाए।

4. सरकश शैतान कैद कर दिये जाते हैं।

5. रमज़ान की आख़िरी रात में रोज़ा दारों की मग़फ़िरत कर दी जाती है।

आप के अलावा सहाबा किराम रज़ि० और सहाबी बीवियों रज़ि० का हाल रमज़ान आते ही कुछ से कुछ हो जाता और वो हज़रात रात भर इबादत करते, दिन को रोज़े रखते, और केवल खाने पीने से बचते बल्कि हर छोटे से छोटे गुनाह से भी अपने को बचाते, अपनी निगाहों की और अपनी ज़बान की हिफ़ाज़त करते यहां तक कि सहाबी बीवियां रज़ि० अपने बच्चों और बच्चियों को रोज़ा रखने की आदत डलवाते। रमज़ानुल मुबारक का मौसम बहार बन कर आता। रमज़ान उनके घरों में आता तो खुशी की शहनाइयां बजतीं। चेहरों पर रौनक आ जाती। दिन हो या रात हर घर से कुरआन मजीद पढ़ने की आवाज़ आती। कहने का अर्थ ये कि ग़रीब व अमीर, जाहिल व आमिल, मर्द व औरत, छोटा व बड़ा, हर एक मस्त और मगन नज़र आता और जब रमज़ान रुख़सत हो जाता तो ये अपने ग़मज़दा दिल और नम आंखों से विदा करते। दुआ करते कि खुदाया हमारी ज़िन्दगी में ये दिन फिर नसीब हों।

ये तो हाल था उन बुजुर्गों का लेकिन अब ज़रा अपनी हालत का निरीक्षण कीजिए कि आज कल जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो हमारा क्या हाल होता है। न वो उमंगें होती हैं,

(शेष पेज 15 पर)

## खैर व बरकत का महीना

रमज़ानुल मुबारक का महीना खैर व बरकत का महीना है। ईमान व इबादत का महीना है। मुसलमानों को मुसलमान बनकर और अपने आमाल को अल्लाह की रज़ा के अनुसार ढालने की कोशिश का महीना है। दौलतमन्द को अपनी दौलत के ज़रिये खुदा को राज़ी व खुश करने का और ग़रीब को अपनी ग़रीबी के बावजूद नेक अमल करने का महीना है। ये महीना आता है तो फ़िज़ा को नूर वाला बना देता है। ईमान वालों में खुशी की लहर दौड़ा देता है। मुसलमानों की सुबह शाम को अजीब रौनक से रौनक वाला बना देता है। बड़े उम्र के लोग इख़्लास के साथ नेकी करते हैं। छोटी उम्र के लोग इस माह की लज़ज़त भरी इफ़्तारी से आनन्द प्राप्त करते हैं। इसकी फ़ज़्र की सहरियां या उसकी सूरज डूबने के बाद की इफ़्तारियां या उसकी रातों का ज़िक्र व इबादत, उसके दिनों की तिलावत, सब इसकी रौनक को दो गुना कर देते हैं। फिर उन सब बातों पर हासिल होने वाला सवाब मोमिन के दिल को खुश कर देता है क्योंकि अल्लाह तआला की तरफ़ से उस पर ख़ास सवाब देने का वादा है।

रमज़ान का रोज़ा अस्ल में विभिन्न प्रकार के आमालों का संग्रह है। इसमें मुसलमान को अपने परवरदिगार की रज़ा की तलब में अपने नफ़्स को मारना पड़ता है। इसमें आख़िरत के सवाब के लिये अपने माल को ख़र्च करने, अपने परवरदिगार की याद को दिल में जगाने के लिये नमाज़ व तिलावत का ख़ास मौक़ा मिलता है। अपनी ज़बान को खूबी और नेकी का पाबन्द बनाने का माहौल मिलता है। अपने वक़्त को साफ़-सुथरे और पाकीज़ा काम के साथ जोड़ने का साधन मिलता है और नेक अमल की तौफ़ीक़ होती है।

रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तआला के हुक्म से शैतान कैद कर दिये जाते हैं। शैतान जिनका काम बस ये है कि वो इन्सानों को अच्छे कामों से रोकें और बुरे

कामों में लगाएं। इस माह में अपने इस ज़ालिमाना और गन्दे काम से रोक दिया जाता है। इसके नतीजे में नेकी करने वालों को नेकी करने में आसानी होती है और बुराई अपनाने वालों को बुराई की ओर जाने में उतना आकर्षण नहीं बाकी रहता जितना ग़ैर रमज़ान में होता है।

हर इन्सान नफ़्स व नफ़िसयात से भी जुड़ा हुआ है। इन्सान का नफ़्स आनन्द प्राप्त करने वाला और राहत तलब होता है। इसमें लालच का भाव भी होता है और स्वार्थ का भाव भी होता है। ज़िन्दगी की बहुत सी बुराइयों को अपनाने में इन्सान का नफ़्स साधन बनता है। इसमें शैतान के प्रयास पर ही आधार नहीं। शैतान इसमें केवल बढ़ावा देता है और ताक़त पहुंचाता है और दूसरी बड़ी बुराइयों की ओर प्रेरित करता है और उनमें सहायता करता है। रमज़ान में जो बुराइयां की जाती हैं वो उसके लिये कम होती हैं कि वो केवल नफ़्स के असर से होती हैं। उनमें शैतान का सहारा नहीं मिलता।

लेकिन इन्सानी नफ़्स कुछ इन्सानों में और कुछ अवसरों पर इतनी बड़ी और मोटी हो जाती है कि उसको अपने बुरे कामों के लिये शैतान के सहारे की कोई ख़ास आवश्यकता नहीं होती। ये नफ़्स रमज़ान के महीने में भी अपना काम कर सकती है और करती है। लेकिन अल्लाह तआला ने रोज़े में ये असर भी रखा है कि वो नफ़्स को कमज़ोर कर दे और उसको उसके बुरे प्रभाव से रोके और उसके असर को कम कर दे। क्योंकि रोज़ा अस्ल में नफ़्स के ख़राब असर को तोड़ने का अमल है। इन्सान का पेट जब ख़ाली होता है और प्यास का एहसास होता है तो बुराइयों की तरफ़ उसका रुझान कमज़ोर पड़ जाता है। इन्सान में भरे पेट के साथ ग़लत कामों की ओर जो आकर्षण होता है वो ख़ाली पेट में और इन्सानी इच्छा के पूरे न होने के मौक़े पर नहीं होता है। इसलिये हुज़ूर स०अ० ने ऐसे व्यक्ति को जिसकी नफ़्सानी इच्छा ज़्यादा होती हो लेकिन उसके पास

पारिवारिक जीवन अपनाते की आर्थिक सामर्थ्य न हो, रोज़े रखने की ताकीद फ़रमाई ताकि वो अपनी ख़्वाहिश पर ग़ल्बा पा सके उसकी ख़ातिर ग़लत काम में लिप्त न हो जाए। रोज़े की बनावट अल्लाह तआला ने ऐसी बनायी है कि वो नेकियों की राह बनाता है और गुनाहों की राह से रोकता है। लेकिन रोज़े का असर और उसकी नेक फ़िज़ा उसी समय अपना काम करती हैं जब रोज़े को इसके आदाब और उसकी तय की गयी एहतियातों के साथ रखा जाए। वो खुदा के लिये हो। अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिये न हो। रोज़े में जो बातें मना की गयी हैं उनसे पूरा परहेज़ हो और रोज़े की फ़िज़ा को कायम करने के लिये जो काम बताये गये हैं वो अपनाए जाएं।

रोज़ा यूं ज़ाहिर में फ़ज़ के समय से सूरज डूबने के समय तक खाने-पीने और हमबिस्तरी से बचने का नाम है। लेकिन इसके साथ-साथ झूठ से, ग़ीबत से और जबान व हाथ के दूसरे गुनाहों से पूरे परहेज़ का नाम भी है। इसलिये हदीस शरीफ़ में आया कि किसी ने रोज़ा रखा और खाने से परहेज़ किया लेकिन ग़ीबत, झूठ जैसे कामों से परहेज़ नहीं किया तो उसको क्या ज़रूरत थी कि वो भूखा प्यासा रहे। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे व्यक्ति का रोज़ा बेकार गया। इसलिये कई फ़िक् के अइम्मा के यहां झूठ बोलने और ग़ीबत करने से भी रोज़ा टूट जाता है। लेकिन सब अइम्मा के नज़दीक ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि रोज़े का ज़ाहिर अमल तो अन्जाम पा जाता है क्योंकि अस्ल शर्त पूरी हो गयी इसका सवाब जाता रहता है। क्योंकि इसके आदाब का लिहाज़ नहीं किया। रोज़ा को अल्लाह तआला ने नेकियों का मौसम बनाया है इसमें जिस कद्र नेकी करने की सूरतें बनती हैं दूसरी इबादतों में मुश्किल से बनती हैं। इसमें तो एक खुद रोज़ा बड़ा अमल है फिर इसमें नमाज़ें हैं, कुरआन मजीद की तिलावत है, ग़रीबों की मदद है, और बिला क़ैद हर समय खाने पीने से रोक है और तक़्वा की कैफ़ियत अपनाने का अवसर है।

फिर और उसमें नेकी करने का सवाब सत्तर गुना कर दिया जाता है। ग़ैर रमज़ान में की जाने वाली एक नेकी और रमज़ान में की जाने वाली एक नेकी के सवाब में एक और सत्तर का फ़र्क है।

फिर रमज़ान में रोज़े रखना सभी मुसलमानों पर एक साथ फ़र्ज़ किया गया है इसलिये मुसलमानों के समाज में इस पूरे समय में हर ओर एक ही फ़िज़ा बन जाती है और वो फ़िज़ा है नेकी की, हमदर्दी की, नमी की, और आख़िरत की चाह की, एहतियात व इबादत की फ़िज़ा होती है।

इसलिये रमज़ान में उन लोगों को जिनको रमज़ान में बीमारी या सफ़र के कारण रोज़ा छोड़ने की आज्ञा दी गयी है उनको भी ये मना है कि वो जन साधारण के बीच न खाएं। उनको आदेश है कि सबसे अलग जगह ऐसा करें ताकि रोज़े का वातावरण प्रभावित न हो।

रमज़ान अस्ल में नफ़्स को काबू करने और उसकी बुरी ताक़त को कमज़ोर करने की एक वार्षिक प्रशिक्षण व्यवस्था है। इस व्यवस्था से हर मुसलमान को साल में एक बार गुज़रना पड़ता है। आवश्यकता है कि जिस प्रकार हम ज़िन्दगी की ज़रूरतों के लिये किसी भी वार्षिक प्रशिक्षण कैम्प या प्रशिक्षण स्थल में समय ध्यान के साथ बिताते हैं रमज़ान के इस निज़ाम में भी इसके आदाब और आदेशों के अनुसार समय बिताएं ताकि हम इस सालाना प्रशिक्षण व्यवस्था से पूरी तरह कामयाब होकर और एक नेक और सच्चे मुसलमान बन कर निकला करें।

रोज़े के लाभ और अल्लाह के निकट इसके महत्व की ये बड़ी दलील है कि अल्लाह ने दूसरे आमाल के मुक़ाबले में इससे अपनी पसन्द अधिक प्रकट की है।

(हज़रत अबू हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलल्लाह स०अ० ने (रोज़े की फ़ज़ीलत और कद्र व कीमत बयान करते हुए) इरशाद फ़रमाया कि आदमी के हर अच्छे अमल का सवाब दस गुने से सात सौ गुने तक बढ़ जाता है। मगर अल्लाह तआला का इरशाद है कि: रोज़ा इस आम क़ानून से ऊपर है, वो बन्दे की तरफ़ से ख़ास मेरे लिये एक तोहफ़ा है, और मैं ही (जिस तरह चाहूंगा) इसका अज़्र व सवाब दूंगा। मेरा बन्दा मेरी रज़ा के लिये नफ़्स की ख़्वाहिश और अपना खाना पीना छोड़ देता है (तो मैं खुद ही अपनी मर्जी के अनुसार उसकी इस कुर्बानी और नफ़्स को मारने का सिला दूंगा)

अल्लाह तआला हम सबको रमज़ान और उसके रोज़ों की कद्र की तौफ़ीक़ दे। आमीन।

## कुरआन करीम और रमज़ान मुबारक

वो रमज़ान का बरकतों वाला महीना था और शब-ए-क़द्र थी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम बड़ी आन-बान के साथ लौह-ए-महफूज़ से आसमान व दुनिया में उतारा गया और उस कलाम के नूर से सारा आसमान जगमगा उठा। वो भी रमज़ान नही का मुबारक महीना था जब अल्लाह तआला के नूर से ये ज़मीन भर गयी थी। सदियों से महरूम इन्सान पर अल्लाह के नूर की बारिश होने लगी। रहमत-ए-आलम, जगनायक हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा स०अ० के मुबारक सर पर नबूवत व रिसालत का ताज रखा गया। ये ताज आप स०अ० की हस्ती पर ऐसा सजा कि कायनात के ख़ालिक ने उस पर नबूवत व रिसालत के ख़ात्मे का फ़ैसला फ़रमा दिया।

कुरआन करीम और रमज़ानुल मुबारक के बीच ऐसा हसीन संबंध है कि इस मुबारक महीने के बारे में सोचने ही से अल्लाह के कलाम के नग्मे और ज़मज़मे कानों में रस घोलने लगते हैं। रमज़ान की रात में नफिलें पढ़ने को एक मुस्तक़िल इबादत घोषित करके अल्लाह के रसूल स०अ० ने कुरआन के साथ इस महीने को हमेशा के लिये जोड़ दिया। जिब्रईल-ए-अमीन सबसे पहले इस मुबारक महीने में कुरआन की सौगात लेकर आये थे। फिर हर रमज़ान में खासकर कुरआन करीम सुनने-सुनाने के लिये तशरीफ़ लाने का नियम बन गया।

कुरआन करीम के ज़रिये ये बात साफ़ हो जाती है। इरशाद है:

“अल्लाह और उसकी आयतों के बाद अब ये किस बात पर ईमान लायेंगे।”

यानि जब कुरआन ही पर ईमान न ला सके तो अब क्या ख़ाक़ ईमान लायेंगे! कुछ इसी तरह रमज़ान से भी अल्लाह की चर्चा सामप्त हो जाती है। हज़रत जिब्रईल अलै० ने फ़रमाया, “वो शख्स हलाक हो जाये जिसे रमज़ान का महीना मिला फिर भी उसकी मग़फ़िरत न हो

सकी।” इस बददुआ पर रसूलुल्लाह स०अ० ने ‘आमीन’ फ़रमायी। यानि रहमतों और बरकतों के इस महीने में भी अगर कोई बदनसीब मग़फ़िरत से महरूम रहा तो फिर कब मग़फ़िरत का मुस्तहिक (लायक) हो सकता है?!

कुरआन करीम मुकम्मल फ़ज़ल व करम है। इसी कलाम से इन्सानियत का दामन मुंह मांगी मुरादों से भर दिया गया। इसी तरह रमज़ान का मुबारक महीना भी सखावत (दान) के रास्ते खोलता है। रसूलुल्लाह स०अ० वैसे भी दुनिया जहां के सखी थे। इस पर अगर रमज़ान मुबारक का महीना हो तो सखावत की कैफ़ियत ही कुछ और होती है। रावी (हदीस की रिवायत करने वाला) के शब्द हैं: “बारिश से पहले जो ठन्डी-ठन्डी सुकून बख़्श हवाएं चलती हैं और पूरे वातावरण पर इस तरह छा जाती हैं कि कोई व्यक्ति इससे वंचित नहीं रहता, आप की सखावत हवाओं से भी बढ़कर पूरी फ़िज़ा पर छायी रहती, ख़ासतौर पर इस मुबारक महीने में जब हज़रत जिब्रईल अलै० से मुलाकात का सिलसिला रहता तो फिर सखावत व फ़ैय्याज़ी की कोई इन्तिहा न रहती।” अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ़ से इस मुबारक महीने में फ़ज़ल करम के जो दरवाज़े आप स०अ० हम पर खोल गये थे आप स०अ० की बख़्शिश व सखावत अल्लाह के इसी इनाम का अमली नमूना थी।

कुरआन करीम सीधी राह पर डट जाने का जो हौसला पैदा करता है और हर तरह के हालात का सामना करने की ज़ुरत बख़्शाता है: “आप काफ़िरों का कहना न मानिये और कुरआन के ज़रिये उनसे निहायत ज़बरदस्त मुकाबला कीजिये।”

इसी तरह रमज़ान का महीना भी सीधी राह के अर्थ से अमली तौर पर जोड़ता है। हदीस पाक में इस मुबारक महीने को “शहरुस्सब्र” (सब्र का महीना) कहा गया है।

कुरआन करीम की तिलावत दिलों में नर्मी और

कोमलता पैदा करती है। कभी-कभी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन बन्दों की तारीफ़ फ़रमायी है जो उसके कलाम को सुनकर रोते हैं और सजदों में गिर पड़ते हैं: "अल्लाह के ये हिदायत पाये हुए बन्दे वो हैं जिनके सामने रहमान की आयतें तिलावत की जाती हैं तो वो रोते हुए अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाते हैं।"

इसी तरह रमज़ान के रोज़े भी भूख व प्यास का एहसास दिलाकर उन नादारों के लिये दिलों में रफ़्त पैदा करते हैं जो ज़िन्दगी की ज़रूरतों तक से महरूम हैं।

कुरआन के नुज़ूल (अवतरित) होने के ज़माने में भविष्यवाणी समाप्त हो गयी थीं। किसी शैतान की मजाल नहीं थी कि कोई ख़बर चोरी छिपे उचक ले। अल्लाह तआला का इरशाद है: "शैतान को सुनने ही से अलग-थलग कर दिया गया।" इसी तरह रमज़ान के महीने में भी शैतान कैद कर दिये जाते हैं और नेकी की राह और आसान कर दी जाती है।

कलाम पाक की तिलावत और दुआ में किस कदर गहरा संबंध है ये हर कोई जानता है। नबी करीम स०अ० खासकर तहज्जुद की नमाज़ में तिलावत के दौरान जहां रहमत की आयत आती वहां अल्लाह से रहमत की दुआ फ़रमाते, जहां अज़ाब की आयत आ जाती वहां अल्लाह के अज़ाब से पनाह चाहते थे, बिल्कुल इसी तरह रमज़ान के रोज़ों और दुआ की कुबूलियत में बड़ा मज़बूत संबंध है। अल्लाह के रसूल स०अ० का इरशाद है: "रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती।" मुबारक महीना बिल्कुल क़रीब है। ये "शहरुस्सियाम" के साथ "शहर-ए-कुरआन" भी है। नबी करीम स०अ० का इरशाद है: "रोज़ा और कुरआन बन्दे की सिफ़ारिश करेंगे।" खुशनसीब हैं वो जो रोज़ों से तक़वे की बुलन्दियां तय करते हैं और कलाम पाक की तिलावत से अल्लाह की मुहब्बत में तरक्की करते हैं। यही लोग रोज़े व कुरआन की सिफ़ारिश के मुस्तहिक होंगे।

### शेष: रमज़ानुल मुबारक की आमद

न वो इबादत का ज़ब्बा, न वो निगाहों व ज़बान की हिफ़ाज़त, न तिलावत का शौक, न अस्तग़फ़ार की कसरत, हम मुसलमान भाइयों और बहनों में ऐसे बहुत मिलेंगे जो रोज़ा तक नहीं रखते और खुदा के हुक्म को पीठ पीछे डाल कर आज़ादी से

ज़िन्दगी गुज़ारते हैं। रमज़ान आता है और गुजर जाता है और अल्लाह के उन बन्दों को पता तक नहीं चलता कि वो किस मुबारक महीने की छत्रछाया में हैं, बल्कि रमज़ान के आने से उनको तकलीफ़ और उसके जाने से खुशी महसूस करते हैं, न तो रोज़ा रखते हैं न अफ़सोस होता है। मुझको अपने बचपन का एक किस्सा याद है कि मेरे यहां एक मुसलमान औरत आयी, वो रोज़े से न थी, बीबियों ने उससे कहा कि तुम रोज़ा क्यों नहीं रखती, तो उसने बड़ी हिम्मत से जवाब दिया, "मैं रोज़ा क्यों रखूँ, क्या मेरे यहां खाने को नहीं" ये जुम्ला कितना कठोर और गुस्ताखी भरा है। खुदा इससे हमको बचाए।

एक ज़माना था कि रोज़ा रखने वाले और न रखने वाले सभी लोग रमज़ान की इज़्ज़त करते थे। बाज़ारों में खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती थीं। दुकानों पर पर्दे पड़ जाते थे, कोई बीमार और विकलाग आदमी भी सबके सामने न खाता था। हर आने जाने वाला देख कर जानता था कि ये रमज़ान का महीना है। ग़ैर मुस्लिम भी परहेज़ करते थे। लेकिन आज दिन-प्रतिदिन ये सम्मान समाप्त हो रहा है। आज खुद मुसलमान धड़ल्ले से खाता पीता है और अपने मज़हब और अपने दीन का मज़ाक उड़ाता है। बाज़ारों में मुसलमान मर्द और औरतें खाने पीने से नहीं हिचकिचातीं। इन आखों ने खुद रोज़े के दिनों में मुसलमान बुरका पोश औरतों को खाते पीते देखा है। इससे बढ़कर खुदा के हुक्म के साथ और क्या होगा और इससे बढ़कर बेइज़्ज़ती की बात और क्या होगी। लेकिन इसके साथ-साथ मुसलमानों की संख्या भी माशाअल्लाह कम नहीं जो रमज़ान का एहताराम करते हैं, रोज़े रखते हैं और रातों को जागते हैं और अपनी बख़्शिश का सामान करते हैं। रमज़ान के आते ही मस्जिदों में रौनक बढ़ जाती है। नेकियों की ओर रुझान हो जाता है। नमाज़ियों की संख्या बढ़ जाती है लेकिन रोज़ा दारों और शब बेदारी करने वालों में भी ऐसे लोग ज़्यादा नहीं हैं जो रमज़ान मुबारक के पूरे हुक्म को अदा करें और तमाम आदाब का ख़्याल करते हों। इससे गाफ़िल न होना चाहिये कि रोज़ा केवल इसका नाम नहीं कि आप सुबह सादिक से लेकर सूरज डूबने तक न खाए न पिये। बल्कि रोज़े में उन दोनों चीज़ों के अलावा और बहुत सी चीज़ों से परहेज़ किया जाता है।

## रमज़ानुल मुबारक ईमान की मजबूती का महीना

इस्लाम में जिस प्रकार शरीअत के कामों की तफसील और उनके हिस्सों की हक बन्दी नज़र आती है किसी दूसरे धर्म में इसका उदाहरण मिलना भी मुश्किल है। इसके दो आधारभूत कारण हैं: एक तो ये की उन हुक्मों पर अमल करना जो उस आखिरी दीन में हुआ है:

“आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को पूरा कर दिया और तुम पर अपनी नेमत भी पूरी कर दी।” और इस उम्मत को इस ख़ासियत की खुशख़बरी मिली है और उसका दूसरा अस्ल कारण ये है कि दूसरे सभी धर्म न आसमानी किताबों की रक्षा कर सकें और न ही अपने नबियों की शिक्षा को सुरक्षित कर सकें। एक बड़े ईसाई विद्वान ने स्वीकार किया है कि हज़रत ईसा अलै० की शिक्षाएँ व कथन अगर एकत्रित किये जाएँ तो अख़बार के डेढ़ कालम से आगे नहीं बढ़ सकते।

अल्लाह तआला ने इस दीन को आखिरी दीन और शरीअत को आखिरी शरीअत करार दिया है और आखिरी नबी स०अ० के वास्ते से उसको एक ऐसे हसीन गुलदस्ते की तरह सजा दिया है कि इसमें न किसी फूल को हटाने की गुंजाइश है न रखने की, जिसका जो हिस्सा तय कर दिया वो आखिरी है और उसमें किसी को भी बदलाव की गुंजाइश नहीं।

फ़र्ज कामों का इस्लाम में जो स्थान है वो सबसे ऊंचा है, जब तक कि आखिरी रुकावट पेश न आ जाए उस समय तक उनको छोड़ने की आज्ञा नहीं, फ़र्ज नमाज के बारे में हदीस में आता है कि अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो अगर बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो। दूसरे फ़र्जों के बारे में भी इस्लाम की शिक्षा यही है। उनके लिए विशेष तौर पर पहले से व्यवस्था करने का आदेश है और क्यों न हो,

उन फ़र्जों की हैसियत उस गिज़ा (खाद्य पदार्थ) की है जिसके बग़ैर रूह जिन्दा नहीं रह सकती। मानव प्रकृति के अनुसार गिज़ा जितनी अधिक लाभदायक, स्वादिष्ट, और ताक़तवर होती है शरीर को उसी के अनुसार क्षमता प्राप्त होती है। यही हाल इस रूहानी गिज़ा का है, इसको बेहतर बनाने की जितनी पहले से चिन्ता की जाती है, रूह को उसी के अनुसार क्षमता व निर्बलता प्राप्त होती है।

आप स०अ० रजब के महीने का चांद देखकर ये दुआ ज़बान मुबारक से इरशाद फ़रमाते थे:

“ऐ अल्लाह! रजब शाबान में बरकत अता फ़रमा और रमज़ान तक हम को पहुंचा दे।”

रमज़ानुल मुबारक के इन फ़र्ज रोज़ों के महत्व का अन्दाज़ा इस हदीस से हो सकता है कि एक दिन का रोज़ा भी बिना किसी शर्ई कारण के छोड़ दिया गया तो बाद में उसकी क़ज़ा तो हो जाएगी लेकिन पूर्ति नहीं हो सकती चाहे वो ज़िन्दगी भर रोज़ा रखता रहे। इस्लाम में फ़र्जों का विशेष महत्व है। उनकी हैसियत केवल एक ड्यूटी की नहीं है बल्कि वो अल्लाह की रज़ा का सबसे बड़ा ज़रिया है। हदीस में आता है: “अपनी रज़ा देने के लिए जो चीज़ मुझे सबसे अधिक पसन्द है वो चीज़ फ़र्ज है।”

इस मुबारक महीने के महत्व व श्रेष्ठता को उजागर करने के लिए ये भी आप स०अ० का नियम रहा है कि आप स०अ० ने इसकी शुरुआत में सभी लोगों के सामने तक्रिर करते थे, सही इब्न खुजैमा ये खुत्बा मनकूल है, इमाम बैहिकी ने शोबउल ईमान में भी उसको नक़ल किया है।

हज़रत सलमान फ़ारसी रह० फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल स०अ० ने शाबान के आखिरी दिन हमें ख़िताब फ़रमाया, इरशाद हुआ: “ऐ लोगों! एक अज़ीम महीना

तुम्हारे सरो पर साया करने वाला है, बड़ा मुबारक महीना है, ऐसा महीना है कि उसमें एक रात ऐसी है जो हजार महीनों से बेहतर है, उसके रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ किये हैं और उसकी रातों को जागने को स्वयं से निकटता की चीज़ बनाया है, इसमें जो भी किसी भले काम से अल्लाह के करीब जाएगा वो ऐसा है जैसे उसने फ़र्ज़ अदा किया और जिसने उसमें फ़र्ज़ अदा किया वो ऐसा है जैसे उसने दूसरे महीने में सत्तर फ़र्ज़ अदा किये, ये सब का महीना है और ऐसा महीना है कि उसमें मोमिन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है, जो इसमें किसी रोज़ादार को इफ़्तार कराए तो वो उसकी मग़फ़िरत और जहन्नम से नजात का ज़रिया है और उसको उसी के बराबर सवाब मिलेगा और रोज़े के सवाब में भी कुछ कमी न की जाएगी, लोगों ने कहा कि हम में ऐसे लोग नहीं जो रोज़ादार को इफ़्तार करा सकें, आप स०अ० ने फ़रमाया: अल्लाह तआला ये सवाब उसको भी दे देते हैं जो एक ख़जूर से, एक घूंट पानी से या एक घूंट दूध से इफ़्तार कराए, ये ऐसा महीना है कि इसका पहला हिस्सा रहमत, दूसरा हिस्सा मग़फ़िरत, और तीसरा हिस्सा जहन्नम से नजात का है, इसमें जो अपने गुलाम, नौकर से बोझ हल्का कर दे तो अल्लाह तआला उसकी मग़फ़िरत फ़रमा देते हैं और जहन्नम से उसको नजात दे देते हैं, इसमें चार चीज़ों को ख़ूब किया करो, दो चीज़ें ऐसी हैं जिनसे अपने रब को राज़ी करो, और दो चीज़ें ऐसी हैं जिनसे तुम्हे छुटकारा नहीं, वो दो चीज़ें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी करो वो कलमा शहादत और अस्तग़फ़ार है और दो चीज़ जिनसे तुमको छुटकारा नहीं वो रहमत की तलब और जहन्नम से पनाह मांगना है। जो उसमें किसी रोज़ेदार को खिलाए अल्लाह तआला उसको मेरे हाँज़ से ऐसा जाम पिलाएंगे कि फिर वो प्यासा न होगा यहां तक कि जन्नत में दाख़िल हो जाएगा ईमान की रोशनी बढ़ाने और बैट्री चार्ज करने का बेहतरीन मौक़ा रमज़ान का महीना भी है। ये वो मुबारक महीना है कि इसमें दिल की ज़मीन नर्म हो जाती है। इसमें हल चलाना और इसको खेती योग्य बनाना आसान हो जाता है। शैतान कैद कर दिये जाते हैं और आम फ़िज़ा आदाब व बन्दगी की बन जाती है। इससे फ़ाएदा उठाते हुए अगर पूरे महीने साल भर का इन्तिज़ाम कर लिया जाए तो इससे अच्छा शायद

कोई मौक़ा न मिलेगा। हदीस में उस शख़्स को बददुआ दी गयी है जिसको रमज़ान का महीना मिले और वो अपनी मग़फ़िरत का इन्तिज़ाम न कर सके।

बुरी आदतों को ख़त्म करने का भी ये बेहतरीन मौक़ा है, इस जमाने में निज़ाम में बदलाव से अन्दरूनी बदलाव भी बहुत हद तक आसान हो जाते हैं। अगर पहले ही से पूरे इरादे के साथ उसका इस्तेमाल किया जाए और पूरा महीना धैर्य के साथ गुज़ारने की कोशिश की जाए तो बड़ी बात नहीं कि ये एक बेहतरीन इन्क़लाब का लाने वाला साबित हो। इतिहास से ये बात सामने आती है कि बहुत से लोगो की ज़िन्दगी के लिए ये एक बेहतरीन मोड़ साबित हुआ है। कितनों की काया पलट गयी है लेकिन इसके लिए कुछ इरादे और कुछ अमल की ज़रूरत है। यकीनन अगर इसके लिए कोशिश की जाए तो ईमान व यकीन की शमा जलेगी और हमारी एक बहुत बड़ी कमी दूर होगी और उससे उम्मत को एक नई ताक़त मिलेगी।

रमज़ानुल मुबारक जिसके पास इस हाल में आया कि वो तैयारी कर चुका हो, अपने दिल व दिमाग़ की ज़मीन को उसने कचरे से पाक कर लिया हो, हर एक के हक़ को अदा करके वो पूरी तरह इसके स्वागत के लिए पलकें बिछाए हो, यकीनन उसके लिए ये रमज़ानुल मुबारक का महीना एक दिन नहीं बल्कि एक-एक लम्हा रहमत है।

जिन लोगों ने पूरी तैयारी के साथ मुबारक महीने का स्वागत किया वो उसके एक एक लम्हे को वसूलें और अपने दामन को रहमत से भर लें, लेकिन जो ग़फ़लत से अब जागे उनके लिए भी कुछ कर लेने का मौक़ा है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, उनको तो एक एक लम्हा कीमती समझना चाहिए तिलावत, ज़िक्र व दुआ, संबंधियों के साथ अच्छा सुलूक और ग़रीबों का दुख बांटना व ख़ैरात बांटना इस महीने के बेहतरीन काम हैं। इसके विपरीत गीबत, चुगली, और बेकार की चीज़ों में पड़ना इस महीने की बहुत बड़ी नाक़दरी है और ख़तरे की घंटी है, कहीं ऐसा न हो कि ये महीना नाराज़ होकर चला जाए और हम बरिख़िश से भी महरूम हों!!

## रमजानुल मुबारक का

### अर्द्ध व एहतराम

#### मीलाना शमसुब हक़ बदली

ये रमजान की बहार का मौसम है। भूख, प्यास, सब्र, गैर जरूरी बातों से बचना, अपने जीवन के बीते हुए दिनों का निरीक्षण, जो खो चुके हैं उस पर शर्मिन्दगी व अफ़सोस के आंसू बहाने और तौबा व अस्तग़फ़ार के आंसू से धोने का यही सुनहरा मौक़ा है। जिसमें खुदा की रहमत व मग़फ़िरत की झड़ी लगी हुई है और जहन्नम से नजात व आज़ादी का भी ऐलान है। हदीस पाक के अनुसार: "ऐ ख़ैर व भलाई की इच्छा करने वालो ख़ैर की मांग में लग जाओ और ऐ बुराई के चाहने वालों तो पीछे हट जाओ, (बुराई से बाज़ आओ) की सदा गूँज रही है।" (हदीस)

ये ज़िक्र व तिलावत और सख़ावत का महीना है। अब तक जो भूल चुक हो चुकी हों उस पर शर्मिन्दगी का इज़हार करना यही इस मुबारक महीने की क़द्र है। कोताही और गुनाह की बहुत सी शकलें हैं, दीन के किसी हुक्म को तोड़ना भी गुनाह है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के हक़ को मार लेना भी जुर्म व गुनाह है, अपने फ़र्ज़ व जिम्मेदारियों को अदा करने में कोताही करना भी गुनाह है, लेकिन व्यक्ति या जमाअत का कुछ ऐसे काम करना जिससे उम्मत की एकता व ताकत को नुक़सान पहुंचता हो, ये गुनाहे अज़ीम हैं। इस वक़्त जबकि रमजान की बरकत से हमारे दिलों को एक तरह से सुकून और अल्लाह की रज़ा की तलाश व जुस्तुजू का शौक़ व ज़ब्बा हासिल है। खुदा के नाम पर भूख, प्यास, ज़िक्र व तिलावत, तरावीह व तहज्जुद ने दिलों को नर्म कर दिया।

हम हर पहलू से अपनी ज़िन्दगी का जाएज़ा लें। अपने दीनी कामों और सरगर्मियों पर भी नज़र डालें और देखें कि इसमें कितना हिस्सा खुदा की रज़ामन्दी और दीन की सरबुलन्दी का है और कितना नाम व शोहरत व दिखावे का है या अपने तुच्छ उद्देश्यों की पूर्ति का है जो दीन के रंग में ख़ालिस दुनिया है। इन मुबारक घड़ियों में अपने हालात व आमाल, नियतों व इरादों का हकीकत पसन्दाना जाएज़ा लेकर उसकी दिशा को निश्चित कर लेना जिसमें खुदा की रज़ामन्दी, उम्मत का फ़ायदा और जीवन का संदेश निहित है, अक्लमन्दी है और जाएज़े के बाद हकीकत को जान लेने के बाद ये सोचना कि लोग

क्या कहेंगे, अगर हम पीछे हटे और अपनी राय बदली तो हमारी तौहीन होगी, बड़ी नासमझी और नादानी है।

हज़रत उमर रज़ि० ने अब्दुल्लाह बिन क़ैस रज़ि० को हिदायत देते हुए लिखा था: "ऐसा मामला जिसका आज तुमने फ़ैसला दे दिया लेकिन दोबारा ग़ौर व फ़िक्र के बाद सही स्थिति और हक़ बात समझ में आ गयी तो अब कल के ग़लत फ़ैसले पर कायम न रहो बल्कि उसको रद्द कर दो कि हक़ हमेशा रहने वाला है और हक़ को अपना लेना बातिल में पड़े रहने से बेहतर है।"

ये हुक्मनामा यद्यपि हज़रत उमर रज़ि० ने अब्दुल्लाह बिन क़ैस रज़ि० को लिखा था लेकिन ये ऐसी उसूली बात है जो हर ग़लत काम के लिये मील का पत्थर है और प्रकाश के स्तम्भ सा महत्व रखता है। यदि हम सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि अब तक जो समझा था वो ग़लत था तो फिर ये न सोचना चाहिये कि अगर अब हम अपनी राय बदलेगे तो लोग हमको क्या कहेंगे, खुदा के यहां लोगों के कहने न कहने का असर नहीं होगा बल्कि वहां तो मामला हक़ के ही हक़ में होगा। ग़लत बात रद्द कर दी जायेगी और ये वो समय होगा जब माफ़ी का समय हाथ से जा चुका होगा। ऐसा बहुत होता है कि एक व्यक्ति जब सच्चाई से काम लेता है तो उसका ज़मीर आवाज़ देता है कि तुम्हारी राय और फ़ैसला ग़लत है, तुम जिसकी राय को ग़लत समझ रहे हो उसकी राय सही है मगर ये व्यक्ति केवल इस कारण से अपनी राय नहीं दे पाता कि उसके आत्मसम्मान को ठेस लगेगी। हालांकि इसको मालूम है कि अल्लाह के रसूल स०अ० ने फ़रमाया है कि जो खुदा की रज़ा की ख़ातिर झुकेगा खुदा उसको उठा लेगा, बुलन्द करेगा, हदीस के शब्द हैं: "जो अल्लाह के लिये झुकेगा अल्लाह तआला उसे सरबलन्दी अता फ़रमायेगा" (हदीस)

दीनी व मिल्ली मसलों में इच्छा व दृष्टिकोण भिन्न होने की भी यही स्थिति है कि अगर हमारी कोई सोच ग़लत साबित हो जाती है तो फिर इख़लास का और खुदा की रज़ा हासिल करने और क़ौम व मिल्लत के लाभ की मांग है कि हम बिना झिझक अपनी सोच की ग़लती को स्वीकार करें और दूसरे की सही सोच को मान लें और दीने इस्लाम की यही अस्ल रूह है। जिस तरह ग़लत काम करना, क़ौम व मिल्लत के लाभ के विरुद्ध कोई क़दम उठाना जुर्म व गुनाह है, इसी तरह ग़लत काम करने वाले और ऐसा क़दम उठाने वाले की ताईद व हिमायत भी गुनाह है जिससे दीन व मिल्लत को नुक़सान पहुंच रहा हो। हमसे कभी नादानी से भी ऐसी ग़लती हो जाये और

फिर हकीकत समझ में आ जाये तो फौरन उससे बचना चाहिये। ग़लत बात की हिमायत लोगों को धोखा दे सकती है लेकिन वो दिन आकर रहेगा जब सारी दलीलों का रंग उतर जायेगा और हकीकत अपने अस्त रूप में सामने कर दी जायेगी।

दुनिया का फना होना और क़यामत का आना यकीनी है। कब आयेगी उसको अल्लाह तआला ने नहीं बताया ताकि हर इन्सान को उसके अमल का बदला दे और बदला वैसा ही होगा जैसा अमल होगा। इसीलिये अल्लाह तआला ने इस हकीकत को खोल कर बयान कर दिया, फ़रमाया: "क़यामत यकीनन आने वाली है, मैं चाहता हूँ उस (के वक्त) को छिपाये रखूँ ताकि हर व्यक्ति जो कोशिश करे उसका बदला पाये।" (सूरह ताहा)

रमज़ानुल मुबारक में भूख, प्यास, सब्र व ज़ब्त, और तबियत की नागवारी को झेलना इसीलिये है कि कहीं हमारा रोज़ा ख़राब न हो जाये, ये इसकी मश्क़ है कि मुसलमान हक़ पर कायम हैं और हक़ की खातिर हर नागवारी और कभी-कभी ज़िल्लत तक को गवारा कर ले, लेकिन हक़ का दामन हाथ से छूटने न पाये।

इस सिलसिले में हुजूर स०अ० की मक्की ज़िन्दगी हमारे लिये नमूना है कि आप स०अ० ने सब कुछ झेल लिया लेकिन हक़ की जो आवाज़ लगायी थी उससे पीछे नहीं हटे। मक्की ज़िन्दगी का सबसे नाजुक और कठिन समय वो था जब कुफ़ारे मक्का ने आपके चचा अबू तालिब से आखिरी शिकायत की कि, "आप अपने भतीजे को रोकिये, वरना हम फिर उनसे और आप से समझ लेंगे और अबू तालिब ने फ़रमाया, "भतीजे! ज़रा अपनी जान का भी ख़याल करो और मेरी जान का भी, मुझ पर इतना बोझ न डालो कि मैं उठा न सकूँ।"

चचा की बात सुनकर आप स०अ० की आंखे आसूओं से भर गयीं कि रहा सहा सहारा भी टूट गया लेकिन आप के इरादे में ज़रा सी भी कमज़ोरी नही पैदा हुई, बल्कि बहुत खुलकर कहा:

"चचाजान! अगर मेरे दाहिने हाथ में सूरज और बायें हाथ में चांद रख दें और चाहें कि मैं इस काम को छोड़ दूँ यहां तक कि अल्लाह तआला इसको ग़ालिब करे, या मैं इस रास्ते में हलाक हो जाऊँ तब भी मैं बाज न आऊंगा।"

मिस्र के मशहूर लेखक, साहित्यकार उस्ताद महमुदुल उक्फ़ाद ने मक्की ज़िन्दगी का नक्शा खींचते हुए मक्की जीवन को इस्लाम की अहम विशेषता की दलील के

तौर पर इस तरह बयान किया है।

आपकी मक्की ज़िन्दगी से ये सबक़ मिलता है कि बढ़े हुए क़दम को पीछे न हटाना चाहिये, चाहे वो आगे न बढ़ सके, हक़ पर जमे रहना चाहिये, चाहे नफ़स उसका कितना ही विरोध करे, ग़लत को ग़लत ही समझो चाहे उससे हुकूमत ही क्यों न हासिल हो, बातिल के मुक़ाबले में डटे रहना चाहिये चाहे इसको ग़लबा व आम सहमति ही क्यों न हासिल हो, लोगों को ख़ैर की दावत देते रहना चाहे उसके जवाब में तकलीफ़ ही क्यों न सहनी पड़े, फ़र्ज़ को फ़र्ज़ समझकर अदा करते रहना चाहे उसका नतीजा सामने न आये, ज़िम्मेदारी को ज़िम्मेदारी समझकर अन्जाम देते रहना, चाहे उसका कोई बड़ा फ़ायदा न दिखाई दे, मर्द मोमिन का अपनी मर्दान्गी पर कायम रहना ही उसकी विशेषता है, जवां मर्दी है चाहे उसके चारों ओर की हर-हर चीज़ उसको पीस डालना चाहती हो।

अगर हम सही अर्थों में मुसलमान हैं और इस्लाम की हकीकत न केवल ये कि हमारे दिल में उतर गयी है बल्कि रग-रग में बस गयी है तो हमारा भी यही किरदार और कैरेक्टर होना चाहिये कि हालात चाहे कितने ही विपरीत क्यों न हों हम अपनी इस्लामियत और मुस्लिम विशेषताओं व किरदार पर कायम रहें। अगर हम अपनी अनुभवहीनता, अज्ञानता या ग़लत माहौल से प्रभावित होकर कोई ग़लत काम कर चुकें हो तो हकीकत सामने आने के बाद फ़ौरन उसको सही कर लें और हक़ की तरफ़ लौट आयें।

आम ज़िन्दगी और समाज में, घर और खानदान में, मदरसा और खानकाह में, जहां भी किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा हो तो फ़ौरन इस्लामी शिक्षा के अनुसार उसको न्याय दिलाने का प्रयास करें। अगर हम किसी मिल या फ़ैक्ट्री या कारख़ाने के मालिक हैं, कुछ मज़दूर और वर्कर हमारे मातहत हैं तो उनके भी अधिकारों का ध्यान रखें, हम जहां रहते हैं वहां कुछ और लोग भी रहते हैं, उनमें मुसलमान भी हैं और ग़ैर मुस्लिम भी, उनके साथ हमारा सुलूक व बर्ताव वही होना चाहिये जो अल्लाह के रसूल स०अ० ने बताया बल्कि बरत कर दिखाया, हम दुनिया की दूसरी कौमों के लिये नमूना व रोशनी थे, हमारे अख़लाक़ व व्यवहार से प्रभावित होकर दूसरी कौमों इस्लाम लाती थीं मगर अब हम इस हाल को पहुंच गये हैं कि मीर दर्द का ये शेर बड़े दर्द के साथ पढ़ना पड़ता है:

हर चन्द आईना हूँ पर इतना हूँ नाकुबूल।

मुंह फेर ले वो जिसके मुझे रूबरू करें।।

# सहरी - इफ्तार

## ज़रूरी एहकाम

### सहरी व नियत

रोज़े चाहे रमज़ान का हो चाहे किसी और चीज़ का। बहरहाल उनके लिये सहरी खाना सुन्नत है। रोज़े की शुरुआत सुबह—ए—सादिक के उदय होने से होती है और ये सूरज डूबने पर खत्म होता है। इसलिये शरीअत ने ये सहूलत रखी है कि रोज़ेदार सुबह होने से पहले सहरी खा ले ताकि रोज़े में ताक़त बहाल रहे। अलग—अलग हदीसों में आप स०अ० ने इसका शौक़ दिलाया है। इसीलिये सहरी में सवाब होने पर उम्मत एकमत है। सहरी उतनी देर तक खायी जा सकती है कि सुबह होने का शक न हो, रात के बचे होने का भी शक न हो। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ि० से रिवायत है कि हम लोग जब रसूलुल्लाह स०अ० के साथ सहरी करते थे तो सहरी और फ़ज़्र की अज़ान के बीच पचास आयत की तिलावत के बराबर फ़ासला होता था। आम तौर इतना कुरआन पांच—छः मिनट में पढ़ा जाता है।

अगर इस ख्याल से सहरी खाई कि अभी सुबह नहीं हुई है हालांकि सुबह हो चुकी थी तो रोज़े की क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा, अगर शक हो कि शायद फ़ज़्र का वक़्त हो गया तो बेहतर है कि खाना—पीना छोड़ दे, फिर भी अगर खा ले और सुबह होने का यकीन न हो तो उसका रोज़ा हो जायेगा।

इसीलिये आप स०अ० का इरशाद है:

“सहरी खाओ सहरी में बरकत है।” (बुख़ारी 1923)

एक दूसरी हदीस में आप स०अ० ने फ़रमाया:

“हमारे और अहले किताब (यहूदी, इसाई इत्यादि) के रोज़ों में फ़र्क और श्रेष्ठता सहरी खाने की है (हम खाते हैं और वो नहीं खाते हैं)।” (मुस्लिम 2550)

रही नियत तो इसके बग़ैर रोज़ा नहीं होगा। इसीलिये अगर एक शख्स सुबह से शाम तक उन सभी चीज़ों से परहेज़ करे जिनसे रोज़ादार परहेज़ करता है लेकिन उसकी नियत रोज़ा रखने की न हो तो उसका रोज़ा नहीं

होगा। इसीलिये आप स०अ० का इरशाद है:

“जो फ़ज़्र से पहले ही नियत न करे उसका रोज़ा नहीं होगा।” (तिरमिज़ी 730)

कई दूसरी हदीसों को देखते हुए फ़ुक्हा ने फ़रमाया कि ज़वाल से एक घन्टा पहले नियत कर ले बशर्ते कि कुछ खाया—पिया न हो तो रमज़ान का और नफ़िली रोज़ा रखना दुरुस्त होगा और नियत का महल क्योंकि दिल होता है इसलिये सिर्फ़ दिल में ये इरादा कर लेना काफी है कि कौन सा रोज़ा रख रहा हूँ ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं अल्बत्ता बेहतर यही है कि ज़बान से भी कह दे। (हिन्दिया 1/195)

### सहरी के मसले

1. रमज़ान के हर रोज़े के लिये अलग—अलग नियत करना ज़रूरी है। (हिन्दिया 1/195)

2. आधा दिन से पहले तक भी अगर रमज़ान के अदा रोज़ों की नियत कर ली तो रोज़ा सही हो जायेगा। (हिन्दिया 1/195)

3. अगर किसी शख्स ने पूरा दिन खाया—पिया नहीं और पूरा दिन भूखा—प्यासा रहा लेकिन दिल में रोज़े का इरादा नहीं था तो रोज़ा नहीं हुआ। (हिन्दिया 1/195)

4. रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा, बिला तय नज़र का रोज़ा और कफ़ारे के रोज़ों ने इसी तरह नफ़िल रोज़ों की क़ज़ा जिसे शुरु करने के बाद तोड़ दिया हो इन तमाम रोज़ों में सुबह सादिक से पहले नियत करना ज़रूरी है। अगर सुबह सादिक के बाद नियत की तो रोज़ा काफी न होगा। (हिन्दिया 1/196)

5. सहरी खाना सुन्नत है लेकिन अगर कोई शख्स सहरी खाये बग़ैर ही रोज़े की नियत कर ले तो उसका रोज़ा ठीक होगा। अल्बत्ता सहरी की बरकत और सहरी के सवाब से महरूम रहेगा। (शामी 3/400)

### इफ्तार: आदाब व एहकाम

सूरज डूबने के साथ ही इफ्तार करना सुन्नत है।

हज़रत आयशा रज़ि० से एक साहब ने पूछा कि सहाबी—ए—रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० इफ़्तार में जल्दी करते हैं, वक़्त शुरू होने के बाद नमाज़ भी जल्दी पढ़ते हैं और हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ि० नमाज़ में भी देर करते हैं और इफ़्तार में भी, तो आप रज़ि० ने फ़रमाया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० का तरीका हुज़ूर के तरीके पर है। सहरी में देर और इफ़्तार में जल्दी इसलिये बेहतर है कि इस में अल्लाह के सामने अपनी बन्दगी और क्षमता व तवानाई का इज़हार रहे कि हम एक पल भी अल्लाह की दी हुई नेमत से अलग नहीं हो सकते। ये जो कुछ भूख व प्यास बर्दाश्त की गयी है वो केवल खुदा के हुक्म को पूरा करना है और जैसे ही अल्लाह तआला की तरफ़ से इजाज़त का परवाना मिला एक लम्हा भी रुकने की ताब नहीं।

फिर भी इफ़्तार के वक़्त सूरज डूबने का यकीन हो जाना ज़रूरी है, अगर शक हो तो इफ़्तार करना जायज़ नहीं, अगर इस यकीन के साथ इफ़्तार कर लिया कि सूरज डूब चुका है, मगर बाद में मालूम हुआ कि उसकी ग़लतफ़हमी थी तो सिर्फ़ उसकी कज़ा वाजिब होगी और अगर गुमान था कि सूरज नहीं डूबा है फिर भी इफ़्तार कर लिया तो कफ़ारा भी वाजिब होगा।

### इफ़्तार की सुन्नत व मुस्ताहब

बेहतर है कि कुछ खजूर से इफ़्तार करे। खजूर न हो तो पानी से। हज़रत अनस रज़ि० से रिवायत है कि आप स०अ० ने फ़रमाया, “जिसके पास खजूर हो उसे खजूर से इफ़्तार करना चाहिये, खजूर न हो तो पानी से इफ़्तार करे कि पानी पाक है।” (तिरमिज़ी 694) एक और रिवायत इमाम तिरमिज़ी ने ज़िक्र की है कि “सर्दी में खजूर से और गर्मी में पानी से इफ़्तार करने का नियम मुबारक था।” (तिरमिज़ी 696)

फिर भी उन्हीं से इफ़्तार ज़रूरी नहीं, हस्ब मौका किसी और चीज़ से भी इफ़्तार कर सकते हैं, इसलिये हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ़ी रज़ि० से रिवायत है कि हम हुज़ूर स०अ० के साथ एक सफ़र में थे, आप स०अ० रोज़े से थे, जब सूरज डूबा तो आप स०अ० ने पानी में सत्तू घोलने का हुक्म दिया ताकि इफ़्तार कर सकें।

### इफ़्तार करते वक़्त ये दुआ पढ़ें:

(प्यास ख़त्म हुई, रगें तर हो गयीं और इन्शाअल्लाह

अज़ भी साबित है)

कई रिवायतों में ये दुआ भी मनकूल है:

(ईलाही! मैंने आप ही के लिये रोज़ा रखा, आप ही के रिज़क से इफ़्तार किया)

इसलिये बेहतर है कि इस दुआ को पहले पढ़ ले और जो दुआ पहले ज़िक्र की गयी है उसको इफ़्तार के बाद पढ़ ले। ये मसनून दुआ तो पढ़नी ही चाहिये लेकिन इसके अलावा भी जो दुआ मुनासिब जाने इफ़्तार के वक़्त कर ले कि ये कुबूलियत का वक़्त है।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि० से रिवायत है कि रोज़ेदार को इफ़्तार के वक़्त एक ऐसी दुआ का हक़ दिया जाता है जो रद्द नहीं की जाती।

हज़रत अम्र बिन अल आस रज़ि० से रिवायत है फ़रमाते हैं, नबी करीम स०अ० ने इरशाद फ़रमाया: “हमारे और यहूद और नसारा के रोज़े में फ़र्क़ (हमारा) सहरी खाना है।” (मुस्लिम)

हज़रत अनस से रिवायत है फ़रमाते हैं, नबी करीम स०अ० मगरिब की नमाज़ पढ़ने से पहले कुछ ताजे खजूर से इफ़्तार करते थे, अगर ताजे खजूर न हों तो कुछ दूसरी खजूर से इफ़्तार करते थे, और अगर खजूरें न हों तो कुछ घूंट पानी पी लिया करते थे। (तिरमिज़ी)

हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद रज़ि० फ़रमाते हैं, “जो किसी रोज़ेदार को इफ़्तार कराये, या किसी मुजाहिद को असलहा उपलब्ध कराये, तो उसे उसी के बराबर अज़ व सवाब मिलता है।” (बेहकी व शुएबुलईमान व शरहुस्सना)

**इफ़्तार की दुआ:** हज़रत उमर रज़ि० से रिवायत है फ़रमाते हैं, “आंहज़रत स०अ० जब इफ़्तार करते थे तो ये फ़रमाते थे: (प्यास जाती रही, रगें तर हो गयीं और सवाब दर्ज हो गया) (अबूदाऊद)

हज़रत मआज़ बिन ज़हीरा से रिवायत है, नबी करीम स०अ० जब इफ़्तार करते तो फ़रमाते: (या अल्लाह मैंने आपके लिये रोज़ा रखा, और आपही के रिज़क से इफ़्तार किया) (अबूदाऊद मुरसला)

### मिठी—जूली इफ़्तार पार्टियों में ख़िरक़ा

ग़ैर मुस्लिमों की दावत कुबूल करना और उनको दावत देना, साथ मिलकर खाना—पीना जायज़ हैं, लेकिन लगातार साथ खाने की आदत डालने की आदत को फुक्हा ने मना किया है। (हिन्दिया 5/347)

इफ़्तार की दावत एक तरह की दावत है इसलिये

शरीअत में इसकी गुंजाइश है लेकिन बेहतर यही है कि इस तरह की इफ्तार पार्टियों से दूर रहे। इसलिये कि ज्यादातर राजनीतिक लोग ये दावत करते हैं और दावत में रोज़ादारों से ज्यादा रोज़ा खोरो की सख्या रहती है। कई बार वो वक्त होने से पहले ही इफ्तार करने लगते हैं और मगरिब की नमाज़ भी ख़तरे में पड़ जाती है। बहरहाल इस तरह की सूरतेहाल में न हो तो शिरकत की जा सकती है।

इसी तरह गैर मुस्लिम भाइयों को इफ्तार की दावत देने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि आप स०अ० ने गैर मुस्लिमों को दावत दी है। (मुस्लिम 5364) और खुद भी आपने उनकी दावत कुबूल फ़रमायी है। (बुख़ारी 1481) इसलिये गैर मुस्लिमों को दावत देना और उनको अपना मेहमान बनाना जायज़ है।

गैर मुस्लिम जब तक मुसलमान न हो जाये शरीअत के आदेशों को पूरा करने का बाध्य नहीं। व्यापार व हलाल व हराम के जो आदेश हैं ईमान लाने के बाद इन्सान उसका बाध्य होता है जब तक कि ईमान न ले आये ये आदेश उस पर लागू नहीं होते। इसलिये गैर मुस्लिम की दावत के बारे में पैसे की छानबनी ज़रूरी नहीं, अलबत्ता कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई जा सकती जो खुद अपनी जात में हराम हो। जिसकी हुरमत केवल पैसे कमाने के कारण हो। जैसे मुरदार या गैर मुस्लिम का ज़बीहा। अलबत्ता अगर गैर मुस्लिम ओहदेदारों को महज़ खुशनुदी व चापलूसी के लिये दावत दी जाये और जाति लाभ मददेनज़र हो तो उस पर शायद कोई अज़ व सवाब न हो और अगर उनको दावत देने का मक़सद इस्लाम और मुसलमानों से परिचित कराना हो, दीने हक़ की ओर खीचना और मुसलमानों के प्रति ग़लतफ़हमियों को दूर करना हो तो उनकी दावत करना अज़ व सवाब का कारण है। लेकिन अगर किसी मुसलमान के बारे में ये मालूम हो जाये कि उसकी आमदनी हराम या शक-शुब्हा है तो उसकी दावत कुबूल करने से परहेज़ करना चाहिये। बाद में उसे दावत न कुबूल करने की वजह समझा देना चाहिये ताकि उसे इबरत हो। इसी तरह अगर किसी की अक्सर कमाई हराम या नाजाइज़ हो लेकिन जिस पैसे से वो दावत कर रहा है वो पैसा हलाल तो उस दावत में ऐसे लोग शरीक हो सकते हैं जो मुक्तादा का दर्जा न रखते हों। उलमा और ख़्वास को ऐसी दावतों से बचना चाहिये इसलिये कि फ़िक़ की किताबों में स्पष्टता के साथ ये व्याख्या मौजूद है। (हिन्दिया 5/343)

**बैंक वालों की दावत कुबूल करना:** बैंक वालों की दावत कुबूल करना ठीक नहीं है कि इसलिये कि बैंक की आमदनी पूरी तरह सूद पर आधारित है और ब्याज का हराम होना खुला हुआ है। दूसरे इससे एक ऐसी संस्था का सहयोग होता है जो ब्याज की ओर ले जाने वाला है और गुनाह में सहयोग हराम है। (किताबुल फ़तावा 3/431)

**रोज़ा कुशाई:** रोज़ा कुशाई के लिये कोई आयोजन करना हदीस से साबित नहीं और न ऐसी चीज़ों में फ़िज़ूल खर्ची जायज़ है। अलबत्ता अगर किसी बच्चे ने पहली बार रोज़ा रखा हो तो उसकी हौसला अफ़जाई के लिये और उसके इस अमल पर खुशी के इज़हार के लिये दोस्त व अअबाब को इफ्तार पर बुलाया जाये तो इसकी गुंजाइश है इसलिये कि लोग आमतौर पर इसे दीनी काम समझ कर नहीं करते बल्कि इसक मक़सद सिर्फ़ खुशी का इज़हार है। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि फ़िज़ूल खर्ची से बचते हुए और प्रोग्राम की शक़ल दिये बगैर दावत का एहतिमाम किया जाये। (किताबुल फ़तावा 3/423)

### रमज़ान के रोज़े की फ़र्ज़ियत

रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है इसकी फ़र्ज़ियत पर अल्लाह की किताब और रसूल की सुन्नत गवाह भी है और इस पर उम्मत एक मत है। सीरत निगार के बयानों के मुताबिक़ हिजरत के दूसरे साल रोज़े फ़र्ज़ किये गये।

सुबह सादिक़ से गुरब-ए-आफ़ताब तक इबादत की नियत से खाने पीने और जिमा से रूके रहना रोज़ा कहलाता है। (हिन्दिया 1/194)

रोज़ा फ़र्ज़ होने की शर्तें

रोज़ा फ़र्ज़ होने के लिये तीन बुनियादी शर्तें हैं

1. मुसलमान होना।
2. आक़िल होना यानि दिमागी तौर पर ठीक होना।
3. बालिग़ होना।

**रोज़े की शर्तें**

रोज़े की बुनियादी शर्त नियत है। इसीलिये नियत के बगैर रोज़ा सही नहीं होगा।

दूसरी शर्त सिर्फ़ औरतो से संबंधित है और वो ये है कि वो हैज़ व निफ़ास से पाक हों। इसीलिये इन दोनों हालतों में अगर कोई औरत रोज़ा रख भी ले तो सही नहीं होगा।

# जिन सूरतों में रोज़ा टूट जाता है

रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ें दो तरह की हैं। कई वो हैं जिनसे क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाज़िम होते हैं, और वो चीज़ें ये हैं:

○पति-पत्नी का संबंध स्थापित करना, चाहे स्खलित (वीर्य निकलना) हो या न हो दोनों हालतों में रोज़ा टूट जायेगा और कफ़ारा ज़रूरी होगा। अगर ये काम औरत की रज़ामन्दी से हुआ तो उस पर भी कफ़ारा लाज़िम होगा और अगर उसकी रज़ामन्दी नहीं थी, पति ने ये काम ज़बरदस्ती से किया तो औरत पर केवल क़ज़ा ज़रूरी होगी, अगर शुरुआत में इसे मजबूर किय गया हो और बाद में उसकी रज़ामन्दी हो गयी हो तब भी उस पर केवल क़ज़ा ज़रूरी होगी।

○जानबूझ कर ऐसी चीज़ खाना जिसको खाने के तौर पर और दवा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रोटी, चावल, शरबत वगैरह या किसी दवा का इस्तेमाल करना।

इन चीज़ों से कफ़ारा वाजिब होने का ज़िक्र इशारे के साथ या खुले तौर पर हज़रत अबूहुरैरा रज़ि० की इस हदीस में आया है, फ़रमाते हैं कि हम सब आप स०अ० के पास बैठे हुए थे कि एक बद्दू खिदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा कि ऐ अल्लाह के रसूलस! मैं तबाह हो गया। आप स०अ० ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा कि मैंने रोज़े की हालत में पत्नी से संबंध स्थापित कर लिया, आप स०अ० ने पूछा, क्या आज़ाद करने के लिये तुम्हारे पास गुलाम है? उसने कहा, नहीं; आप स०अ० ने फ़रमाया, तो क्या दो महीने लगातार रोज़ा रखते हो? उसने कहा, नहीं; आप स०अ० ने फ़रमाया इतना माल है कि साठ ग़रीबों को खिला सकते हो? उसने कहा, नहीं। (बुख़ारी 1936—मुस्लिम 2595)

इससे पता चला कि संबंध स्थापित कर लेने से क़ज़ा व कफ़ारा दोनों ज़रूरी होंगे और इशारा ये भी मालूम हुआ कि चूँकि खाना-पीना भी इसी दर्जे में है लिहाज़ा

इसका भी यही हुक्म होगा। साथ ही कफ़ारे का तरीका भी मालूम हुई कि पहले नम्बर पर गुलाम आज़ाद करना है, न कर सके जैसा कि वर्तमान समय में गुलामी का दौर खत्म हो जाने के कारण किसी के लिये भी ये शकल सम्भव नहीं, तो दो महीने लगातार रोज़े रखे, अगर इन दो महीनों के बीच रमज़ान आ गया तो या अय्याम तश्रीफ़ आ गये तो क्रम टूट जायेगा और शुरुआत से रोज़े रखने पड़ेंगे। यही हुक्म उस वक्त भी होगा जब बीमार हो जाये या औरत निफ़ास (प्रस्व रक्त) की हालत में हो जाये, क्रम उससे भी टूट जायेगा। यद्यपि अगर बीच में औरत को हैज़ (माहवारी) आ जाये तो वो रोज़े रखना बन्द कर दे, फिर जब हैज़ रुक जाये तो जितने रोज़े बाकी रह गये थे सिर्फ़ वही रख ले फिर से रखने की ज़रूरत नहीं है।

**रोज़ा तोड़ने वाली वो चीज़ें जिनसे क़ज़ा ज़रूरी होती है**

जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और उससे सिर्फ़ क़ज़ा ज़रूरी होती है, वो चीज़ें निम्नलिखित हैं:

○अगर किसी को खाने पर जान व माल की धमकी देकर मजबूर किया गया, और उसने ख़ौफ़ से खा लिया तो रोज़ा टूट जायेगा लेकिन सिर्फ़ क़ज़ा ज़रूरी होगी। यही हुक्म उस समय होगा जब गुलती से कुछ खा-पी ले, यानि रोज़ा याद, खाने-पीने का इरादा नहीं था लेकिन खाने-पीने की चीज़ हलक़ से उतर गयी, तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जायेगा और सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होगी।

○अगर कोई ऐसी चीज़ खाई या पी जिसको बतौर दवा या ग़िज़ा नहीं खाया-पिया जाता है जैसे कन्करी वगैरह।

○दांतों में कोई चीज़ अटकी हुई थी, अगर वो चने के बराबर या उससे बड़ी थी तो उसके निगलने से रोज़ा टूट जायेगा और क़ज़ा होगी और अगर चने से छोटी थी तो रोज़ा नहीं टूटेगा लेकिन ये उस वक्त होगा जब मुंह से न

निकाला हो अगर निकाल कर खाये तो चीज़ छोटी हो या बड़ी रोज़ा टूट जायेगा।

○ अगर हकना लगाया, या नाक के अन्दरूनी हिस्से में दवा डाली, या कान में तेल या कोई दवा डाली या औरत ने अपनी शर्मगाह में दवा डाली तो रोज़ा टूट जायेगा और केवल कज़ा ज़रूरी होगी, लेकिन अगर आँख में दवा डाली या सुरमा लगाया तो रोज़ा नहीं टूटेगा, इसी तरह अगर कान में पानी डाला तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा।

○ कै (उल्टी) के बारे में लोगों में आम तौर से ये गलत फहमी पायी जाती है कि चाहे जिस तरह की भी कै हो रोज़ा टूट जायेगा, इसलिये कै के सिलसिले में आप स0अ0 ने इरशाद फरमाया:

जिसको रोज़े की हालत में खुद से कै हो जाये उस पर कज़ा नहीं है और जो जानबूझ कर कै करे उस कज़ा ज़रूरी है। (तिरमिज़ी)

इस हदीस के आधार पर फुक्हा (धार्मिक विद्वानों) ने फरमाया: कै कि कई सूरतें हो सकती हैं लेकिन रोज़ा केवल दो सूरतों में टूटता है, एक ये कि मुंह भर के हो और रोज़ेदार इसको निगल ले, चाहे पूरी कै या चने के बराबर या उससे ज़्यादा को निगले। दूसरे ये कि जानबूझ कर कै करे और मुंह भर के कै हो, बकिया किसी और कै से रोज़ा नहीं टूटता है।

○ अगर अगरबत्ती या लोबान सुलगाई फिर उसको सूँघा और धुआं अन्दर चला गया तो रोज़ा टूट जायेगा। इसी तरह सिगरेट, बीड़ी इत्यादि से रोज़ा टूट जायेगा।

○ अगर बीवी से चुम्बन की वजह से स्खलित हो गया तो रोज़ा टूट जायेगा।

### जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता

भूल कर खाने-पीने, सर में तेल लगाने और नहाने-धोने से रोज़ा नहीं टूटता है। अगर दिन में सो जाये और एहतलाम (वीर्य स्खलित होना) हो जाये तो रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह दिन में इन्जेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता है लेकिन बेहतर यही है कि अगर बहुत सख्त ज़रूरत न हो तो इफ़्तार के बाद इन्जेक्शन लगवाये। मिस्वाक चाहे ताज़ी या हरी हो या खुश्क और सूखी हो उससे रोज़ा नहीं टूटता है यद्यपि मन्जन इत्यादि करना मकरूह है और अगर मन्जन हलक के नीचे उतर जाये तो

रोज़ा टूट जायेगा। अगर ज़बान से कोई चीज़ चखकर थूक दे तो रोज़ा नहीं टूटता, यद्यपि अनावश्यक ऐसा करना मकरूह है।

आंसू या चेहरे का पसीना एक दो बूंद अनजाने में हलक में चला जाये तो रोज़ा नहीं टूटेगा। (हिन्दिया 1/203)

नाक को इतनी ज़ोर से सुड़क लिया कि हलक में चली गयी तो रोज़ा नहीं टूटेगा इसी तरह मुंह की राल निगल जाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। (हिन्दिया 1/203)

थोड़ी सी कै आयी फिर खुद ही हलक में लौट गयी तो रोज़ा नहीं टूटेगा अलबत्ता जानबूझ कर लौटाने से रोज़ा टूट जायेगा। (हिन्दिया 1/204)

जिस शख्स ने सहरी में इतना खा लिया हो कि सूरज निकलने के बाद तक डकारे आती हैं और उसके साथ पानी भी आता हो तो उससे रोज़े में कोई फर्क नहीं पड़ता। (हिन्दिया 1/203)

रोज़े की हालत में खून निकलवा कर टेस्ट करवाने से रोज़ा नहीं टूटता। (हिन्दिया 1/199)

रोज़े की हालत में मज़ी (वीर्य के पहले मूत्र के मार्ग से निकलने वाली एक-दो बूंद) निकलने से रोज़ा नहीं टूटेगा।

रोज़े की हालत में अपनी बीवी से दिल्लगी करना ऐसे शख्स के लिये जायज़ है जिसे स्खलित होने या हमबिस्तरी का खतरा न हो। (हिन्दिया 1/200)

अगर शौहर ने बीवी पर शहवत से नज़र की या उसका ख्याल दिल में जमाया जिससे स्खलन हो गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। (दुर्रे मुख्तार 3/367)

रमज़ान के महीने में अगर किसी का रोज़ा किसी वजह से टूट जाये तब भी उस पर वाजिब है कि रमज़ान के एहतिराम में दिन में रोज़ेदार की तरह खाने-पीने से बचे।

### रोज़ा कब मकरूह होता है

कुछ बातें वो हैं जिससे रोज़ा टूटता नहीं, लेकिन रोज़े की हालत में उनका करना मना है। इस तरह की कुछ ज़रूरी चीज़ों का ज़िक्र किया जाता है।

○ बहुत ज़्यादा कुल्ली करना और नाक में पानी

डालना।

- मुंह में थूक जमा करके निगलना।
  - सहरी में इतनी देर करना की रात का बाकी रहने में शक हो जाये।
  - अनावश्यक किसी चीज़ का चखना या चबाना।
  - रोज़े की हालत में बीवी के लब चूसना।
  - बीवी से दिल्लगी करना जबकि सम्भोग या स्खलन का भय हो।
  - औरत का होटों पर सुर्खी लगाना जबकि पेट में चले जाने का अन्देशा हो।
  - शौहर की इजाज़त के बगैर बीवी का नफिली रोज़ा रखना।
  - पूरे दिन नजिस रहना और गुस्ल न करना।
  - रोज़े की हालत में टूथपेस्ट, कोयला, मन्जन वगैरह करना।
  - कोई भी गुनाह का काम करना जैसे क़व्वाली व फिल्म देखना इत्यादि।
  - गीबत करना, लड़ना—झगड़ना, गाली देना।
  - कब रोज़ा रखना हराम है
  - ईदैन यानि ईदुल फ़ित्र व ईदुल अज़हा के दिन।
  - अय्याम तशरीक (11, 12, 13 ज़िलहिज्जह)
- आप स0अ0 ने ईदुलफ़ित्र व ईदुलअज़हा के दिन रोज़ा रखने से मना फ़रमाया है। (बुख़ारी 1995)
- अय्याम तशरीक के बारे में आप स0अ0 ने फ़रमाया कि ये खाने—पीने के दिन हैं। (मुस्लिम 2677)
- वो वजहें जिनकी वजह से रोज़ा तोड़ देना जायज़ है
- अचानक ऐसा बीमार पड़ जाये कि अगर रोज़ा न तोड़े तो जान ख़तरे में हो जाये या बीमारी बढ़ जाये तो रोज़ा तोड़ देना बेहतर है।
  - गर्भवती औरत को कोई ऐसी बात पेश आ गयी जिससे अपनी जान या बच्चे की जान का ख़तरा है तो रोज़ा तोड़ देना बेहतर है।
  - किसी काम की वजह से बेहद प्यास लग और इतना बेताब हो गया कि अब जान का ख़ौफ़ है तो रोज़ा तोड़ देना बेहतर है लेकिन अगर जानबूझ कर उसने

इतना काम किया जिसकी वजह से ऐसी हालत हो गयी तो गुनहगार होगा।

○अगर दूध पिलाने वाली औरत को अन्देशा हो कि रोज़ा रखने की वजह से नवजात शिशु हलाक हो जायेगा या औरत कमजोरी की वजह से हलाक हो जायेगी तो इस सूरत में रमज़ान में रोज़ा इफ़तार करे और बाद में रोज़ा क़ज़ा कर ले।

### हालते सफ़र में रोज़ा

कुरआन ने जहां सफ़र की हालत रोज़ा न रखने की इजाज़त दी है वहां कठिनाई का स्तर नहीं बताया है। आम तौर पर सफ़र में कुछ न कुछ मशक्कत होती है इसलिये हालते सफ़र में इफ़तार (रोज़ा न रखने) की इजाज़त है। लिहाज़ा आजकल के आरामदेह सफ़र में भी इफ़तार करना जायज़ है और अगर रोज़ा रख ले तो ज़्यादा बेहतर है। (शामी: 3 / 405)

हज़रत आयशा रज़ि0 फ़रमाती हैं कि हज़रत हम्ज़ा बिन अम्र असलमी रज़ि0 ने आप स0अ0 से अज़ किया कि मैं सफ़र में भी रोज़ा रखूं और वो बहुत कसरत से रोज़ा रखने वाले सहाबी थे तो आपने जवाब में इरशाद फ़रमाया तुम्हारी मर्जी हो तो रोज़ा रखो और जी चाहे तो रोज़ा न रखो। (मुस्लिम 2625)

### रोज़े का कफ़़ारा

कफ़़ारे में पहले नम्बर पर गुलाम का आज़ाद करना है लेकिन अब गुलामों का चलन नहीं है इसलिये बज़ाहिर ये मुमकिन नहीं है।

कफ़़ारे की दूसरी शकल दो महीने रोज़ा रखना है लेकिन इसके लिये ज़रूरी है कि ये रोज़े लगातार रखें जायें, उनका क्रम न टूटे। अगर उन रोज़ों के बीच रमज़ान का महीना या अय्याम तशरीक आ गये तो क्रम टूट जायेगा और फिर से रोज़े रखने पड़ेंगे। यही हुक्म उस वक़्त भी होगा जब बीमार हो जाये या औरत निफ़ास (प्रस्व) की हालत में हो जाये, यद्यपि अगर बीच में औरत को माहवारी आये तो वो रोज़े रखना बन्द कर दे, और जब रुक जाये तो जितने रोज़े बाकी रह गये थे केवल वही रख ले फिर से रखने की ज़रूरत नहीं है।

और अगर किसी को रोज़ा रखने की भी ताक़त नहीं है 60 ग़रीबों को दो वक़्त का खाना खिलाये या हर ग़रीब

को सदक-ए-फित्र के बराबर गल्ला दे यानि आधा साअ (1 किलो 633 ग्राम) गेहूं या एक साअ (3 किलो 266 ग्राम) जौ या खजूर या उन चीजों की कीमत के बराबर कोई दूसरी चीज या नकद रूपये दे। अगर इस तरह करने के बजाये किसी एक गरीब को साठ दिन तक दो वक्त खाना खिला दे, तब भी कफ़ारा अदा हो जायेगा।

### कुछ नये मसले और उनका अरई हुक्म

#### पान, तम्बाकू और सिगरेट-बीड़ी का हुक्म

पान तम्बाकू की पीक अगर कोई निगल लेता है तो बिल्कुल साफ़ बात है कि उसने एक चीज़ हलक़ से नीचे उतार ली, लिहाज़ा इससे रोज़े के चले जाने में कोई शक़ की बात ही नहीं है लेकिन कुछ लोग पीक निगलते नहीं हैं सिर्फ़ पान व तम्बाकू चबाकर उसे थूक देते हैं, इसलिये कुछ लोगों को शुब्हा होता है कि उससे शायद रोज़ा नहीं टूटता क्योंकि फुक्हा किराम ने फ़रमाया है कि किसी चीज़ के चबाने से रोज़ा नहीं टूटता और इस शक़ल में सिर्फ़ चीज़ को चबाया गया खाया नहीं गया लेकिन ये शक़ ठीक नहीं है इसलिये कि खाने-पीने को रोज़ा तोड़ने वाला बताया गया है और उन चीज़ों के चबाने को भी खाना कहते हैं, फिर कुछ तो बहरहाल हलक़ के नीचे उतर जाता है साथ ही इसके आदी लोगों को इसमें ख़ास लज़ज़त मिलती है लिहाज़ा न केवल ये कि उनसे रोज़ा टूट जायेगा, बल्कि अगर उन चीज़ों को जानबूझ कर इस्तेमाल किया गया तो कफ़ारा भी लाज़िम होगा।

इसी हुक्म में गुल से दांत मांजना भी है। इसलिये कि इसमें भी ख़ास लज़ज़त मिलती है और कुछ हिस्सा के अन्दर जाने का बहुत हद तक संभावना रहती है।

जहां तक बीड़ी-सिगरेट इत्यादि का संबंध है तो उसमें जानबूझ कर धुआं अन्दर लिया जाता है और जानबूझ कर धुआं अन्दर लेने से रोज़ा टूट जाता है। अतः इन सारी चीज़ों से परहेज़ ज़रूरी है।

#### मन्जन और दूधपेस्ट का हुक्म

आप स0अ0 ने मिस्वाक की बड़ी ताकीद फ़रमायी है। इस एतबार से फुक्हा ने रमज़ान में भी मिस्वाक करने की इजाज़त दी है चाहे मिस्वाक की लकड़ी सूखी हो या गीली लेकिन अगर मिस्वाक की तरी उसकी हलक़ के नीचे उतर जाये तो रोज़ा टूट जाता है लिहाज़ा रोज़े की

हालत में मिस्वाक करते हुए इसका ख़्याल रखना चाहिये कि मिस्वाक की तरी या लकड़ी का कोई हिस्सा हलक़ से नीचे न उतरने पाये।

जहां तक मन्जन व दूधपेस्ट इत्यादि का संबंध है तो उनका हुक्म मिस्वाक के हुक्म से अलग है इसलिये कि इनमें जायका बहुत बढ़ा हुआ होता है, लिहाज़ा जिस तरह फुक्हा ने फ़रमाया कि किसी ज़रूरत के बग़ैर किसी चीज़ का चबाना मकरूह है, उसी तरह इन सब चीज़ों का भी हुक्म होगा, अलबत्ता किसी ख़ास गरज़ से अगर उन चीज़ों से दांत साफ़ करे तो इन्शाअल्लाह कराहत नहीं होगी।

#### आक्सीजन का हुक्म

दमे के मरीज़ को दौरा पड़ने के वक्त आक्सीजन दी जाती है। रोज़े की हालत में इस तरह आक्सीजन लेने का क्या हुक्म होगा? फ़िक्ही जुज़ को सामने रखा जाये तो ख़्याल होता है कि अगर होता है कि अगर आक्सीजन के साथ कोई दवा न हो तो रोज़ा नहीं टूटना चाहिये क्योंकि ये सांस लेना है और सांस लेने के ज़रिये हवा लेने से रोज़ा नहीं टूटता है और न उसे खाने-पीने में गिना जाता है। अगर इसके साथ दवा के कण भी हों तो फिर उससे रोज़ा टूट जायेगा। (जदीद फ़िक्ही मसले : 188/1)

जहां तक दमे के मरीज़ के लिये इन्हेलर (Inhaler) के प्रयोग का संबंध है तो चूंकि इसमें दवा मिली हुई होती है लिहाज़ा इससे रोज़ा टूट जायेगा।

#### इन्जेक्शन और ड्रिप लगवाना

उलमा की सहमति इसी पर है कि इन्जेक्शन चाहे किसी भी प्रकार का हो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा चाहे रग में लगाया जाये या गोश्त में। यही हुक्म ड्रिप (Drip) लगवाने का भी है, लेकिन बग़ैर किसी गरज़ के बेहतर यही है कि दिन में न लगवाये, ज़रूरत हो तो दिन में भी लगवा सकता है, लेकिन सिर्फ़ इस मक़सद से ड्रिप लगवाना कि बदन में ताक़त आ जाये और प्यास में कमी हो जाये मकरूह है।

#### ज्वान के नीचे दवा रखना

फुक्हा ने अनावश्यक किसी चीज़ को मुंह में रखने और चखने को मकरूह करार दिया है, यद्यपि ये स्पष्ट किया

गया है कि अगर किसी कारण से ऐसा करे तो कराहत नहीं होगी। कारण की मिसाल में फुकहा ने लिखा है कि शौहर अगर बदअखलाक और सख्त मिजाज वाला हो तो उसकी बीबी के लिये नमक इत्यादि का पता लगाने के लिये चखना जायज होगा। लेकिन साथ ही ये साफ है कि अगर कोई ऐसी चीज़ मुंह में रखी या चबाई जिसका हलक के नीचे उतर जाना विश्वस्नीय है तो रोज़ा टूट जायेगा। इसकी मिसाल में फुकहा ने कुछ गोंदो का नाम लिया है। शायद इसी वजह से हमारे उलमा ने पान तम्बाकू इत्यादि के मुंह में रखने को रोज़ा तोड़ने वाला बताया है। इसलिये कि इसका असर साफ तौर पर हलक के नीचे पहुंच जाते हैं और तम्बाकू की तलब पूरी हो जाती है।

इस तफ़्सील के बाद हम आसानी से फ़ैसला कर सकते हैं कि "इन्जाइना" (दिल का रोग) के मरीज़ों के लिये (Angina) इस ज़रूरत से कहीं बढ़कर है जिसके तहत बीबी को नमक चखने की छूट दी गयी है और सवाल केवल ये रह जाता है कि ये दवा हलक के नीचे तो नहीं उतरती? अगर एहतियात के बावजूद दवा के ज़रत खास गोंद की तरह हलक के नीचे उतर जाते हों तो उसके मुंह में रखने से रोज़ा टूट जायेगा और ज़बान के नीचे रखने के बाद इफ़ाका हो जाने से लगता है ज़ाहिरी तौर पर यही बात है। लेकिन विशेषज्ञों की राय है कि ऐसा नहीं है, इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि जहां तक हो सके रोज़ेदार इस गोली का इस्तेमाल न करे, लेकिन इसके इस्तेमाल से रोज़ा उसी वक्त टूटेगा जब दवा मिला हुआ लुआब हलक के नीचे उतर जाये। सिर्फ़ ज़बान के नीचे गोली रखना रोज़ा टूटने की वजह नहीं होगी।

### पे़ाब के स्थान तक नली का पहुंचना

यदि मर्द के मुसाना तक नली पहुंचाई जाये तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा चाहे नली सूखी हो या गीली इससे दवा पहुंचाई जाए या नहीं और औरत के मुसाना में नली पहुंचाई जाए तो यदि नली गीली है तो या इससे दवा पहुंचाई गई है तो रोज़ा टूट जाएगा लेकिन अगर नली सूखी हो और इससे दवा भी न पहुंचाई गई हो तो रोज़ा नहीं टूटेगा।

### इन्हेलर का इस्तेमाल

जिन लोगों को दमे की शिकायत होती है उनको इन्हेलर के ज़रिये दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके ज़रिये पाउडर का बहुत छोटा कण फेफड़ों तक

पहुंचाया जाता है। इलाज के इस तरीके के ज़रिये दवा के इस्तेमाल से रोज़ा टूट जायेगा। इसलिये फिक के नज़रिये से साफ़ ज़ाहिर हो रहा है कि मनाफ़िज़-ए-अस्लिया (मुंह, दिमाग, नाक, कान, अगली-पिछली शर्मगाहें) से जब किसी चीज़ को दाख़िल किया जा रहा हो तो केवल दाख़िले से रोज़ा टूट जाता है और इन्हेलर के इस्तेमाल में बहरहाल दख़ल होता है चाहे दवा कम ही क्यों न हो।

### भाप की शकल में दवा का इस्तेमाल

निमोनिय और कई दूसरी बीमारियों में भाप के ज़रिये भी दवा इस्तेमाल की जाती है। ये इस्तेमाल कभी दवा को पानी में डालकर और पानी को खौलाकर उसकी भाप मुंह और नाक से लेकर किया जाता है और कभी ये काम कुछ यन्त्रों के द्वारा किया जाता है। बहरहाल भाप चाहे किसी भी यन्त्र की मदद से ली जाये या सादा तरीके से, दोनों हालतों में रोज़ा टूट जायेगा, इसके लिये फुकहा ने साफ़ किया है कि जानबूझ कर धुआं हलक के नीचे उतारने से रोज़ा टूट जाता है और ये बात इसमें मुकम्मल तौर पर पायी जाती है।

### बवासीरी मस्सों पर मरहम लगाने का आदेश

अगर पीछे के रास्ते से किसी दवा का प्रयोग किया जाए और दवा हुक्ना (पिछली शर्मगाह का भीतरी भाग) लगाने के स्थान तक पहुंच जाए तो रोज़ा टूट जाता है। इसलिए फुकहा ने इसको भी हुक्ना लगाने के स्थान में सम्मिलित किया है जबकि फुकहा ने स्पष्ट किया है कि यदि दवा हुक्ना लगाने के स्थान तक न पहुंचे तो रोज़ा नहीं टूटेगा।

इस व्याख्या से स्पष्ट हो गया है कि कोई दवा या मरहम लगाने से या इसको पानी से तर करके चढ़ाने से रोज़ा नहीं टूटेगा इसलिए कि जानकारों का कहना है कि बवासीरी मस्से हुक्ना लगाने के स्थान से बहुत नीचे होते हैं।

### रोग की पुष्टि के लिए यन्त्रों का प्रयोग

अगर रोग की खोज के लिए पीछे के गुप्तांग में किसी यन्त्र की सहायता ली जाए तो अगर यह यन्त्र सूखे हैं और इनका एक सिरा बाहर है जैसा कि आमतौर पर होता है तो इन यन्त्रों को अन्दर डालने से रोज़ा नहीं टूटेगा लेकिन अगर यन्त्र पर कोई तेल या ग्रीस जैसी चीज़ लगाकर इसे अन्दर किया गया है तो रोज़ा टूट जाएगा।

यही आदेश किसी औरत के गुप्तांग में खोज के लिए किसी यन्त्र को प्रवेश कराने का भी है।

# रमज़ानुलमुबारक में औरतों के मसाल

## औरत सुबह सादिक के बाद माहवारी से पाक हो

अगर औरत सुबह सादिक के बाद दिन में किसी भी वक़्त माहवारी या प्रस्व से पाक हुई तो आज के दिन वो रोज़ा नहीं रखेगी बल्कि बाद में उस दिन की कज़ा करेगी, अलबत्ता रोज़ेदारों की तरह शाम तक खान-पीने से परहेज़ करे। (तन्वीरुल अबसार: 3/342)

अगर औरत सुबह सादिक से पहले माहवारी से पाक हो गयी तो उस सूरत में तफ़्सील ये है:

अगर वो दस दिन पूरे माहवारी में रहकर पाक हुई है, तो अब चाहे सुबह सादिक से पहले उसे गुस्ल का मौका मिला हो या न मिला हो, बहरहाल वो अगले दिन का रोज़ा रखेगी।

अगर दस दिन से कम में औरत पाक हुई है तो ये देखा जायेगा कि सुबह सादिक से पहले वो गुस्ल करके पाक हो सकती है या नहीं? अगर इतना वक़्त है कि पाक हो सकती है तो उस पर अगले दिन का रोज़ा रखना ज़रूरी होगा, और अगर इतना वक़्त नहीं है कि गुस्ल कर सके जैसे कि ऐन सुबह सादिक के वक़्त पाक हुई है तो अब उस पर अगले दिन का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, बल्कि बाद में कज़ा करेगी। (हिन्दिया: 1/207)

## औरत के लिये हैज़ के दिन उज़्र हैं

औरत पर अगर कफ़ारा लाज़िम हो जाये तो उसके (माहवारी) नापाकी के दिन उज़्र समझे जायेंगे, इन दिनों में रोज़ा नहीं रखेगी, रोज़ा न रखने से उसके कफ़ारे के रोज़े के क्रम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पाकी के फ़ौरन बाद लगातार रोज़े रखने होंगे।

## मुस्तहज़ा का रोज़ा

माहवारी या प्रस्व की मुद्दत से ज़्यादा दिनों तक

खून आये, इसी तरह आदत वाली औरतों को आदत से ज़्यादा दिन तक खून आये, ऐसी औरतों के लिये रोज़े की कज़ा नहीं है बल्कि वो इस्तहाज़ा (माहवारी के बाद भी खून आना) का खून आने के बावजूद रोज़ा रखेंगी। (रद्दुल मुख़्तार: 3/390)

## गर्भवती और दूध पिलाने वाली औरतों के लिये फ़

गर्भवती औरतों के गर्भ के कारण से जिस्मानी परेशानियों का सामना हो और रोज़ा रखने में मुश्किल पेश आ रही हो तो उसके लिये इजाज़त है कि रमज़ान में रोज़ा न रखे और बाद में कज़ा कर ले, इस पर कोई गुनाह नहीं होगा। इसी तरह दूध पिलाने वाली औरत के लिये भी इजाज़त है कि बाद में सिर्फ़ छूटे हुए रोज़ों की कज़ा कर ले। आप स0अ0 ने फ़रमाया:

“गर्भवती और दूध पिलाने वाली औरत से रोज़ा माफ़ फ़रमा दिया।” (तिरमिज़ी: 1750)

## रोजे की हालत में बच्चों को दूध पिलाना

औरतें जिहालत की वजह से समझती हैं कि रोज़े की हालत में बच्चों को दूध पिलाने से रोज़ा टूट जाता है। ये ख़्याल ठीक नहीं है। इसलिये कि रोज़ा किसी चीज़ के पेट या दिमाग़ में दाख़िल होने की वजह से टूटता है न कि जिस्म के किसी चीज़ के निकलने से। नवजात शिशुओं को दूध पिलाने से रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। (रमज़ान के शरई अहकाम: 192)

## हैज़ को रोकने वाली गोलियों का इस्तेमाल

औरतों को हैज़ आना एक फ़ितरी काम है और फ़ितरी काम को रोकने से जिस्म को नुक़सान पहुंच सकता है। अल्बत्ता लोगों के साथ रोज़ा रखने की ख़्वाहिश में हैज़ न आने वाली गोलियों का इस्तेमाल करना चाहे तो उसकी इजाज़त है।

## औरतों के लिये तरावीह

रमजान के महीने में मर्दों की तरह औरतों के लिये भी तरावीह सुन्नत—ए—मुअक्कदा है, सिर्फ औरतें अगर जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ें तो कराहत के साथ नमाज़ हो जायेगी।

बाज़ घरानों में औरतों की जमाअत कायम हो जाती है और उसके लिये हाफिज़ या इमाम तय किया जाता है, ऐसी सूरत में अगर इमाम के पीछे मर्द या औरतों में कोई इमाम का महरम हो (मां, बहन, बीवी) तो बिला कराहत सभी की नमाज़ हो जायेगी, और अगर इमाम के पीछे कोई मर्द या इमाम का महरम मौजूद नहीं तो इस सूरत में नमाज़ कराहत के साथ दुरुस्त होगी। (हिन्दिया: 1/85)

## औरतों का एतिकाफ़

औरतों के लिये एतिकाफ़ करना सुन्नत है, लेकिन ये ज़रूरी है कि शौहर से इजाज़त ले ले। उनके लिये मस्जिद में एतिकाफ़ करना मकरूह है, उनके लिये एतिकाफ़ की सबसे बेहतरीन जगह घर है और घर में कोई ऐसी जगह जो पहले ही से नमाज़ के लिये तय हो वहीं एतिकाफ़ करे ये इमाम अबू हनीफ़ा की राय है क्योंकि इस दौर में औरतों का मस्जिद में मोतकिफ़ होना फ़िल्ने से ख़ाली नहीं, इसलिये रसूलुल्लाह स०अ० ने औरतों को मस्जिद में नमाज़ अदा करने के मुक़ाबले में घर में अदा करने को बेहतर करार दिया है। इसी तरह मुस्तहाज़ा (जिसे माहवारी के बाद भी खून आये) औरत के लिये एतिकाफ़ करना दुरुस्त है।

## भूर्ण तक यन्त्रों का पहुँचना :

भूर्ण की सफ़ाई के लिए और बच्चेदानी के मुंह को बड़ा करने के लिए जो यन्त्र (Dilators) प्रयोग किये जाते हैं और आन्तरिक रहम को खुरचने का यन्त्र (Curette) अगर इन पर कोई तेल इत्यादि लगाकर इन को दाखिल किया जाए तो रोज़ा टूट जाएगा और इनको सूखा प्रवेश कराने से रोज़ा नहीं टूटेगा।

लेकिन यदि सूखा प्रवेश कराकर एक बार बाहर निकाल कर बिना साफ किये फिर प्रवेश करा दिया जाए तो रोज़ा टूट जाएगा।

## औरत के गुप्तांग में दवा रखना :

यदि गुप्तांग में दवा रखी जाए या रखी ऊपरी भाग में जाए लेकिन आन्तरिक भाग तक पहुँच जाए तो रोज़ा टूट जाएगा चाहे दवा सूखी हो या गीली।

इसी तरह मर्द या औरत किसी दवा या पानी इत्यादि से तर उंगली अपनी शर्मगाह में दाखिल करेगा तो फ़ुक्हा के अनुसार रोज़ा टूट जायेगा। यहां तक कि लेडी डाक्टर अगर सूखी उंगली अन्दर ले जाये तो रोज़ा नहीं टूटेगा लेकिन अगर दोबारा गीली उंगली ले जाती है तो रोज़ा टूट जायेगा। (हिन्दिया: 1/204)

## औरतें और ईद की नमाज़

रसूलुल्लाह स०अ० के ज़माने में औरतों को ईद की नमाज़ की इजाज़त थी। (तिरमिज़ी: 539)

आप स०अ० के ज़माने में ख़ैर ही ख़ैर थी, औरतों में हया थी, मर्द भी अपनी निगाह नीची रखते थे, और फ़िल्ने का अन्देशा भी कम था, आज की तरह बेहयाई आम नहीं थी, मौजूदा दौर में औरतों को ईद की नमाज़ की इजाज़त नहीं है।

हज़रत आयशा रज़ि० फ़रमाती है:

“औरतों में अब जो कैफ़ियत पैदा हो गयी है, अगर आप स०अ० ने देखा होता तो उनको मस्जिद जाने से इसी तरह मना फ़रमाया होता जैसे कि बनी इस्राईल की औरतों को मना कर दिया गया था।” (बुख़ारी: 869)

ज़ाहिर है कि हज़रत आयशा रज़ि० के ज़माने के एतबार से अब समाजी हालात और बदतर हो गये हैं। फ़िल्ने के मौक़े भी बढ़ गये हैं, औरतों की ऐश व आराइश का ज़ब्बा भी पहले से कहीं बढ़ गया है, इसीलिये मौजूदा हालात में भी औरतों का ईद वग़ैरह की नमाज़ में शिरकत करना मुनासिब नहीं।

और न ही ईद अकेले घर पर पढ़ सकती हैं, इसलिये कि औरतों पर जुमा और ईद वाजिब ही नहीं रखा गया है, इसके बरख़िलाफ़ा पर्दा और घर में रहने को ज़रूरी करार दिया गया। (अलएहज़ाब: 33)

इसलिये औरतों को घर में रहकर कुरान के हुक्म पर अमल करके सवाब हासिल होगा, और ईदगाह में जायें और नाखुशगवाहर हालात पेश आयें तो उनसे दीन और दीन की जगहों की बदनामी होगी, इसलिये औरतों का ईदैन में न जाना ही ज़्यादा बेहतर है।

# कफ़ारा और फ़िदिया

## रोज़े का कफ़ारा

कफ़ारे में पहले नम्बर पर गुलाम का आज़ाद करना है लेकिन अब गुलामों का चलन नहीं है इसलिये बज़ाहिर ये मुमकिन नहीं है।

कफ़ारे की दूसरी शकल दो महीने रोज़ा रखना है लेकिन इसके लिये ज़रूरी है कि ये रोज़े लगातार रखें जायें, उनका क्रम न टूटे। अगर उन रोज़ों के बीच रमज़ान का महीना या अय्याम तशरीक आ गये तो क्रम टूट जायेगा और फिर से रोज़े रखने पड़ेंगे। यही हुकम उस वक़्त भी होगा जब बीमार हो जाये या औरत निफ़ास की हालत में हो जाये, यद्यपि अगर बीच में औरत को माहवारी आये तो वो रोज़े रखना बन्द कर दे, और जब रुक जाये तो जितने रोज़े बाकी रह गये थे केवल वही रख ले फिर से रखने की ज़रूरत नहीं है।

और अगर किसी को रोज़ा रखने की भी ताक़त नहीं है 60 ग़रीबों को दो वक़्त का खाना खिलाये या हर ग़रीब को सदक़-ए-फ़ित्र के बराबर गुल्ला दे यानि आधा साअ (1 किलो 633 ग्राम गेहूँ) या एक साअ (3 किलो 266 ग्राम) जौ या खजूर या उन चीज़ों की कीमत के बराबर कोई दूसरी चीज़ या नक़द रूपये दे। अगर इस तरह करने के बजाये किसी एक ग़रीब को साठ दिन तक दो वक़्त खाना खिला दे, तब भी कफ़ारा अदा हो जायेगा।

## फ़िदिया

अगर कोई व्यक्ति किसी शर्इ कारण से रोज़ा नहीं रख सकता है जैसे सख़्त बीमार, बुढ़ापा, कमज़ोरी इत्यादि के कारण से तो उसके लिये शरीअत ने फ़िदिया रखा है, यानि एक ग़रीब को खाना खिलाना, उसकी सराहत खुद कुरआन मजीद में मौजूद है:

“फ़िदिया ये है कि मिस्कीन को खाना खिलाया जाये।” (सूरह बकरा : 184)

इसलिये ऐसे कमज़ोर व लाचार व्यक्ति के लिये आवश्यक है कि वो हर रोज़े के बदले किसी ग़रीब को दो वक़्त अच्छे से खाना खिला दे और खाना खिलाने के बजाये गुल्ला देना चाहता हो तो सदक़-ए-फ़ित्र के बराबर दे दे यानि आधा साअ (1 किलो 633 ग्राम गेहूँ) या एक साअ जौ या खजूर या उन चीज़ों की कीमत के बराबर कोई दूसरी चीज़ या नक़द रूपये दे।

## फ़िदिया का आदेश और उसकी मात्रा

अगर कोई व्यक्ति किसी शर्इ कारण से रोज़ा नहीं रख सकता है जैसे सख़्त बीमार, बुढ़ापा, कमज़ोरी इत्यादि के कारण से तो उसके लिये शरीअत ने फ़िदिया रखा है, यानि एक ग़रीब को खाना खिलाना, उसकी सराहत खुद कुरआन मजीद में मौजूद है:

“फ़िदिया ये है कि मिस्कीन को खाना खिलाया जाये।” (सूरह बकरा : 184)

इसलिये ऐसे कमज़ोर व लाचार व्यक्ति के लिये आवश्यक है कि वो हर रोज़े के बदले किसी ग़रीब को दो वक़्त अच्छे से खाना खिला दे और खाना खिलाने के बजाये गुल्ला देना चाहता हो तो सदक़-ए-फ़ित्र के बराबर दे दे यानि आधा साअ (1 किलो 633 ग्राम गेहूँ) या एक साअ (3 किलो 266 ग्राम) जौ या खजूर या उन चीज़ों की कीमत के बराबर कोई दूसरी चीज़ या नक़द रूपये दे।

हज़रत सहल बिन साद रज़ि० नक़ल फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (स०अ०) का इरशाद है फ़रमाते हैं कि:  
“जन्नत के आठ दरवाजे हैं। उनमें से एक दरवाजे का नाम “रैयान” है, जिसमें से सिर्फ़ रोज़ादार दाख़िल होंगे।”

# तरावीह की तमाज़

तरावीह सुन्नते मुअक्कदा है मर्दों के लिये भी और औरतों के लिये भी। अगर कोई तरावीह के सुन्नत होने का इनकार करे तो उसे फुक्हा ने गुमराह के खाने में रखा है और ऐसे शख्स की गवाही को नाकाबिले कुबूल करार दिया गया है।

हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रह० से खुद उनके शागिर्द हसन बिन ज़ियाद रज़ि० ने नकल किया है:

“यानि तरावीह की नमाज़ सुन्नत है, इसका तर्क करना जायज़ नहीं।”

इससे कई किताबों में तरावीह के सुन्नत या मुस्तहब होने के संबंध में जो संदेह है वो समाप्त हो जाता है।

## तरावीह की रकआतें

रमज़ानुल मुबारक की एक श्रेष्ठ इबादत तरावीह की नमाज़ है जो अपनी अलग शान रखती है इस नमाज़ के ज़रिये रमज़ान में मस्जिदों की रौनक बढ़ जाती है और इबादात के शौक में ग़ैर मामूली इज़ाफ़ा हो जाता है।

आप स०अ० ने रमज़ानुल मुबारक में तीन दिन मस्जिद-ए-नबवी में तरावीह की नमाज़ बा जमात पढ़ाई लेकिन जब भीड़ बढ़ने लगी और सहाबा किराम का ग़ैरमामूली शौक देखा तो आप को खतरा हुआ कि कहीं ये नमाज़ उम्मत पर फ़र्ज़ न कर दी जाये तो आप स०अ० ने ये सिलसिला ख़त्म कर दिया। (बुख़ारी 2012 – मुस्लिम 1783)

सालबा बिन अबी मालिक रह० रिवायत करते हैं कि एक बार आप स०अ० मस्जिद तशरीफ़ लाये तो देखा कि मस्जिद के एक कोने में कुछ लोग जमाअत से नमाज़ पढ़ रहे हैं। आप स०अ० ने पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं? तो किसी ने बताया कि ऐ अल्लाह के रसूल स०अ० ये वो लोग हैं जिनको कुरआन मजीद हिफ़ज़ नहीं है। हज़रत उबई इब्ने काब रज़ि० नमाज़ में कुरआन करीम पढ़ रहे हैं और ये लोग उनकी इक्तिदा में नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये

सुनकर आप स०अ० ने फ़रमाया कि उन्होंने बहुत अच्छा किया और आप ने उनके बारे में कोई नागवारी की बात इरशाद नहीं फ़रमायी। (सुननुल कुबरा अल बैहिकी: 2/697)

इस हदीस की तफ़सील से मालूम हो गया कि नबूत के दौर में रमज़ान की वो ख़ास नमाज़ जिसे बाद में तरावीह का नाम दिया गया यकीनन पढ़ी जाती रही है और सहाबा उस नमाज़ से बख़ूबी वाकिफ़ थे। और अकेले-अकेले और कभी जमाअत से पढ़ा करते थे। दौरे सिद्दीकी और दौरे फ़ारूकी के शुरूआती ज़माने तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहा उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ि० ने ये देखकर कि लोग मस्जिद में अकेले और छोटी छोटी टोलियां बनाकर तरावीह की नमाज़ पढ़ते हैं। आप ने मुनासिब समझा कि तरावीह की बाकायदा नमाज़ कायम कर दी जाये। इसीलिये आप ने हज़रत उबई इब्ने काब रज़ि० को तरावीह का इमाम तय फ़रमाया और हज़रत सहाबा किराम हज़रत उबई इब्ने काब की इक्तिदा में तरावीह की नमाज़ पढ़ने लगे। (बुख़ारी 2010)

अक्सर रिवायात और आसारे सहाबा से बीस रकआत तरावीह का पता चलता है। लोग हज़रत उमर बिन अल ख़त्ताब रज़ि० के ज़माने में 23 रकआत पढ़ते थे। (मुअत्ता 448)

हज़रत साइब बिन यज़ीद रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० के ज़माने में बीस रकआत तरावीह और वित्र पढ़ा करते थे। (नस्बुर्राया: 2/154)

हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० ने एक शख्स को हुक्म दिया कि वो लोगों को बीस रकआत पढ़ाए। (मुसन्नफ़ अबी शेएबा 7764)

हज़रत उबई इब्ने काब रज़ि० रमज़ान में लोगों को बीस रकआत पढ़ाते थे और तीन रकआत वित्र पढ़ते थे। (मुसन्नफ़ अबी शेएबा 7766)

तरावीह सुन्नते मुअक़दा है। मर्दों के लिये भी और औरतों के लिये भी। अगर कोई तरावीह के मशरूअ व सुन्नत होने का इनकार करे तो फुक़हा ने गुमराह के हिस्से में रखा है। और ऐसे शख़्त की गवाही को नाक़ाबिले कुबूल करार दिया गया है।

हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा से उनके शार्गिद हसन बिन ज़ियाद ने नक़ल किया है कि तरावीह की नमाज़ सुन्नत है उसका छोड़ना जायज़ नहीं। इससे कई किताबों में तरावीह के सुन्नत या मुस्तहब होने के संबंध में जो शक़ है वो दूर हो जाता है।

**तरावीह की नमाज़ में दस सलाम के साथ बीस रक़ातें हैं:** तरावीह की रक़ातों के सिलसिले में कई इख़्तिलाफ़ पाये जाते हैं लेकिन हकीक़त यही है कि अइम्मा अरबा 20/रक़ात पर सहमत हैं। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि० के ज़माने में मुसलमानों में पाबन्दी से 20/रक़ात तरावीह का मामूल रहा है और आज तक हरमैन शरीफ़ैन में मामूल कायम है।

जिस तरह मस्जिद में तरावीह की नमाज़ अदा की जाती है उसी तरह घर में अदा की जा सकती है। लेकिन ये ख़्याल रहे कि तरावीह सुन्नते किफ़ाय़ा है और अगर किसी मस्जिद में तरावीह की जमाअत बिल्कुल ही न हो तो उस मुहल्ले के सभी नमाज़ी गुनहगार होंगे अलबत्ता अगर कुछ लोगों ने मस्जिद में अदा की और कुछ ने अपने घर में हर्ज नहीं। वो महज़ जमाअत की फ़ज़ीलत का तारिक़ होंगे। इसी तरह अगर घर पर नमाज़ जमाअत के साथ अदा कर ली तो जमाअत की फ़ज़ीलत तो हासिल होगी अलबत्ता मस्जिद की फ़ज़ीलत से महरूमि रहेगी। हां अगर दीनी एतबार से किसी की इतनी वजाहत हो कि उसकी ग़ैर हाज़िरी की वजह से मस्जिद में नमाज़ियों की संख्यां प्रभावित हो सकती हो तो उसके लिये मस्जिद में ही नमाज़ अदा करना बेहतर होगा।

### नियत

तरावीह की नमाज़ पढ़ते हुए "तरावीह" या "सुन्नत वक़्त" या "क़यामुल लैल रमज़ान" की नियत करे, सिर्फ़ नमाज़ या नफ़िल नमाज़ का इरादा काफ़ी नहीं क्योंकि ये एक मुस्तक़िल नमाज़ है। इसी आधार पर अगर फ़र्ज़ पढ़ने वाले इमाम या मुत्लक़ नफ़िल नमाज़ पढ़ने वाले इमाम की इक़तदा में तरावीह की नमाज़ अदा की जाये तो ऐसा

करना ठीक नहीं होगा, कई हज़रत की राय ये है कि हर दो रक़ात पर मुस्तक़िल नियत करे लेकिन ज़्यादा सही ये है कि एक बार की नियत काफ़ी होगी, इसलिये कि तमाम रक़ात एक ही नमाज़ के दर्जे में है।

### तरवीह

तरवीहा (चार रक़ात के बाद बैठना) के लिये कोई ख़ास इबादत तय नहीं है बल्कि अख़्तियार है चाहे ज़िक़्र करें या तिलावत करें, या अकेले-अकेले नफ़िल पढ़ें। कई फुक़हा से ये दुआ पढ़ना मनकूल है अतः जिसका जी चाहे इसे पढ़ सकता है। (शामी 2/497)

**विभिन्न आदेश:** अगर तरावीह में कोई रक़ात फ़ासिद हो गयी तो इमाम को उसमें पढ़ा गया कुरआन दोहरा लेना चाहिये।

बेहतर ये है कि एक ही इमाम 20/रक़ाते पढ़ाएँ अगर दो या उससे ज़्यादा पढ़ाएँ तो भी अफ़ज़ल है कि तरावीह की रक़ात पूरी होने के बाद इमाम बदला जाये।

नाबालिग़ जो बाशऊर हो चुका हो, कई फुक़हा ने उसकी इमामत की तरावीह में इजाज़त दी है, लेकिन अक्सर फुक़हा इससे मना करते हैं। इसलिये नाबालिग़ की इमामत सही नहीं है।

अगर तीन रक़ातें पढ़ी मगर दूसरी रक़ात पर बैठ जाये तो दो सही हो गयीं और तीसरी ख़राब हो गयी। तीसरी रक़ात में जो कुरआन का हिस्सा पढ़ा गया है तो उसे दोहरायें और अगर एक सलाम से तीन रक़ातें पढ़ी और दूसरी रक़ात में बैठा नहीं तो तीनों रक़ातें बातिल हो गयीं इसमें पढ़ा गया कुरआन दोहराया जायेगा और अगर एक सलाम से चार रक़ातें पढ़ी और दूसरी रक़ात पर बैठा तो चारों सही हो गयीं और अगर एक सलाम से चार रक़ात पढ़ी और पहले कादे में नहीं बैठा तो सिर्फ़ आख़िर की दो रक़ात मान्य होंगी और पहली दो रक़ातें बातिल हो जायेंगी। इन दो रक़ातों में जो कुरआन पढ़ा है उसे दोहराया जायेगा। (शामी 2/421)

तरावीह में कोई सूरत या आयत छूट गयी, फिर आगे की रक़ात में इसको दोहराया गया तो बेहतर है कि उसके बाद पढ़े हुए कुरआन को भी दोहरा दे।

अगर किसी की तरावीह की कुछ रक़ात जमाअत से छूट जाये तो वो तरवीहा के वक़्त में रक़ात पूरी कर ले अगर

(शेष पेज 37 पर)

# एतिकाफ़

एतिकाफ़ अरबी ज़बान का एक शब्द है जिसका अर्थ ठहरने और स्वयं को रोक लेने का है। शरीअत के अनुसार मस्जिद के अन्दर नियत के साथ अपने आप को कुछ विशेष चीज़ों से रोके रखने का नाम एतिकाफ़ है। रसूलल्लाह स०अ० ने एतिकाफ़ के खास फ़ाएदे बयान किये हैं। आप स०अ० ने फ़रमाया कि एतिकाफ़ की हालत में एतिकाफ़ करने वाला गुनाहों से तो दूर रहता ही है और मस्जिद से बाहर न निकलने की वजह से जिन नेकियों से वंचित रहता है वो नेकियां भी अल्लाह तआला के करम से उसकी नेकियों में शामिल हो जाती हैं। रसूलल्लाह स०अ० ने जिस पाबन्दी से एतिकाफ़ फ़रमाया उम्मुलमोमिनीन हज़रत आयशा रज़ि० कहती हैं कि आप स०अ० वफ़ात तक बराबर रमज़ानुल मुबारक के आख़िरी दस दिनों में एतिकाफ़ फ़रमाते रहे। फिर आप स०अ० के बाद आप की बीवियों ने भी एतिकाफ़ फ़रमाया। दस दिन का एतिकाफ़ आप स०अ० का नियम था। एक साल एतिकाफ़ न कर सके तो दूसरे साल बीस दिन का एतिकाफ़ फ़रमाया।

## एतिकाफ़ के प्रकार

फ़ुक्हा ने आदेश और महत्व के आधार पर एतिकाफ़ की तीन किस्में बयान की हैं। वाजिब, मसनून, मुसतहब

**वाजिब एतिकाफ़** : किसी नज़र और मन्त मांगने की वजह से दूसरी इबादतों की तरह एतिकाफ़ भी वाजिब हो जाता है। एतिकाफ़ कम से कम एक दिन का होगा उससे कम का नहीं और उसकी नज़र के समय रोज़ा रखने की नियत हो या न की हो, बहरहाल रोज़ा रखना आवश्यक होगा।

**मसनून एतिकाफ़** : रमज़ानुल मुबारक के आख़िरी दस दिनों में एतिकाफ़ सुन्नते मुएक्कदा अलल किफ़ाया है यानि अगर किसी एक व्यक्ति ने एतिकाफ़ कर लिया तो सभी के ऊपर से सुन्नत को तर्क करने का गुनाह ख़त्म हो जाएगा; और अगर किसी ने नहीं किया तो सुन्नत को तर्क करने के गुनहगार होंगे। एतिकाफ़ मसनून के लिए रोज़ा

ज़रूरी है।

एतिकाफ़ का तरीका ये है कि बीस रमज़ानुल मुबारक को अस्स के बाद सूरज डूबने से पहले एतिकाफ़ की नियत से मस्जिद में दाख़िल हो जाए और उन्तीस रमज़ानुल मुबारक को ईद का चांद होने के बाद या तीस तारीख़ को सूरज डूबने के बाद वापस आ जाए।

**नफ़िल एतिकाफ़** : नफ़िल एतिकाफ़ में न रोज़ा की शर्त है न मस्जिद में रात गुज़ारने की और न दिनों की कोई संख्या है जितने दिन और जितनी देर का चाहे एतिकाफ़ कर सकता है उसका तरीका ये है कि मस्जिद में दाख़िल होते समय एतिकाफ़ की नियत कर ले। इस प्रकार जब तक वो मस्जिद में रहेगा एतिकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा और जब बाहर आ जाएगा तो एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा।

## एतिकाफ़ की शर्तें

एतिकाफ़ सही होने के लिए एतिकाफ़ करने वाले का मुसलमान और बालिग़ होना, नियत का होना, मर्द का नापाकी व औरत का माहवारी से पाक होना और ऐसी मस्जिद में एतिकाफ़ करना जिसमें पांच वक्त की नमाज़ अदा की जाती हो शर्त है। बालिग़ होना ज़रूरी नहीं बालिग़ होने के निकट और समझदार नाबालिग़ भी एतिकाफ़ कर सकते हैं। वाजिब और मसनून एतिकाफ़ के लिए रोज़ा रखना भी ज़रूरी है।

## एतिकाफ़ की बेहतर जगह

एतिकाफ़ उन इबादतों में से है जिसकी अदाएगी मस्जिद में होनी चाहिए, कहीं और बैठ जाना काफी नहीं इसलिए कि यही रसूलल्लाह स०अ० का नियम रहा है और हज़० अली रज़ि० से रिवायत है कि आप स०अ० ने फ़रमाया कि एतिकाफ़ केवल मस्जिद में ही होता है। एतिकाफ़ के लिए मर्दों के हक़ में सबसे बेहतर मस्जिदे हराम फिर मस्जिदे नबवी फिर मस्जिदे अक़सा और फिर शहर की जामा मस्जिद जहां नमाज़ी अधिक आते हों और

फिर अपने मोहल्ले की मस्जिद ।

औरतों के लिए एतिकाफ करना सुन्नत है लेकिन ये जरूरी है कि शौहर से इजाज़त ले ले। औरत के लिए मस्जिद में एतिकाफ करना मकरूह है। उनको घर में एतिकाफ करना चाहिए। अगर घर में पहले से कोई जगह एतिकाफ के लिए तय है तो वहीं एतिकाफ करे ये इमाम अबू हनीफ़ा रह० की राय है क्योंकि इस दौर में औरतों का मस्जिद में एतिकाफ करना फितने से ख़ाली नहीं इसलिए रसूलल्लाह स०अ० ने औरतों के मस्जिद में नमाज़ अदा करने के मुकाबले में घर में नमाज़ अदा करने को बेहतर करार दिया है।

एतिकाफ करने वाले को चाहिए कि अपना समय कुरआन पाक की तिलावत, रसूलल्लाह स०अ० की सीरत (चरित्र), अम्बिया व बुजुर्गों के वाक्यों व हालातों और दीनी किताबों का अध्ययन और उन्हीं चीज़ों को पढ़ाना, दीनी किताबों को लिखना या उनको एकत्रित करने इत्यादि में अपना समय लगाए। एतिकाफ की हालत में खुशबू वगैरह लगा सकते हैं। एतिकाफ के आदाब में ये भी है कि मस्जिद के आदाब का लिहाज़ रखा जाए। मस्जिद में सामान लाकर ख़रीदा बेचा न जाए हां अगर सौदा बाहर हो तो इस तरह के मामले की गुंजाइश है। इबादत समझ कर बिल्कुल ख़ामोश रहना या बेहूदा और नामुनासिब बातें करना भी मकरूह है।

### एतिकाफ़ को तोड़ने वाली चीज़ें

बीवी से हमबिस्तरी, मस्जिद के अन्दर हो या बाहर, जानबूझ कर हो या भूल से, दिन में हो या रात में, वीर्य निकले या न निकले, हर हाल में एतिकाफ टूट जाएगा। हमबिस्तरी से पहले के मामले यानि छूना या चूमना इत्यादि भी जाएज़ नहीं मगर उससे एतिकाफ़ नहीं टूटेगा लेकिन बीवी से बातचीत करना सही है। इसी प्रकार ऐसी बेहोशी जो एक दिन से अधिक हो गयी हो तो एतिकाफ़ टूट जाता है औरत को मासिक धर्म आ गया तो उससे भी एतिकाफ़ टूट जाएगा और उसकी क़ज़ा वाजिब होगी। दिन में जानबूझ कर खा पी लेने से रोज़ा ख़राब हो जाता है और एतिकाफ़ भी टूट जाता है।

### मस्जिद से बाहर निकलना

बिना आवश्यकता मस्जिद से बाहर निकल जाने से भी एतिकाफ़ टूट जाता है। इमाम अबू हनीफ़ा रह० के नज़दीक तो बिना आवश्यकता थोड़ी देर के लिए निकलने

से भी एतिकाफ़ ख़राब हो जाता है। लेकिन साहिबैन रह० के निकट दिन रात के अधिकतर भाग में मस्जिद से बाहर रहने से एतिकाफ़ ख़राब हो जाता है, लेकिन किसी ज़रूरत के लिए बाहर निकला जा सकता है। ये आवश्यकता दो प्रकार की है। स्वाभाविक, शर्ई: स्वाभाविक आवश्यकता से मुराद पेशाब पाखाना गुस्ल वाजिब हो जाने की सूरत में गुस्ल के लिए निकलना, खाना लाने वाले न हों तो खाने के लिए निकलना इत्यादि शामिल है मगर इन सूरतों में भी आवश्यकता से अधिक नहीं ठहरना चाहिए इन्हीं शर्ई कामों में उलमा ने हुक्का को शुमार किया है कि मस्जिद से बाहर जाकर हुक्का पीकर बदनू मिटाकर मस्जिद में आ जाना चाहिए। यही तरीका उन लोगों को भी अपनाना चाहिए जो सिगरेट पान वगैरह के आदी हों। शर्ई आवश्यकताओं में से ये भी है कि अगर ऐसी मस्जिद में एतिकाफ़ कर रहा है जहां जुमा नहीं होता है तो जुमा के लिए जामा मस्जिद जाना सही है। बल्कि इसकी रिआयत जरूरी है कि केवल इतनी देर दूसरी मस्जिद में ठहरे कि तहीयतुल मस्जिद पढ़ ले, सुन्नत अदा कर ले फिर खुब्वे से जुमा के बाद की सुन्नतें अदा करने के बाद जल्द से जल्द अपनी मस्जिद में आ जाए देरी मकरूह है। अगर कोई शख्स जबरन निकाल दे या मस्जिद टूट जाए जिसकी वजह से निकलना पड़े या उस मस्जिद में जान व माल का ख़तरा हो जाए तो उन सभी हालतों में उस मस्जिद के बजाए दूसरी मस्जिद में जाकर एतिकाफ़ कर लेना सही है और उससे एतिकाफ़ में कोई ख़लल नहीं पड़ेगा लेकिन दूसरी मस्जिद में फ़ौरन बिना देर किये चला जाए इसी प्रकार अगर एतिकाफ़ के बीच मस्जिद से निकल कर अज़ान देने के लिए मीनार पर चढ़ जाए तो इसकी भी इजाज़त है।

### एतिकाफ़ की क़ज़ा

अगर एतिकाफ़ वाजिब था और किसी वजह टूट गया तो उसकी क़ज़ा ज़रूरी है। इमाम अबू हनीफ़ा रह० के नज़दीक मसनून एतिकाफ़ में केवल उस दिन की क़ज़ा करनी होगी जिस दिन का एतिकाफ़ टूट गया जबकि इमाम अबू यूसुफ़ रह० के निकट पूरे दस दिन की क़ज़ा वाजिब होगी। मशहूर फ़कीह अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हुमाम रह० का रुज़ान भी इसी तरफ़ मालूम होता है इसलिए यही अधिक अच्छा तरीका है कि पूरे अशरा की क़ज़ा की जाए।

# शब-ए-क़द्र

अल्लाह तआला ने इस उम्मत को आप स0अ0 की बरकत से जिन इनामों से नवाज़ा है उनमें एक अज़ीम तरीन ईनाम शब-ए-क़द्र भी है। इस एक रात में इबादत का सवाब एक हज़ार महीने की इबादत से बढ़कर है। तफ़्सीरी रिवायात से मालूम होता है कि आप ने एक बार बनी इस्राईल के एक शख्स का तज़क़िरा किया कि वो लगातार एक हज़ार साल तक जिहाद में लगा रहा जिसको सुनकर सहाबा को बड़ा तअज्जुब हुआ और एक रिवायात में है कि आपको अपनी उम्मत की मुख़्तसर उम्रों के एतबार से ये एहसास हुआ कि ये लोग उममे साबिका की लम्बी उम्र रखने वाले आबिद व ज़ाहिद के दर्जे तक नहीं पहुँच पायेंगे। उस पर अल्लाह तआला ने इस उम्मत को शबे क़द्र का तोहफ़ा अता फ़रमाया। (तफ़्सीरे कुर्तुबी: 10/117, रूहुलमानी: 16/345)

शब क़द्र की बड़ी फ़ज़ीलत आयी है। क़ुरआन मजीद में इस रात का ख़ास तज़क़िरा ही इसकी फ़ज़ीलत और इसके बुलन्द मर्तबे के इज़हार के लिये काफ़ी है। शब-ए-क़द्र के माने शरफ़ व मन्ज़िलत वाली रात के हैं और एक मानी फ़ैसले वाली रात के हैं। कई रिवायतों से मालूम होता है कि अल्लाह तआला इसी शब में तक्दीर के सिलसिले में फ़ैसला फ़रमाते हैं और लोगों की ज़िन्दगी और मौत दुख-सुख सेहत व रिज़क़ और ज़िन्दगी के सभी मसलों के बारे में तय करते हैं। इसीलिये इसको शब-ए-क़द्र कहा जाता है।

शब-ए-क़द्र की अज़मत और अहमियत का ज़िक्र क़ुरआन मजीद में बल्कि उसकी एक पूरी सूरह में भी किया गया है। क़ुरआन मजीद को हमने शब-ए-क़द्र में नाज़िल किया: "तुम्हे क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है" फिर फ़रमाया गया "शब-ए-क़द्र हज़ार महीनों से बेहतर है" फिर उसकी बरकत और रूहानी रौनकों का ज़िक्र इस तरह फ़रमाया गया है, फ़रिश्ते और रूहुल कुद्स (हज़रत जिब्राईल अलै0) इस रात को अपने मालिक के हुक्म से

तमाम फ़ैसले लेकर उतरते हैं। पूरी तरह से सलामती की रात है सुबह सूरज निकलने से पहले तक (बरकतों और रूहानी रौनकों का ये सिलसिला कायम रहता है)

शब-ए-क़द्र में क़ुरआन नाज़िल फ़रमाया गया, और फिर आसमान-ए-अव्वल से इस्लाम के पैग़मबर मुहम्मद स0अ0 पर धीरे धीरे तेईस सालों में इसका नुज़ूल पूरा हुआ।

क़ुरआन मजीद की इस सूरह से चार बातें स्पष्ट मालूम हुईं, 1. क़ुरआन इसी रात में नाज़िल हुआ 2. ये रात हज़ार महीनों से बेहतर है यानि इसकी इबादतों का अज़्र व सवाब हज़ार महीने की इबादत के अज़्र व सवाब से भी ज़्यादा है 3. इसमें फ़रिश्ते अत्यधिक मात्रा में धरती पर अवतरित होते हैं। 4. ये रात सलामती की है और इस रात में सारी बरकतें और रहमतें सुबह सूरज निकलने तक रहती हैं।

बड़ा बदनसीब है वो व्यक्ति जिसको ख़ैर व बरकत की ये रात मिले और वो इससे फ़ाएदा न उठाए, हज़रत अनस रज़ि0 ने फ़रमाया कि एक बार रमज़ानुल मुबारक का महीना आया तो आप स0अ0 ने फ़रमाया: एक रात है जो हज़ार महीनों से बेहतर है जो शख्स इस रात से महरूम रह गया तो मानो सारी ही ख़ैर से महरूम रह गया, और इसकी भलाई से महरूम नहीं रहता मगर जो व्यक्ति महरूम ही है।

शब-ए-क़द्र रमज़ानुल मुबारक के आख़िरी अशरे (दस दिनों) की ताक़ रातों में होती है और बदलती भी रहती है। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ि0 ने शब-ए-क़द्र के बारे में आप स0अ0 से पूछा तो आप स0अ0 ने इरशाद फ़रमाया कि रमज़ान के आख़िरी अशरे की ताक़ रातों में यानि इक्कीस, तेईस, पच्चीस, सत्ताइस, उन्तीसवीं रात में या रमज़ान की आख़िरी रात में भी हो सकती है। साल में एक ही शब में और एक ही तारीख़ में शब-ए-क़द्र का होना ज़रूरी नहीं है। अक्सर लोगों का

रुझान रमज़ानुल मुबारक की सत्ताइसवीं शब की तरफ़ है, खुद आप स०अ० ने सत्ताइसवीं शब में शब—ए—क़दर को तलाश करने का हुक्म फ़रमाया।

शब—ए—क़दर में आप स०अ० का तरीका इबादतों से अधिक एहतमाम का था, आप स०अ० ने इरशाद फ़रमाया: "जिसने शब—ए—क़दर में ईमान व इख़लास के साथ नमाज़ पढ़ी उसके पिछले सभी गुनाह माफ़ हो जाएंगे।"

इस रात में दुआ भी कुबूल की जाती है, हज़रत आयशा रज़ि० ने आप स०अ० से पूछा कि अगर मैं शब—ए—क़दर को पहचान लूं तो क्या दुआ करूं? आप स०अ० ने एक छोटी और जामए दुआ सिखाई।

आप स०अ० ने फ़रमाया: कि जब शब—ए—क़दर होती है तो हज़रत जिब्राईल अलै० फ़रिश्तों की एक जमाअत के साथ दुनिया में उतरते हैं और वो उस शख्स के लिये जो खड़े या बैठे अल्लाह का ज़िक्र कर रहा हो रहमत की दुआ करते हैं।

इस मुबारक रात बार बार ये खुदाई ऐलान होता रहता है कि है कोई माफ़ी चाहने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूं, है कोई आफ़ियत मांगने वाला कि मैं उसे आफ़ियत अता कर दूं, है कोई रोज़ी मांगने वाला कि मैं उसे रोज़ी इनायत करूं, है कोई सवाल करने वाला कि मैं उसके सवाल को पूरा करूं।

अल्लाह तआला का ये करम आम दिनों में होता है तो जो व्यक्ति शब—ए—क़दर में खुदा की याद व इबादत में लगा हुआ हो उसके साथ अल्लाह की रहमत का क्या मामला होगा।

जिन रातों में जगने का हुक्म दिया गया है उनमें नमाज़ों का एहतमाम तो करना ही चाहिये, कुरआन मजीद की तिलावत, कुरआन का सुनना, हदीस का पढ़ना और सुनना, तस्बीहात, दरूद शरीफ़ वगैरह का पढ़ना ये सभी काम सवाब वाले हैं, कोशिश करनी चाहिये कि रात का बड़ा हिस्सा इन कामों में गुज़र जाए।

रमज़ानुल मुबारक और शब—ए—क़दर की अज़मत का तो ये आलम है कि जब ईद का दिन होता है तो अल्लाह तआला फ़रिश्तों से पूछता है कि क्या बदला है उस मज़दूर का जो अपना काम पूरा कर चुका हो वो कहते हैं कि ऐ हमारे मअबूद, हमारे आका इसका बदला यही है कि उस मज़दूर की पूरी—पूरी मज़दूरी दे दी जाए। अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है कि ऐ फ़रिश्तों! मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैंने उनको रमज़ान के रोज़ों और तरावीह के बदले में

अपनी रज़ा और मग़फ़िरत अदा कर दी। और बन्दों से इरशाद होता है कि मेरे बन्दे मुझसे मांगें, मेरी इज़्जत की क़सम आज के दिन इस इज़्तमा में अपनी आख़िरत के बारे में मुझसे जो सवाल करोगे अता करूंगा। और दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे उसमें तुम्हारी मसलेहत पर नज़र करूंगा, अब बख़्शो बख़्शाए अपने घर को लौट जाओ तुमने मुझे राज़ी कर दिया और मैं तुमसे राज़ी हो गया।

लिहाज़ा हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो इस मुबारक रात में खुदा की रहमतों का तालिब हो, और उस रहमान और रहीम के आगे अपने सर को झुकाए और गुनाहों से भरे हुए अपने माथे को आजिजी व इन्क़सारी के साथ ज़मीन पर रख कर अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करे।

## शेष: तरावीह की नमाज़

फिर भी रह जायें और इमाम वित्र पढ़ाने के लिये खड़ा हो जाये तो इमाम के साथ पहले वित्र अदा करे उसके बाद अपनी छूटी हुई रकआत पढ़े। (दुर्रे मुख़्तार 2/431)

लोगों में ये बात मशहूर है कि जिसने फ़र्ज़ नमाज़ जमाअत से नहीं पढ़ी तो वो वित्र की नमाज़ जमाअत के साथ नहीं पढ़ सकता, ये ग़लत मशहूर है, वित्र की नमाज़ जमाअत के साथ पढ़ सकता है, अलबत्ता अगर किसी ने सिर से फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी ही न हो तो वो पहले फ़र्ज़ नमाज़ पढ़े फिर वित्र की नमाज़।

तरावीह में ख़त्म कुरआन पर उजरत लेना सही नहीं है। इसलिये कि आप स०अ० ने इरशाद फ़रमाया कि कुरआन पढ़ा करो उसको खाने कमाने का ज़रिया न बनाओ। (मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 2/171)

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुग़फ़ल रज़ि० ने रमज़ान में लोगों को तरावीह पढ़ाई, जब ईद का दिन आया तो उनकी खिदमत में अब्दुल्ला बिन ज़ियाद ने एक जोड़ा पांचा सौ दिरहम पेश किये तो आप ने उन्हें लौटा और फ़रमाया, हम कुरआन मजीद पढ़ने पर उजरत नहीं लिया करते। (मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 2/171)

मौजूदा दौर के अकाबिर अहले फ़त्वा ने ये फ़त्वा जारी फ़रमाया है कि तरावीह में ख़त्म कुरआन पर तय करके या बिना तय किये हुए लेन—देन शरीअत के एतबार से जायज़ नहीं है। तमाम विश्वस्नीय फ़त्वे में इसकी व्याख्या मौजूद है। (इमदादुल फ़तावा 1/481)

# ईनाम की रात

आप स०अ० ने फरमाया: "अल्लाह तआला रिज़वान (जन्नत का दरोगा) से फरमाते हैं कि जन्नत के दरवाज़ों को खोल दे और जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दे और हज़रत जिब्राईल अलै० को हुक्म होता है कि ज़मीन पर जाओ और सरकश शैतानों को कैद करो और गले में तौक डालकर दरिया में फेंक दो, इसलिये कि ये मेरी उम्मत के रोज़ों को ख़राब न करे।" आप स०अ० ने ये भी इरशाद फरमाया: "कि अल्लाह तआला रमज़ान की हर रात में मुनादी को हुक्म फरमाते हैं कि तीन बार ये आवाज़ दे कि है कोई मांगने वाला कि मैं उसको अता करूँ, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कुबूल करूँ, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूँ, कौन है जो ग़नी को कर्ज़ दे? ऐसा मालदार जिसके खज़ानों में कमी नहीं, या ऐसा पूरा-पूरा अदा करने वाला जो ज़रा भी कमी नहीं करता। हुज़ूर स०अ० ने फरमाया: अल्लाह तआला रमज़ान शरीफ़ में रोज़ाना इफ़तार के वक़्त ऐसे दस लाख आदमियों को जहन्नम से नजात देते हैं, जो जहन्नम के मुस्तहिक़ हो चुके थे और जब रमज़ान का आख़िरी दिन होता है तो एक रमज़ान से आज तक जितने लोग आज़ाद किये गये थे उनके बराबर उस एक दिन में फरमाते हैं, और जिस रात शब-ए-क़द्र होती है उस रात अल्लाह तआला हज़रत जिब्राईल अलै० को हुक्म फरमाते हैं कि वो फरिश्तों के एक बड़े लश्कर के साथ ज़मीन पर उतरते हैं उनके साथ एक हरा झन्डा होता है जिसको काबा के ऊपर खड़ा करते हैं और हज़रत जिब्राईल अलै० के सौ बाजू हैं जिनमें से दो बाजू को सिर्फ़ इसी रात में खोलते हैं, जिसको पश्चिम से पूरब तक फैला देते हैं। फिर हज़रत जिब्राईल अलै० फरिश्तों से फरमाते हैं कि जो मुसलमान आज की रात में खड़ा या बैठा नमाज़ पढ़ रहा हो या जिक्र कर रहा हो उसको सलाम करें और मुसाफ़ा करें और उनकी दुआओं पर आमीन कहें, सुबह तक यही हालत रहती है। जब सुबह हो जाती है तो जिब्राईल अलै० आवाज़ देते हैं

कि ऐ फरिश्तों की जमाअत अब कूच करो और चलो, फरिश्ते जिब्राईल अलै० से पूछते हैं कि अल्लाह ने आप स०अ० की उम्मत के मोमिनों की ज़रूरतों और ज़रूरतों के सिलसिले में क्या मामला फरमाया, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ने उन पर तवज्जो फरमायी और चार लोगों के अलावा सबको माफ़ फरमा दिया, सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह स०अ० वो चार शख्स कौन हैं। इरशाद हुआ कि एक वो शख्स है जो शराब का आदी हो, दूसरा वो शख्स है जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाला हो, तीसरा वो शख्स है जो क़ता रहमी करने वाला और रिश्ते नाते तोड़ने वाला हो, चौथा वो शख्स है जो कीना रखने वाला हो। फिर जब ईद की रात होती है तो इसका नाम आसमानों पर "लैलतुल जायज़ा" 'ईनाम की रात' से लिया जाता है और जब ईद की सुबह होती है तो फिर अल्लाह तआला फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजते हैं, वो ज़मीन पर उतर कर तमाम गलियों और रास्तों के सिरो पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज़ से जिसको इन्सान और जिन्नात के अलावा हर मखलूक सुनती है पुकारते हैं कि ऐ मुहम्मद स०अ० की उम्मत उस रब्ब-ए-करीम की बारगाह की तरफ़ चलो जो बहुत ज़्यादा अता फरमाने वाला है और बड़े से बड़े कुसूर को माफ़ करने वाला है, फिर जब लोग ईदगाह की तरफ़ निकलते हैं तो अल्लाह तआला फरिश्तों से पूछते हैं कि क्या बदला है उस मजदूर का जो अपना काम पूरा कर चुका हो। वो कहते हैं कि ऐ हमारे आका उसका बदला यही है कि उसकी मजदूरी पूरी-पूरी दे दी जाये, तो अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं: ऐ फरिश्तों मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैंने इनको रमज़ान के रोज़े और तरावीह के बदले में अपनी रज़ा और मग़फ़िरत अता कर दी और बन्दों से ख़िताब करके इरशाद होता है: "ऐ मेरे बन्दों मुझसे मांगो, मेरी इज़्ज़त की क़सम आज के दिन इस इज्तिमा में मुझसे अपनी आख़िरत के बारे में जो सवाल करोगे अता करूंगा और दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे उसमें तुम्हारी मसलहत पर नज़र करूंगा, मेरे जलाल की क़सम जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे, मैं तुम्हारी कोताहियां माफ़ करता रहूंगा, मैं तुम्हें मुजरिमों के सामने रुस्वा न करूंगा, अब बख़्शो-बख़्शाये अपने घरों को लौट जाओ, तुमने मुझे राज़ी कर दिया और मैं तुमसे राज़ी हो गया। फरिश्ते इसी अज़्र व सवाब को देखकर जो इस उम्मत को ईदुल फ़ित्र के दिन मिलता है खुशियां मनाते हैं

# सदक-ए-फ़ित्र

रोज़ेदार कितना ही एहतिमाम करे रोज़े के दौरान कुछ न कुछ कोताही हो ही जाती है। खाने-पीने और रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ों से बचना तो आसान होता है लेकिन बेकार के कामों और नामुनासिब बातचीत से पूरी तरह से नहीं बच पाता। इसलिये इस तरह की कोताहियों की तलाफ़ी के लिये शरीअत में रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म पर सदक-ए-फ़ित्र के नाम से मानो कि रोज़े की ज़कात अलग से करार दी है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० इरशाद फ़रमाते हैं:

“आप स०अ० ने सदक-ए-फ़ित्र को ज़रूरी करार दिया जो रोज़ेदार के लिये बेकार और बेहयाई की बातों से पाकीज़गी का ज़रिया है और ग़रीबों के खाने का इन्तिज़ाम है। जो शख्स उसे ईद की नमाज़ के पहले अदा कर दे तो ये मक़बूल सदका है और जो शख्स ईद की नमाज़ के बाद अदा करे तो ये आम सदकों में से एक सदका है।” (अबू दाऊद: 1609)

इस हदीस से मालूम हुआ कि सदक-ए-फ़ित्र वाजिब होने के दो मक़सद हैं:

पहला मक़सद रोज़े की कोताहियों की तलाफ़ी।

दूसरा मक़सद उम्मत के ग़रीबों के लिये ईद के दिन रिज़क़ का इन्तिज़ाम।

इसके लिये हैसियत वाले मुसलमानों पर लाज़िम है कि सदक-ए-फ़ित्र वक़्त पर अदा करने का एहतिमाम करे, जैसा कि ऊपर की हदीस में फ़रमाया गया है कि ईद की नमाज़ से पहले सदक-ए-फ़ित्र अदा करने का सवाब ज़्यादा है, इसी बुनियाद पर “हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ि० ईद से दो-तीन दिन पहले ही सदक-ए-फ़ित्र अदा करते थे। (अबूदाऊद : 1610)

और ये मुनासिब भी होता है कि मुस्तहिक़ हज़रात पहले ही ईद की तैयारी कर सकें।

जो शख्स जीवन की आवश्यक आवश्यकताओं के अलावा इतनी कीमत के माल का मालिक हो जिस पर ज़कात वाजिब हो सके उस पर ईदुलफ़ित्र के दिन

सदक-ए-फ़ित्र अदा करना वाजिब है।

सदक-ए-फ़ित्र की मात्रा आधा साअ गेहूँ (यानि 1 किलो 633 ग्राम) या एक साअ जौ या खजूर या उन चीज़ों की कीमत के बराबर कोई दूसरी चीज़ या नक़द रूपये है।

आजकल आधा सा के अनुसार एक सदके फ़ित्र की मात्रा लगभग 20-22 रूपये होती है जो बड़े मालदारों के लिये कोई हैसियत नहीं रखती इसलिये ऐसे लखपति और करोड़पति पूंजीपतियों को राय दी जानी चाहिये कि वो ज़्यादा सवाब हासिल करने के लिये निस्फ़ सा गेहूँ की कीमत लगाने के बजाये एक सा खजूर या किशमिश का हिसाब लगाकर सदक-ए-फ़ित्र अदा करें इसलिये कि इसमें उनको सवाब ज़्यादा मिलेगा और फ़कीरों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। रिवायत में आता है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ि० ने बसरा में खुत्बा देते हुए इरशाद फ़रमाया आप स०अ० ने एक सा खजूर या जौ या आधा सा गेहूँ का सदका ज़रूरी करार दिया गया है जो हर आज़ाद मर्द औरत छोटे बड़े पर लाज़िम है। लेकिन जब हज़रत अली रज़ि० वहां पर तशरीफ़ लाये तो देखा कि गेहूँ का बाज़ारी भाव सस्ता है तो आप ने फ़रमाया अल्लाह तआला ने तुम्हारे ऊपर वुसअत फ़रमायी है इसलिये अगर तुम सदके फ़ित्र हर चीज़ की एक सा के हिसाब से निकालो तो ज़्यादा बेहतर है। (अबूदाऊद 1622)

इससे मालूम हुआ कि वुसअत रखने वाले साहबे हैसियत लोगों को वुसअत के साथ सदके फ़ित्र निकालना चाहिये।

**नाबालिग़ बच्चों की तरफ़ से सदक-ए-फ़ित्र:** जो नाबालिग़ बच्चे खुद किसी निसाब के मालिक न हो उनकी तरफ़ से उनके बाप पर सदक-ए-फ़ित्र निकालना वाजिब है। अगर वो बच्चे खुद साहबे निसाब हों तो उनके माल में से सदक-ए-फ़ित्र निकाला जायेगा।

**नासमन्न या पागल औलाद की तरफ़ से सदक-ए-फ़ित्र:** अगर कोई बच्चा अक़ल के एतबार से कमज़ोर या पागल हो तो उसकी तरफ़ से सदक-ए-फ़ित्र निकाला जायगा। अगर वो बड़ी उम्र का हो। (शेष : 48)

# ईदुल फ़ित्र

हुज़ूर अकरम स०अ० जब हिजरत फ़रमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाये तो मदीना के लोग साल में दो दिन खुशी मनाते थे। इन दोनों दिनों में ख़ूब खेल-कूद होता था और गाने-बजाने की मजलिस जमती थीं। मगर आप स०अ० ने उन सब सिलसिलों को ख़त्म फ़रमा कर अल्लाह तआला के हुक्म से उन दोनों के बजाये दो खुशी के दिन ईदुलफ़ित्र और ईदुलअज़हा तय फ़रमाये। इन दिनों में खुशी के इज़हार का प्रदर्शन खेल-कूद, लहू-लअब और तफ़रीहों के ज़रिये नहीं कराया गया बल्कि इस्लाम के मानने वालों को हुक्म हुआ कि वो खुशी का इज़हार इस अन्दाज़ में करें कि खुशी ज़ाहिर और बातिन से नुमायां हो सके।

इसी वजह से अल्लाह तआला ने ईमान वालों के लिये खुशी के दिनों में बन्दगी का हुक्म देकर शुक्राना के तौर पर दोगाना (दो रकआत नमाज़) अदा करने की ताकीद फ़रमायी है और यही ईद की अस्ल रूह है, बक़िया जो लवाज़मात है (नहाना-धोना, खुशबू लगाना, नये कपड़े पहनना इत्यादि) ये सब बाद की चीज़ें हैं। आज के दिन का अस्ल काम है कि बन्दे अपने अमल से ज़ाहिर कर दें कि वो वाकई अपने रब का फ़रमाबरदार है और इताअत गुज़ार है और ऐसे ही बन्दे को खुशी मनाने का हक़ है।

मगर आज अफ़सोस की बात है कि दूसरी कौमों की देखा देखी मुसलमानों ने भी ईद को केवल एक त्योहार समझ लिया है और बन्दगी के इज़हार का ज़ब्बा ज़हनों से बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। जैसे ही ईद का चांद नज़र आता है नौजवान लड़के और लड़कियों की टोलियां बाज़ार में निकल पड़ती हैं। दुकानों पर मर्द-औरतों की भीड़ हो जाती है। गाने-बजाने की आवाज़ों की वजह से दूसरी आवाज़ें सुनाई तक नहीं देती। ईद की मुबारक रात मटर गश्तियां में बेकार कर दी जाती है और फिर ईद के दिन भी दो रकआत नमाज़ अदा करने के बाद उन्हीं बेकार

के कामों का सिलसिला कई दिनों तक जारी रहता है। सिनेमाहालों और तफ़रीहगाहों की रौनकें बढ़ जाती हैं। ये सूरते हाल ईमान वालों की इस्लामी शान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अगर हम भी यही तरीक़ा अपनाने लगेंगे तो हममें और ग़ैरों में आख़िर क्या फ़र्क़ बाकी रहेगा? इसलिये ज़रूरी है कि ईद को इस्लामी शान के साथ मनाया जाये और ये शान उस वक़्त हासिल हो सकती है जबकि हम अपनी ईद को हर गुनाह और बुराई से बचा रखें और बन्दगी के इज़हार में एक दूसरे से सबक़त ले जाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला सही अर्थों में हमें अपनी बन्दगी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये। आमीन!

## ईद की नमाज़ की शर्तें

बड़े शहरों और क़ब्बों में जहां जुमे की नमाज़ की शर्तें पायी जाती हैं (जैसे वहां की आबादी कम से कम तीन हजार या ज़िन्दगी की ज़रूरतों का आसानी से उपलब्ध होना इत्यादि) वहां ईद की नमाज़ पढ़ना वाजिब है। अलबत्ता जहां जुमे की नमाज़ की शर्तें न पायी जाती हों वहां ईद की नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी है।

○ ईद की नमाज़ का वक़्त सूरज निकलने के लगभग पन्द्रह मिनट बाद शुरू हो जाता है। लेकिन नमाज़ का ऐसा वक़्त तय किया जाये कि लोग तमाम तैयारियां करके सहूलियत के साथ ईदगाह में हाज़िर हो सकें।

○ ईद की नमाज़ शहर के बाहर निकलकर ईदगाह में पढ़ना सुन्नत है।

○ शहर की मस्जिदों में ईद की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है।

○ ईदगाह में नमाज़ होने से पहले शहर की मस्जिदों में ईद की नमाज़ बिला कराहत जायज़ है।

## ईद की तैयारी

○ ईद के दिन नहाना, मिस्वाक करना, अच्छे कपड़े पहनना और खुशबू वग़ैरह लगाना मुस्तहब है।

○ ईदुल फ़ित्र में ईदगाह जाने से पहले कुछ खाना—पीना मुस्तहब है

○ ईदुल फ़ित्र में ईद गाह जाने से पहले ताक़ अदद छुआरे या खजूर खाकर जाना मुस्तहब है। अगर ये मयस्सर न हो तो कोई भी मीठी चीज़ खा लेना काफी है। इस मौके पर कोई ख़ास शीरीनी साबित नहीं है।

○ ईदगाह पैदल जाना सुन्नत है और वहां से वापसी में सवार होकर आने में कोई हर्ज नहीं है।

○ ईद की नमाज़ से पहले घर या ईद गाह में नफ़िलें पढ़ना जायज़ नहीं है, यहां तक कि औरतों भी उस दिन इश्राक़ और चाशत की नमाज़ उस वक़्त तक न पढ़ें जब तक ईद की नमाज़ जमाअत के साथ न पढ़ ली जाये।

### ईद की नमाज़ की नियत

ईद की नमाज़ शुरू करते वक़्त मुक्तदी के दिल में ये इस्तहज़ार रहे कि मैं क़िब्ला होकर इस इमाम के पीछे दो रकआत नमाज़ अदा कर रहा हूँ जिसमें छः ज़ायद तकबीरें हैं। नियत के लिये ये इस्तहज़ार काफी है ज़बान के नियत के कलिमात अदा करना ज़रूरी नहीं है बाकी अगर कोई अदा कर ले तो नाजायज़ भी नहीं।

### ईद की नमाज़ की तरीका

ईद की नमाज़ का तरीका ये है कि नियत के बाद तकबीर—ए—तहरीमा कह कर हाथ बांध ले, सना पढ़ें, इसके बाद दोनों हाथ उठाते हुए मामूली फासले से तीन बार तकबीर कहें, पहली दो तकबीरों के बाद हाथ छोड़ते रहें और तीसरी तकबीर के बाद हाथ बांधें, इसके बाद सूरह फ़ातिहा और सूरह मिलायें, फिर रुकूअ सजदा करके रकआत मुकम्मल कर लें। दूसरी रकआत में सबसे पहले सूरह फ़ातिहा और सूरह लगाने के बाद रुकूअ में न जायें बल्कि तीन बार हाथ उठाकर तीन तकबीरें कहें और बीच में हाथ न बांधें, इसके बाद बग़ैर हाथ उठाये तकबीर कह कर रुकूअ में चले जायें और बकिया नमाज़ उसी तरह पूरी करें।

### ईद के दिन एक दूसरे को मुबारक बाद देना

ईद के दिन एक दूसरे को मुबारक बाद देना जायज़ है।

### ईद की नमाज़ में औरतों के लिये हुक्म

मर्दों की तरह औरतों के लिये भी ईद के दिन मुस्तहब ये है कि वो गुस्ल करें और अच्छे कपड़े पहने क्योंकि ये खुशी और ज़ेब व ज़ीनत का दिन है और अगर चाहें तो ईदगाह या मस्जिद में ईद की नमाज़ हो जाने के बाद

अपने घरों में तन्हा—तन्हा बतौर शुक्राना नफ़िल नमाज़ें पढ़ सकती हैं।

### ईद की नमाज़ों का खुत्बा

ईद का खुत्बा पढ़ना सुन्नत है जो ईद की नमाज़ के बाद पढ़ा जायेगा।

### ईद का खुत्बा तकबीर से शुरू करना

ईद का खुत्बा शुरू करने से पहले 9 तकबीरें लगातार पढ़ना मुस्तहब है।

### ईद की नमाज़ में पहली रकआत में ज़ायद तकबीरें भूल जाने का हुक्म

ईद की नमाज़ में पहली रकआत में इमाम ज़ायद तकबीरें भूल गया और सूरह फ़ातिहा का कुछ हिस्सा या पूरी सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद याद आया तो तकबीर कह कर सूरह फ़ातिहा दोबारा पढ़े, और अगर सूरह फ़ातिहा और सूरह पढ़ने के बाद याद आया तो सिर्फ़ तकबीर कहे किरआत दोबारा नहीं होगी।

### ईद की नमाज़ की दूसरी रकआत में ज़ायद तकबीरें भूल जाने का हुक्म

अगर इमाम ईद की नमाज़ में दूसरी रकआत में ज़ायद तकबीरें न कह कर रुकूअ में चला गया तो इस सूरत में रुकूअ ही में हाथ उठाये बग़ैर तकबीर कह ले, खड़े होकर कहने की ज़रूरत नहीं है।

### ईद की नमाज़ के बाद दुआ

फ़र्ज नमाज़ों के बाद दुआ करना जनाब रसूलुल्लाह स०अ० से साबित है इसमें ईद की भी नमाज़ें शामिल हैं और बेहतर ये है कि ये दुआ नमाज़ के फ़ौरन बाद खुत्बा से पहले हो, क्योंकि खुत्बा के बाद की दुआ की कहीं सराहत नहीं है।

**बारिश की वजह से ईद की नमाज़ को मुअरर्रवर करना:** अगर किसी वजह से जैसे बारिश वग़ैरह की वजह से ईदुल फ़ित्र की नमाज़ एक दिन छोड़कर दूसरे दिन पढ़ी जाये तो जायज़ है।

### ईद की नमाज़ के बाद हाथ मिलाना व गले मिलाना

ईद की नमाज़ के बाद गले मिलाना या हाथ मिलाना कोई सुन्नत नहीं है, हां अगर किसी से उसी वक़्त मुलाक़ात हो या नमाज़ के कुछ देर बाद हो तो मुलाक़ात की नियत से हाथ मिलाया जाये या गले मिला जाये तो कोई हर्ज नहीं।

ज़कात इस्लाम का एक ज़रूरी हिस्सा है। कुरआन पाक में जगह-जगह नमाज़ के साथ ज़कात देने पर भी जोर दिया गया है। "आप स०अ० ने इसे इस्लाम के पांच बुनियादी हिस्सों में से एक बताया है।"

एक हदीस में ये भी इरशाद फ़रमाया: "मुझे हुक्म दिया गया कि लोगों से क़िताल करूं ताकि वो कलिमा शहादत अदा करें, और ज़कात दें।" (बुख़ारी: 1399)

साहब-ए-निसाब (जिसके पास इतना माल हो जिस पर ज़कात वाजिब हो) होने के बावजूद ज़कात न अदा करने वालों को कुरआन पाक में जो सख़्त तरीन वईद सुनाई गयी है उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह तआला का इरशाद है: "जो लोग अपने पास सोना-चांदी जमा करते हैं और उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते तो (ऐ नबी स०अ०) आप उनको दर्दनाक अज़ाब की खुश ख़बरी सुना दीजिये, ये दर्दनाक अज़ाब उस दिन होगा जिस दिन उस सोने और चांदी को जहन्नम की आग में तपाया जायेगा, फिर उसके ज़रिये उनकी पेशानी, उनके पहलू और उनकी पीठ को दागा जायेगा (और उनसे कहा जायेगा) ये है वो ख़ज़ाना जो तुमने अपने लिये जमा किया था, तो आज तुम उस ख़ज़ाने का मज़ा चखो जो तुम अपने लिये जमा कर रहे थे।"

लिहाज़ा हर साहब-ए-निसाब मुसलमान के लिये ज़रूरी है कि वो पूरा-पूरा हिसाब करके ज़कात की अदायगी करे। बहुत से लोग बिना हिसाब के ही कुछ रकम या दूसरी चीज़ें ग़रीबों को देकर अपने को ज़िम्मेदारी से बरी समझते हैं, ये तरीका सही नहीं है, पूरा हिसाब लगाकर ज़कात देना ज़रूरी है।

### सदक़े से माल बढ़ता है

ज़कात अदा करने में एक बड़ा बल्कि बुनियादी कारण ये माना जाता है कि इससे माल की एक बड़ी मात्रा हाथ से निकल जायेगी और उसके बदले में कोई चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन कुरआन मजीद में इस ख़्याल की

काट की गयी है और इसका पूरा इत्मिनान दिलाया गया है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से घटता नहीं है, बल्कि इसमें बढ़ोत्तरी होती है।

एक दूसरी जगह माल खर्च करने से जो बेपनाह बरकत व इज़ाफ़ा होता है उसको कुरआन में एक मिसाल देकर समझाया गया है। अल्लाह तआला का इरशाद है:

"अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले की मिसाल उस बीज की तरह है जिसको जब ज़मीन में डाला जाता है तो ज़ाहिरी आंख ख़ाक में मिलकर ज़ाया होते उसे देखती है, लेकिन फिर होता क्या है? अल्लाह तआला उस दाने से पौधा निकालता है, जिसमें सात बालियां निकलती हैं, और हर बाली में सौ दाने होते हैं, इसी तरह हर दाने से सौ दाने हासिल होते हैं।" (सूरह बकरह : 261)

यही मामला अल्लाह की राह में खर्च करने वालों के साथ होता है कि ज़ाहिरी तौर पर लगता है कि अपना माल ख़राब कर दिया लेकिन अल्लाह तआला दुनिया में भी उस पर बरकतों के दरवाज़े खोल देते हैं, और आख़िरत में भी इशाअल्लाह उसको कई गुना अज़्र व सवाब मिलेगा।

### ज़कात वाजिब होने की शर्तें

ये भी ध्यान रहे कि ज़कात न हर व्यक्ति पर फ़र्ज़ होती है न हर माल पर, बल्कि इसके वाजिब होने के लिये उस व्यक्ति का अक्ल वाला होना और बालिग़ होना, साहबे निसाब होना, माल पर साल गुज़रना, उस माल का कर्ज़ से ख़ाली होना, इसी तरह उसका हाजते अस्लिया (ज़रूरी ज़रूरतें) से ख़ाली होना शर्त है, एक भी शर्त न पायी जाये तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी।

### ज़कात का माल

जिन चीज़ों पर ज़कात वाजिब है वो बुनियादी तौर पर चार हैं।

1. जानवर
2. सोना
3. चांदी (नक़दी भी सोना और चांदी के हुक्म में

आती हैं)

4. व्यापारिक माल

### सोने-चांदी का निसाब

चांदी का निसाब दो सौ दिरहम जबकि सोने का निसाब बीस मिसकाल है। हिन्दुस्तान के उलमा की तहकीक़ चांदी के दो सौ दिरहम यानि साढ़े बावन तोला (612.360 ग्राम) और सोने के बीस मिसकाल यानि साढ़े सात तोला (87.480 ग्राम) के बराबर होते हैं। जहां तक नक़दी और व्यापारिक माल का संबंध है तो उनकी मिल्कियत का अन्दाज़ा भी चांदी के निसाब से किया जायेगा यानि अगर किसी के पास चांदी के निसाब के बराबर नक़द रक़म या व्यापारिक माल है तो वो शरीअत के अनुसार साहबे निसाब है।

फिर ये भी ध्यान रहे कि सोना-चांदी चाहे इस्तेमाल हो रहे ज़ेवर की शक़ल में हो या ग़ैर इस्तेमाली ज़ेवर की शक़ल में हो, चाहे सिक्कों या ज़ुरूफ़ वग़ैरह की शक़ल में हो अगर वो निसाब के बराबर है और उस पर साल गुज़र जाता है तो उसकी ज़कात बहरहाल वाजिब हो जायेगी। यही हुक्म नक़द रक़म का भी है, लेकिन बक़िया दूसरे माल यानि उरुज़ में ये भी शर्त है कि वो व्यापार की नियत से हों, वरना उन पर ज़कात वाजिब नहीं होगी।

### दौलान-ए-दौल का मतलब

किसी के पास निसाब के बराबर ज़कात का माल है तो अगर साल के बीच में उस माल में इज़ाफ़ा होता है तो उस ज़ायद माल का हिसाब पहले से मौजूद माल की तारीख़ से किया जायेगा, जब बक़िया माल पर साल गुज़र जाये तो उसकी ज़कात के साथ उस ज़ायद माल की भी ज़कात निकालना ज़रूरी होगा ये नहीं कि हर बढ़ोत्तरी के लिये अलग से साल का हिसाब किया जाये और ये कि साल गुज़रने में अंग्रेज़ी महीनों के बजाये चांद के महीनों का हिसाब किया जायेगा।

### किस दिन की मालियत का एतबार होगा

व्यापारिक माल के बारे में गुज़र चुका है कि उन पर ज़कात फ़र्ज़ है। जैसे अगर किसी की दुकान या कोई कारोबार है तो साल गुज़रने के बाद उसके पास जो कुछ नक़दी या सामान है उसकी ज़कात उस पर फ़र्ज़ है और सामान की मिल्कियत लगाते वक़्त उनकी उस दिन की मालियत का एतबार होगा जिस दिन वो उनकी ज़कात

अदा कर रहा है।

### जज़ात-ए-अस्लिया (ज़रूरी ज़रूरतों का मतलब

जो चीज़ अस्ल ज़रूरतों के लिये हो उसमें ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती, अस्ल ज़रूरत की मिसाल में फुक़हा ने रहने के मकान, पहनने के कपड़े, सवारी के जानवर और गाड़ी, खेती या फ़ैक्ट्री के यन्त्र, और घर के फ़र्नीचर इत्यादि का ज़िक्र किया है।

### ज़कात की मात्रा

ज़कात की वाजिब मात्रा किसी भी माल में उसका चालीसवा हिस्सा या ढाई प्रतिशत तय की गयी है।

### शेयर पर ज़कात

ज़कात हर प्रकार के व्यापारिक माल पर वाजिब है चाहे वो जानवरों का व्यापार हो या गाड़ियों का व्यापार हो या ज़मीन का और क्योंकि शेयर भी व्यापारिक माल में दाख़िल हैं लिहाज़ा उन पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। अगर किसी ने शेयर इस मक़सद से ख़रीदे हैं कि उन पर सालाना नफ़ा हासिल करेगा उनको बेचेगा नहीं तो उसको अपनी कम्पनी से ख़बर करनी चाहिये कि उसका कितना सामान अचल है जैसे बिल्डिंग और मशीनरी इत्यादि की शक़ल और कितना माल चल है जैसे नक़द कच्चा माल तैयार माल इत्यादि। जितनी सम्पत्ति अचल है उन पर ज़कात नहीं होगी और जितनी सम्पत्ति चल है उन पर ज़कात वाजिब होगी। अगर कम्पनी के माल की तफ़सील न मिल सके तो इस हालत में एहतियात के तौर पर पूरी ज़कात अदा कर दी जाये। और अगर शेयर इ समक़सद से ख़रीदे हैं कि जब बाज़ार में उनकी कीमत बढ़ जायेगी तो उनको ख़रीद करके लाभ कमायेंगे तो पूरे शेयर की पूरी बाज़ारी कीमत पर ज़कात वाजिब होगी। जैसे आपने पचास रूपये के हिसाब से शेयर ख़रीदे और मक़सद ये था कि जब उनकी कीमत बढ़ जायेगी तो उनको बेचकर नफ़ा कमायेंगे। उसके बाद जिस दिन आपने ज़कात का हिसाब निकाला उस दिन शेयर की कीमत साठ रूपये हो गयी तो अब साठ रूपये के हिसाब से उन शेयर की मालियत निकाली जायेगी और उस पर ढाई प्रतिशत के हिसाब से ज़कात अदा करनी होगी।

### प्राविडेन्ड फ़ण्ड पर ज़कात

ज़कात फ़र्ज़ होने की एक अहम शक़ल ये भी है कि उस पर इन्सान का मुकम्मल कब्ज़ा भी हो। इसी वजह से

वुहा ने फरमाया है कि अगर किसी को कर्ज दिया और बाद में कर्ज लेने वाला उससे इनकार कर रहा है बजाहिर उसका मिलना दुश्वार है या किसी जगह डालकर भूल गया या किसी दरिया इत्यादि में गिर गया तो उन रूपयों की जकात वाजिब नहीं होगी। फिर जब बगैर उम्मीद के ये माल मिल जाये तो गुजरे हुए सालों की जकात उस पर वाजिब नहीं होगी। ये रकम जिस वक़्त मिली है उस वक़्त से उसका हिसाब लगाया जायेगा। (हिन्दिया 1/187)

जहां तक प्राविडेन्ड फ़न्ड का संबंध है तो इसमें एक हिस्सा वो होता है जो शासन उसमें मिलाकर देता है। जहां तक इस दूसरी बड़ी हुई रकम का संबंध है तो चाहे उसे ईनाम कहा जाये या कर्मचारी की पगार जिसका अभी मालिक नहीं हुआ है, लिहाज़ा उस पर गुजरे हुए दिनों की जकात वाजिब होने की कोई वजह नहीं है। काबिले बहस फ़न्ड का वो हिस्सा है जो मुलाज़िमत के दौरान तन्ख़्वाह से कटकर जमा होता है इसका मामला ये है कि कर्मचारी को इसका मालिक बनाना है। लेकिन उस पर कब्ज़ा नहीं हासिल है लिहाज़ा इस रकम पर भी गुजरे हुए दिनों की जकात वाजिब नहीं होगी। उल्माए मुहक्किन का रूझान इसी तरफ़ है।

### कर्ज का मिन्हा करना

अगर कोई शख्स निसाब का मालिक है लेकिन वो साथ ही कर्जदार भी है तो कर्ज के बराबर माल पर जकात वाजिब नहीं होगी। अगर कर्ज के बराबर मिन्हा करने के बाद भी निसाब के बराबर माल बच रहा है तो उस पर उसी के बराबर जकात वाजिब हो जायेगी।

### सोने और चांदी को मिन्हा

किसी के पास साढ़े सात तोला (612.480 ग्राम) सोना न हो लेकिन उसके पास कुछ सोना और कुछ चांदी मौजूद हो तो क्या उसके ऊपर जकात वाजिब हो जायेगी। इस मसले में दो राय हैं।

1— इमाम शाफ़ई और कई दूसरे हज़रात के नज़दीक उस पर जकात वाजिब नहीं होगी। इमाम शाफ़ई ने अपनी किताब अलउम में इस पर बहस की है कि उसके पास न सोने का निसाब है न चांदी का तो उस पर जकात कैसे वाजिब हो सकती है जबकि दोनो अलग-अलग जिंस हैं।

2— दूसरी राय हनफी और कई दूसरे लोगों की है कि अगर दोनों के मिलाने से निसाब पूरा हो जाये तो जकात

वाजिब हो जायेगी। इस पर बहस बुकैर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ि० के असर से कि जकात निकालने में सहाबा का तरीका चांदी और सोने के मिलाने का था। फिर दोनों कीमत के एतबार से एक ही जिंस हैं। बहरहाल अक्ली दलील दोनों तरफ़ से मज़बूत हैं लेकिन नकली दलील में इस एतबार से फ़रीक़ अब्दल का मोकिफ़ कुछ मज़बूत करार दिया जाता है कि हज़रत बुकैर की रिवायत हदीस की किताब में नहीं मिलती। फिर इमाम अबू हनीफ़ा और साहिबैन की दरमियान ये इख़्तिलाफ़ है कि सोने और चांदी को मिलाने की कैफ़ियत क्या होगी।

इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक दोनों को कीमत के एतबार से मिलाया जायेगा। यानि अगर किसी के पास दो तोला सोना और दो तोला चांदी है तो ये देखा जायेगा कि दो तोला सोना अगर बेच दिया जाये तो क्या साढ़े बावन तोला या उससे ज़्यादा चांदी हासिल हो जायेगी। अगर इतनी ज़्यादा चांदी हासिल हो सकती है तो वो साहिबे निसाब माना जायेगा। फ़तवा इमाम साहब के कौल ही पर है। जब कि साहिबैन के नज़दीक दोनों को जुज़ के एतबार से मिलाया जायेगा यानि वज़न के एतबार से अगर आधा निसाब सोने का और आधा चांदी या दो तिहाई सोने का और एक तिहाई चांदी का या एक चौथाई सोने का और तीन चौथाई चांदी का पाया जा रहा हो तो जकात वाजिब हो जायेगी वरना नहीं।

इमाम साहब के मुफ़ता बिही कौल के मुताबिक़ अगर सोने चांदी की मामूली मिक़दार भी किसी के पास हो तो वो साहिबे निसाब बन जायेगा और उसके लिये जकात लेना जायज़ नहीं रहेगा। इतनी मामूली मिक़दार बिल्कुल मामूली लोगों के पास भी आम तौर से रहती है। इस तनाज़ुर में ये सवाल उठाया जाता है कि क्या मौजूदा हालात में साहिबैन के कौल को अख़्तियार किया जा सकता है। इसलिये कि साहिबैन का कौल अख़्तियार कर लिया जाये तो इसमें जकात देने वाले और लेने वाले दोनों का ख़्याल हो जायेगा और तवाज़ुन कायम रहेगा।

राक़िम के ख़्याल से ऐसा करने की गुंजाइश है। इसलिये कि इस मसले का संबंध हालात के बदलने से है और इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि हालात बदल जाये तो हुक्म बदल जाता है। फिर ये तो इफ़ता के हुक्म में भी लिखा हुआ है कि इख़्तिलाफ़ अगर साहिबैन और इमाम साहिब के बीच में तो मुफ़ती उनमें से किसी पर भी फ़तवा

दे सकता है। लिहाजा तमाम उलमा का इत्तिफाक हो जाये तो इसकी गुंजाहश होगी। फिर इमाम साहब की एक रिवायत साहिबैन के कौल के मुताबिक भी है लिहाजा इमाम साहब के इस कौल को मुस्तहब पर हुक्म लगाकर अमल किया जा सकता है। मुफती किफायत उल्ला साहब ने किफायतुल मुफती में इसी तरह हुक्म दिया है।

बात का खुलासा ये है कि व्यापारिक माल वाले मसले में मुफता बिही हुक्म से हटने की इजाजत नहीं दी जा कसती जबकि दूसरे मसले में अगर उलमा इत्तिफाक कर लें तो इसकी गुंजाइश है।

### जकात के मुस्तहिक

जकात की हैसियत चूंकि केवल आम इन्फाक और इन्सानी मदद की नहीं है बल्कि ये एक अहम इस्लामी इबादत और शरई फरीजा है, इसलिये शरीअत ने इसके खर्च निश्चित कर दिये हैं, अल्लाह तआला का इरशाद है:

“जकात फकीरों, गरीबों, आमलीन (जकात की जमा व तकसीम के कार्यकर्ता) दिलजोई, गुलाम, कर्जदार, अल्लाह के रास्तों में (जिहाद करने वाले) और मुसाफिरों के लिये, ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हुआ काम है और अल्लाह बड़ा इल्म वाला और हिकमत वाला है।”

जकात के मसारिफ (खर्च) कुरआन मजीद की ऊपर जिक्र की हुई आयत में तफसील से बयान किये गये हैं। इसके संबंध में बात ये है कि जकात सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जा सकती है जो फकीर या मिस्कीन हों। यानि जिनके पास या तो माल ही न हो या अगर हो तो निसाब तक न पहुंचता हो। यहां तक कि अगर उनकी मिल्कियत में जरूरत से ज्यादा ऐसा सामान मौजूद है जो साढ़े बावन तोला चांदी की कीमत तक पहुंच जाता है तो वो जकात के मुस्तहिक नहीं है। जकात का मुस्तहिक वो है जिसके पास साढ़े बावन तोला चांदी की मिल्कियत की रकम या उतनी मालियत का कोई सामान जरूरत से ज्यादा न हो। इसमें भी शरीअत का हुक्म ये है कि मुस्तहिक को मालिक बना दिया जाये और वो जिस तरह चाहे उसे खर्च करे। इसीलिये बिल्डिंग की तामीर में जकात नहीं लग सकती, न ही किसी इदारे के कर्मचारी की पगार में लग सकती है। इसी तरह कफन दफन में जकात का पैसा लगाना ठीक नहीं है। जकात अदा करने वाले को चाहिये कि

अच्छी तरह तहकीक करके सही मसरफ में लगाने की कोशिश करे। अफजल ये है कि सबसे पहले अपने अजीज व अकारिब में मिस्कीन की तलाश करे। रिश्तेदारों में जकात अदा करने से डबल सवाब मिलता है। एक जकात अदा करने का दूसरे सिला रहमी करने का।

मुस्तहिक होने के साथ साथ एक जरूरी शर्त ये है कि मुस्तहिक मुसलमान हो। इसीलिये गैर मुस्लिम मुस्तहिक को जकात की रकम देना ठीक नहीं है। आप स0अ0 ने फरमाया कि जकात मुसलमान मालदारों से ली जायेगी और गरीब मुसलमानों पर खर्च की जायेगी। (बुखारी 1496)

जकात निम्नलिखित लोगों को दी जा सकती है:

- 1- फकीर (जिनके पास निसाब के बराबर माल न हो)
- 2- मिस्कीन (जो किसी भी माल के मालिक न हो)
- 3- इस्लामी हुकूमत के वो कारिन्दे जो जकात व उशर की वसूली पर मुकर्रर होते हैं।
- 4- ऐसे गुलाम जो अपनी आज्ञादी के लिये मदद के तलबगार हों।
- 5- ऐसे कर्जदार जिनके कर्ज से सबकदोशी के लिये जकात दी जाये जबकि उनके पास अपनी ज़ाति मालियत जकात की अदायगी के लिये बाकी न हो।
- 6- वो मुसाफिर जो सफर के दौरान जरूरत मन्द हो जायें।

### किन लोगों को जकात देना ज़ायज नहीं:

- 1- बाप, दादा, परदादा, नाना, परनाना, इत्यादि। इसी तरह दादी, नानी इत्यादि।
- 2- लड़के, लड़कियां, पोते, नवासे, पोतियां, नवासियां इत्यादि।
- 3- बीवी और शौहर।
- 4- गुलाम बांदी।
- 5- साहबे निसाब, मालदार।
- 6- मालदार छोटा बच्चा।
- 7- सादात (बनू हाशिम, आले अली, आले अब्बास इत्यादि)

### मदरसों में जकात देने का दोहरा सवाब

मदरसों में जकात खर्च करने में दोहरा सवाब मिलेगा, एक जकात का दूसरे इल्म को फैलाने और दीन

की हिफाजत का।

### रमजान में ज़कात अदा करने का सवाब

रमजानुल मुबारक में चूंकि हर फ़र्ज इबादत का सवाब सत्तर गुना बढ़ जाता है इसलिये रमजान में ज़कात देने में इन्शाअल्लाह सत्तर गुना सवाब की उम्मीद है। (लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी ज़कात रमजान में ही निकाल दी जाये और ग़ैर रमजान में फ़कीरों की ज़रूरतों का ख़्याल न रखा जाये, बल्कि ज़रूरत व मस्तिहत के एतबार से खर्च करने का एहतिमाम करना चाहिये)

### एक फ़कीर को एक वक़्त में मुकम्मल निसाब का मालिक बनाना मकरुह है

एक फ़कीर को एकसाथ इतना माल देना कि वो साहबे निसाब हो जाये बेहतर नहीं है, अलबत्ता अगर वो कर्ज़दार हो और कर्ज़ की अदायगी के लिये बड़ी रक़म दी तो हर्ज नहीं।

**ज़रूरी तम्बीह:** कुछ मालदार इस मसले से ग़लत फ़ायदा उठाते हैं, वो इस तरह कि कारोबार या हुकूमत का कर्ज़ इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनके अस्ल सरमाये से बढ़ जाता है तो वो लोगों के पास जाकर ये कहते हैं कि हम कर्ज़दार होने की वजह से ज़कात के मुस्तहिक़ हो गये। इसलिये ज़कात के माल से हमें कर्ज़ अदा करने में सहयोग दिया जाये।

इस तरह वो लाखों रूपये की मांग रखते हैं तो ऐसे लोगों को चाहिये कि वो पहले अपनी ज़ाति मालियत जायदाद और गाड़ियां वगैरह बेच करके अपना कर्ज़ अदा करें, और इसके बाद भी कर्ज़ अदा न हो तो अब सहयोग की मांग करें, इससे पहले उनका अपने को ज़कात का मुस्तहिक़ कहना ग़रीबों का हक़ मारना है।

### यतीम को ज़कात देना

अगर यतीम फ़कीर समझदार बच्चे को ज़कात दी यो कपड़े पहनाये तो ज़कात अदा हो जायेगी।

### नासमझ बच्चे को ज़कात देना

नासमझ छोटे बच्चे की तरफ़ से उसके बाप या वसी या मुरब्बी ने कब्ज़ा कर लिया तो ज़कात अदा हो जायेगी वरना नहीं।

### हशमी को ज़कात देना जायज़ नहीं

हाशमी ख़ानदान और उनके आज़ाद किये हुए गुलामों को ज़कात नहीं दी जायेगी।

### उसूल व फुरुअ को ज़कात देना

अपने बाप, दादों, लड़कों और पोतों को ज़कात देने से फ़र्ज अदा न होगा।

बीवी शौहर को और शौहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता

कर्ज़दार के कर्ज़ को माफ़ करने से ज़कात अदा न होगी

कर्ज़दार को कर्ज़ से बरी करने से ज़कात अदा न होगी अलबत्ता अगर फ़कीर ने मकरुज़ को ज़कात की रक़म दी फिर उससे अपना कर्ज़ वसूल कर लिया तो ये दुरुस्त है।

### फ़कीर समझकर ज़कात दी और बाद में पता चला कि वो मालदार है

अगर किसी शख्स ने अपनी ज़कात किसी शख्स को फ़कीर समझकर दी, बाद में पता करने से मालूम हुआ कि वो लेने वाला शख्स ज़कात का मुस्तहिक़ न था तो देने वाले की ज़कात अदा हो गयी।

### करीबी रिश्तेदारों का हक़

करीबी रिश्तेदार ज़कात के अहम मुस्तहिकीन में से हैं, उनको ज़कात देने में दो गुना सवाब मिलता है, एक ज़कात का, दूसरे सिलारहमी और कराबत का। ध्यान रहे कि बाप, दादा, औलाद और पति-पत्नी के अलावा बकिया सभी ज़रूरतमन्द रिश्तेदारों जैसे भाई, बहन, चचा, फुफी, मामू और भांजे इत्यादि को ज़कात देना शरीअत के हिसाब से सही है, बल्कि अफ़ज़ल है।

### ज़कात को एक शहर से दूसरे शहर भेजना

बेहतर है कि हर शहर वाले अपनी ज़कात अपने शहर के फ़कीरों और ग़रीबों पर खर्च करें लेकिन अगर दूसरी जगह के लोग ज़्यादा मुस्तहिक़ हो तो दूसरी जगह ज़कात की रक़म भेजने में भी कोई हर्ज नहीं है। जैसे बहुत से रिश्तेदार ज़रूरतमन्द दूसरे शहर में रहते हों, या बहुत से मदरसे ऐसे पिछड़े इलाकों में हैं जहां सहयोग करना दीन के बचाव के लिये ज़रूरी है तो वहां ज़कात की रक़म भेजना न केवल जायज़ बल्कि ज़्यादा सवाब वाला भी है।

# रमज़ान के बाद

मुहम्मद नफीस रॉ नदवी

रमज़ानुल मुबारक के महीने की मिसाल एक साफ़-सुथरे पानी की नदी की है जिसके अन्दर से गुज़र कर मुसलमान एक पार से दूसरे पार होते हैं और अपनी दीनी ज़िन्दगी के नये साल में दाख़िल होते हैं जिसमें वो अपने पिछले साल की कोताहियों और कमज़ोरियों की गन्दगी से नहा-धोकर साफ़ सुथरे होकर निकलते हैं और अपनी ज़िन्दगी को नये सिरे से साफ़-सुथरे हाल में शुरू करते हैं।

हुज़ूर स०अ० की हदीस है कि आपने हज़रत जिब्राईल की इस दुआ पर आमीन कही जिसमें उन्होंने एक मुसलमान की ये बदकिस्मती और ख़राबी बतायी कि रमज़ान आया हो और वो अपने गुनाहों से बख़्शिश न हासिल कर सके। इसी बिना पर रमज़ान के बाद का ज़माना एक मुसलमान की दीनी ज़िन्दगी का नया साल है जिसको वो साफ़ सुथरे और नये सिरे से शुरू करता है।

रमज़ान से एक तरफ़ मुसलमान की ज़िन्दगी का निरीक्षण होता है और दूसरी तरफ़ उससे नया हौसला मिलता है और तक्वा व पाकी की मशक़ भी होती है। महीने के 29-30 दिन इस हालत में गुज़रे हुए होते हैं कि हर रोज़ भूख़ व प्यास पर सब्र करना पड़ता है और ये सब्र किसी मजबूरी या लाचारी से नहीं कि मायूसी की कैफ़ियत की वजह से सिर्फ़ नाम का सब्र हो बल्कि अपने इरादे और नफ़स के ज़ब्त के साथ जिसमें सेहत व हौसले का ज़ब्बा होता है और चूँकि वो परवरदिगार के हुक़म की तामील में और उसकी रज़ा के लिये होता है इसलिये एक तरफ़ उससे हौसला व हिम्मत की तरबियत व मशक़ होती है और दूसरी तरफ़ वो इबादत के हुक़म में दाख़िल होकर अल्लाह की रज़ा और आख़िरत की कामयाबी का ज़रिया बनता है।

रमज़ानुल मुबारक की पाकीज़गी और ख़ूबी की

ही बात है कि अल्लाह तआला के मर्ज़ी के और दीनी हैसियत से अहमतररीन वाक़्यात इसी माह में पेश आये। बदर की जंग का वाक़्या जिसमें हक़ व बातिल की कशमकश में पांसा इस्लाम के हक़ में पलट गया और फ़तह मक्का का वाक़्या जिसने इस्लामी इतिहास के धारे को ज़बरदस्त और नया रुख़ दिया और उससे भी ज़्यादा ये बात कि अल्लाह तआला का कलाम इसी महीने नाज़िल हुआ और ज़मीन वालों को इससे नेकी व नेअमत अता की गयी।

रमज़ानुल मुबारक की ये और दूसरी बहुत सी ख़ूबियां और अज़मतें हैं जिनकी बिना पर इस महीने को सही तरीक़े से गुज़ारने वाले मुबारकबाद पाने के काबिल हैं जिन्होंने इसकी नेमतों से अपने दामन भरे और इसकी बरकतों से मालामाल हुए। उनकी इस कामयाबी का जश्न ईद के दिन के ज़रिये ज़ाहिर होता है जिसको "ईदुल फ़ित्र" कहते हैं। यानि रोज़े से फ़ारिग़ होने की ईद। इस दिन मुसलमान अपनी खुशी का इज़हार साफ़ सुथरे कपड़े पहन करके, और अपने रब के सामने शुक्र का सजदा करके यानि ईद की नमाज़ अदा करके करते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने ये महीना उसके आदाब के साथ और उसकी बरकत हासिल करके गुज़ारा और अब वो रश्क़ के काबिल भी हैं और मसरूर भी।

लेकिन ये महीना अपने पीछे बहुत सी जिम्मेदारियां भी छोड़ जाता है। ये ज़िन्दगी के बहुत से मामलों में सलाह और सब्र को अपनाने का सबक़ सिखा जाता है। वो एक नेक मुसलमान की अज़म व हिम्मत को बढ़ावा देने वाला साबित होता है कि अब वो अपनी ज़िन्दगी को ज़्यादा बेहतर और साफ़ बनायेगा और माहे रमज़ान में उसने जो सब्र दिखाया उसको जारी रखेगा।

रमज़ानुल मुबारक की हैसियत एक तरह के तरबियती कैम्प की है जिसमें न सिर्फ़ एक ख़ास किस्म की पाबन्द जिन्दगी गुज़ारना पड़ती है बल्कि आगे के लिये और ताक़त और सलाहियत पैदा की जाती है। रमज़ानुल मुबारक का जो काम व्यक्तिगत जीवन में करना होता है रमज़ान के बाद उसका एक तरह का इजरा आम जिन्दगी में करता है। रमज़ानुल मुबारक में रोज़ाना चन्द घन्टों के लिये अपनी पसन्द और ज़रूरत की कई बातों से परहेज़ करना होता है कि प्यासा है लेकिन इतने समय तक पानी नहीं पीना है जबकि पानी हर तरफ़ मौजूद है और दावत ज़ौक व तलब दे रहा है। भूख है लेकिन उतने समय तक मुंह में एक निवाला भी नहीं डालता है। घर वालों के साथ है लेकिन उनसे अपनी इच्छा का न प्रकट करना क्योंकि परवरदिगार और मालिक ने मना किया है। इसलिये अपने परवरदिगार और मालिक के हुक्म को पूरा करने के लिये वो सब्र करता है और अपने दिल को भी संभाले रखता है।

अब रमज़ान ख़त्म हुआ और 29 व 30 दिन की ट्रेनिंग से मर्द मुसलमान गुज़रा तो अब उसके लिये क्या मुश्किल है कि आगे के महीनों में कम मेहनत व सब्र की पाबन्दियों को निभाये और अपने परवरदिगार के हुक्म को माने। वो हराम माल को हाथ न लगाये, अपने लिये जायज़ व हलाल चीज़ों को ही ले और इस्तेमाल करे, उसको कोई इन्सान भी न देखता हो और कीमती से कीमती माल सामने हो जिसको लेने में उसको कोई ज़ाहिरी रुकावट न हो लेकिन वो न ले इसलिये कि उसका मखसूस रोज़ा ख़त्म हुआ लेकिन ये आम रोज़ा कायम है। जिन्सी एतबार से उसके परवरदिगार ने जो हदें उसको बतायीं हैं उन हदों को पार न करे किसी हराम जगह पर नज़र न डाले और दिल की इच्छा दिल में भी न आये।

मुसलमान की जिन्दगी रमज़ान में तो एक ख़ास दायरे में घेर दी जाती है जिसको निभाने पर वो रोज़ादार साबित होता है और उसके लिये उसके बदले में जन्नत की नेमतों की बशारत है। लेकिन ग़ैर रमज़ान में भी उसे बहुत सी पाबन्दियों के साथ रहना होता है और उसके लिये भी जन्नत की नेमतों की बड़ी बशारत है। फूल, फल, पानी, दूध, शहद और राहत के

बेशुमार सामान की बशारतें हैं जो हमेशा हासिल होंगी। लेकिन कब? जब परवरदिगार की बतायी हुई और आसान पाबन्दियों को निभाया जाये।

अफ़सोस की बात है कि हम बहुत हद तक रमज़ानुल मुबारक की भूख व प्यास और दूसरी पाबन्दियों को निभा लेते हैं बल्कि पूरे-पूरे महीने और लगातार सालहा साल निभा लेते हैं लेकिन आम जिन्दगी में आसान सी पाबन्दियों को कई बार नहीं निभा पाते ये एहतियात कि वो जाएज़ व नाजाएज़ माल में शरई अहकाम के बीच फ़र्क करें और जो उनके लिये हलाल नहीं हैं उसको हाथ न लगाए और किसी का माल या सामान उसकी इजाज़त के बग़ैर न लें।

किसी ग़लत बात को स्वीकार न करें किसी पर आरोप या झूठा इल्ज़ाम न लगाए किसी को अकारण नुक़सान न पहुंचाएं। अपने ऊपर जो दूसरों के हक़ हैं उनको पूरी तरह अदा करें। इस तरह मुसलमान सिर्फ़ रमज़ान ही के रोज़े का पाबन्द है और मुसलमान का मुसलमान होना इसी वक़्त मुक़म्मल होता है जब वो दोनों तरह के रोज़ों की पाबन्दी करे।

### शेष: सदक़-ए-फ़ित्र

**बड़ी औलाद की तरफ़ से सदक़-ए-फ़ित्र:** आक़िल बालिग़ औलाद की तरफ़ से सदक़-ए-फ़ित्र अदा करना बाप पर ज़रूरी नहीं है। अगर वो बच्चे बाप की परवरिश में रहते हों और बाप उनकी तरफ़ से सदक़-ए-फ़ित्र अदा कर दे तो ठीक होगा।

**क्या बीवी का सदक़-ए-फ़ित्र शौहर पर है:** बीवी का सदक़-ए-फ़ित्र शौहर पर वाजिब नहीं है लेकिन अगर उसकी तरफ़ से अदा कर दे तो हो जायेगा, चाहे बीवी से इजाज़त ली हो या न ली हो।

**सदक़-ए-फ़ित्र रमज़ान में अदा करना:** सदक़-ए-फ़ित्र रमज़ानुल मुबारक में भी देना ठीक है।

“हज़रत अबूहुरैरा रज़ि० फ़रमाते हैं कि

आंहुज़रत स०अ० ने इतश़ाद फ़रमाया कि जो भी (रोज़ो में) नाजायज़ बात क़रना और उस पर अमल क़रना न छोड़े तो अल्लाह तआला को उस आदमी के खाना-पीना छोड़ने की कोई ज़म्बट नही” (बुख़ारी)

## रमजानुल मुबारक की अहम दुआएँ

**जब चांद देखें तो ये दुआ पढ़ें:**

”اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ

رَبِّي وَرَبِّكَ اللَّهُ هِلَالَ رُشْدٍ وَخَيْرٍ“

**इफ्तार से पहले ये दुआ पढ़ें:**

”يَا وَاسِعَ الْفَضْلِ اغْفِرْ لِي“

**इफ्तार के वक़्त ये दुआ पढ़ें:**

”اللَّهُمَّ لَكَ صُمتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ“

**इफ्तार के बाद ये दुआ पढ़ें:**

”ذَهَبَ الظَّمَاُ وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ وَبَتَّ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ“

**किसी के यहां इफ्तार करें तो ये दुआ पढ़ें:**

”أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَآكَلَ طَعَامَكُمْ الأَبْرَارُ

وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ المَلَائِكَةُ“

**तरावीह में हर चार रकआत के बाद ये दुआ पढ़ें:**

سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ،

سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبْرُوتِ،

سُبْحَانَ الْحَيِّ الْمَلِكِ الَّذِي لَا يَمُوتُ، سُبُوْحُ قُدُّوسٍ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ،

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، نَسْتَغْفِرُ اللهَ، نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ-

”اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي.“

JUNE-AUGUST 2013

बयादगार-दाई-ए-इस्लाम  
मौलाना अब्दुल्लाह हसनी नदवी (रह०)

Twinkling  
Stars

A Play School

Admission  
Forms  
Available  
From  
15 Dec, 2013

अपने बच्चों में असरी तालीम के साथ दीनी शऊर पैदा करने के लिए दाखिला कराएं। यहाँ आपके बच्चों का दीनी और दुनियावी मुस्तक़बिल का तहफ़फ़ुज़ है।

यहाँ आपके नौनिहालों के लिए हर तरह की ज़दीद सहूलियात दस्तियाब हैं।

तालीमी मैदान मे एक नया तर्ज़ और एक नई कोशिश।

Contact:

Twinkling Stars

Masha Allah House, 241/105, Bagh Qazi, Yahya Ganj, Lucknow-226003

Ph.: 9935300441, 9621540462

Editor: Bilal Abdul Hai Hasani Nadwi

MARKAZUL IMAM ABIL HASAN AL-NADWI

Dare Arafat, Takiya Kalan, Raebareli, U.P.  
Mobile: 9918385097, 9918818558  
E-Mail: markazulimam@gmail.com  
www.abulhasanalnadwi.org

Printed & Published by: Mohammad Hasan Nadwi  
On Behalf of: Markazul Imam Abil Hasan Al-Nadwi  
Printed at S.A. Offset Printers, Masjid ke peeche, Phatak  
Abdullah Khan, Sabzi Mandi, Station Road, Raebareli, U.P.